नवम माला, खंड 18

3 जनवरी, 1991
पौष, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 3 जनवरी, 1991/13 पौष, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में	1—4, 232—251
प्रश्नों के लिखित उत्तर	4—232

तारांकित प्रश्न संख्या : 101 से 120

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1155 से 1360 और 1362 से 1389

लोक सभा

शुक्रवार, 3 जनवरी, 1991/13 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नों को लेते हैं। श्री मनोरंजन भक्त।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : प्रश्न संख्या 101 (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाएं जानता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। आप सब बैठ जाएं।

[अनुवाद]

क्या आप कृपा करके मेरी बात सुनेंगे। मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष खड़ा है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी; बैठ जाएं मैं खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताता हूं। आप संतुष्ट हो जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको संतोष होगा। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कापसे जी, बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों की मन:स्थिति समझता हूं। मैं आप लोगों से इतनी ही विनती करूंगा कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के प्रश्न का जवाब आज दूसरे हाउस में है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल टी० वी० में हिन्दी की न्यूज में यह कहा गया कि मामला खत्म हो गया है। इतना कहने से ही मामला खत्म नहीं हो जाता है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : इस मामले के खत्म होने से पहले (व्यवधान) उनका मंत्री के रूप में बना रहना आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कल हिन्दी की खबरों में कहा गया कि मामला खत्म हो गया··· (व्यवधान)···टी० वी० के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का मोशन आना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप दूसरे सदन से श्री स्वामी को बुलाइए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह मांग की गई थी कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वह अभी तक मंत्री पद पर बने हुए हैं ?

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : श्री स्वामी को यहां आना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सत्यप्रकाश जी को सुनिए।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय के कक्ष में विपक्षी दल के नेताओं की एक बैठक हुई थी। डा० स्वामी का पहला तारांकित सवाल राज्य सभा में है, वह थोड़ी देर में आने वाले हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

इस समय श्री माणिक सान्याल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सभा में उनका प्रश्न है वहां से जैसे ही वह खाली हो जायेंगे, इस सदन में आ जायेंगे। कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कल टी० वी० के हिन्दी राष्ट्रीय समाचारों में ये समाचार दिया गया कि अध्यक्ष ने कह दिया है कि इस मामले को खत्म कर दिया जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने सेंश्योर मोशन दिया है, उस मोशन को लिया जाए। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, सेंश्योर मोशन लिया जाए, क्वेश्चन-आवर को सस्पेंड करके लिया जाए। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, सेंश्योर मोशन लिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने अधिकार से वंचित नहीं करना चाहता। प्रश्नकाल आपका अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, हाउस एडजर्न कीजिए या सेंशर मोशन ले लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुन्डू जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की बैठक 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

11.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

12.01 म० प०

लोक सभा 12.01 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में बाढ़/तूफान से हुई क्षति

*101. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर, 1989 में अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में बाढ़ तथा तूफान से हुई क्षति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंडमान-निकोबार प्रशासन द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए कितनी सहायता की मांग की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या अंडमान-निकोबार प्रशासन द्वारा बाढ़/तूफान से प्रभावित सभी लोगों को राहत प्रदान की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने नवम्बर, 1989 में आई बाढ़ तथा तूफान से हुई क्षति की सीमा का मूल्यांकन किया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 148.11 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। उस संघ शासित प्रदेश को 38.42 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई थी।

(घ) और (ङ) अंडमान व निकोबार प्रशासन ने सूचना दी है कि गृह मंत्रालय से कुछेक स्पष्टीकरण लम्बित रहने के कारण मुफ्त राशन तथा पुनर्वास के लिए 400/- रुपये प्रति परिवार की हद तक छोटे-मोटे वन-उत्पाद देने के रूप में तात्कालिन सहायता को छोड़कर कोई अन्य राहत सहायता वितरित नहीं की जा सकी। प्रशासन को बाद में आवश्यक स्पष्टीकरण मिल गए हैं तथा वे सहायता के वितरण हेतु आगे की कारंवाई कर रहे हैं।

तमिलनाडु में सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी की कमी

*102. **श्री एस० सिंगरावडीवेल :**

क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तंजावूर जिले में कावेरी डेल्टा में भूमि की सिंचाई करने के लिए पानी कमी है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से पानी दिए जाने की कोई मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) तमिलनाडु सरकार ने यह शिकायत की है कि कर्नाटक सरकार द्वारा ऊपरी पहुंचों में बांधों के निर्माण के फलस्वरूप सिंचाई के लिए जल की कमी हो गई है।

(ख) जी हां।

(ग) तमिलनाडु ने कर्नाटक सरकार से कम से कम 20 हजार मिलियन घन फीट जल निर्मुक्त करने का अनुरोध किया है।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र द्वारा जून, 1990 में गठित अधिकरण के समक्ष इस मामले में राहत देने के वास्ते आवेदन किया है।

राजस्थान में महा-डाकपाल के कार्यालय का पुनर्गठन

***103. प्रो० रासा सिंह रावत :**

[हिन्दी]

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में महा-डाकपाल के कार्यालय के ढांचे में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप कौन-कौन से और कितने डाकक्षेत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या महा-डाकपाल के कार्यालय के पूर्वी क्षेत्र अजमेर का मुख्यालय अभी जयपुर में ही कार्य कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्यालय अजमेर से कार्य करना कब तक आरम्भ कर देगा; और

(घ) राजस्थान के किन जिलों को जयपुर स्थित इस कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखा गया है ?

संचार राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान में मार्च, 1990 से तीन क्षेत्र हैं—पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र। इससे पूर्व जयपुर में एक संयुक्त पूर्वी क्षेत्र था, जिसे अब दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है और वे दोनों जयपुर से ही कार्य कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालयों को शिफ्ट करने के प्रश्न की समीक्षा की गई है। इसे अब 1 फरवरी, 1991 से अजमेर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्वी क्षेत्र द्वारा सेवा पहुंचाई जाती है :—

1. अजमेर	2. बांसवाड़ा	3. भीलवाड़ा
4. बूंदी	5. चित्तौड़गढ़	6. डूंगरपुर
7. झालावाड़	8. कोटा	9. टोंक
10. उदयपुर।		

इसके अलावा इस क्षेत्र के अन्तर्गत एक सेवा यूनिट जयपुर में भी स्थित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली से अहमदाबाद के बीच रेल डाक सेवा डिवीजन के सैक्शन काम कर रहे हैं।

ट्रैक्टरों की खरीदारी के लिए राज सहायता

***104. श्री राम सजीवन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखन्ड क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में और देश के कुछ अन्य भागों में कठोर भूमि जोतने में सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों के किसानों को, जिन्हें छोटे ट्रैक्टर खरीदने की सुविधा प्राप्त है, अधिक अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर खरीदने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने और उसे क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंती लाल वीरचंदभाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसानों द्वारा छोटे ट्रैक्टरों की खरीद के लिए राजसहायता की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। लेकिन 18 हार्स-पावर से कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों की खरीद के लिए 8 एकड़ से छोटे जोतों वाले किसानों के वास्ते राजसहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। चूंकि इस समय छोटे ट्रैक्टरों के लिए राजसहायता की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं इसलिए वही सुविधाएं अधिक हार्स पावर वाले ट्रैक्टरों के लिए देने पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 के तमिलनाडु सेक्शन की मरम्मत और देख-भाल

[अनुवाद]

***105. श्री एन० डेनिस :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम—कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 47 का तमिलनाडु सेक्शन टूटी-फूटी स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं या करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का यह खंड यातायात योग्य स्थिति में है। हाल की वर्षा ऋतु के दौरान हुए गड्ढों आदि की राज्य के राजमार्ग विभाग द्वारा मरम्मत कर दी गई है।

प्राकृतिक आपदाओं के खतरों में कमी के लिए 1900—2000 को अन्तर्राष्ट्रीय दशाब्दी के रूप में मनाना

***106. श्री मनमन बेहेरा :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि 1990---2000 की दशाब्दी को प्राकृतिक आपदाओं के खतरों में कमी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशाब्दी के रूप में मनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खतरों को कम करने की योजनाओं को क्रियान्विति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का विचार है; और

(घ) उड़ीसा जैसे बाढ़/तूफान प्रवण राज्यों के सम्बन्ध में बनाई जा रही कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कमी दशाब्दी को मनाने के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्ध सभी पहलुओं को देखने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है।

इस कोर ग्रुप से सुझाव प्राप्त हो जाने पर, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नीतियां तैयार करेगी।

(घ) तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए पहले से ही समुचित उपाय किए जा रहे हैं। बहरहाल, कोर ग्रुप के सुझावों के आधार पर, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्ध के लिए क्षेत्र आधारित कार्य योजनाओं को तैयार करने पर विचार किया जाएगा।

पश्चिम तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना

***107. डा० ए० के० पटेल :**

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने पुरानी ए० वी० एम० नहर को त्रिवेन्द्रम में कोवलम तक जोड़कर इसे पुन: चालू करने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) पश्चिम तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू किया जाएगा तथा प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) । (क) तमिलनाडु सरकार ने सितम्बर, 1990 में सूचित किया है कि उनका पुरानी ए० वी० एम० कैनाल को पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस स्तर पर केन्द्रीय सरकार के किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

(ग) वैस्ट कोस्ट कैनाल के कोवलम—बड़ागारा खंड पर व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हो गये हैं।

(घ) पुरानी ए० वी० एम० नहर के बारे में स्थिति प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई है। भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा वैस्ट कोस्ट कैनाल में कोवलम और बड़ागारा के बीच जल मार्ग के विकास की लागत का अनुमान 410 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है और इसलिए इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि किस समय विकास कार्य शुरू किया जाएगा।

गोवा में विश्व पर्यटन संगठन की बैठक

*108. श्री आर० गुण्डु राव :

श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गोवा में सामान्य रूप से विश्व और विशेषकर भारत में पर्यटन के विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने हेतु विश्व पर्यटन संगठन की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुई चर्चा का क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन के विकास को ग्रामोन्मुख दिशा देने हेतु, विशेषकर जबकि वर्ष 1991 "भारत दर्शन वर्ष" के रूप में मनाया जाना है; कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) विश्व पर्यटन संगठन ने अपनी कार्यकारिणी परिषद् का 39वां सत्र गोवा में 6 से 8 दिसम्बर, 1990 तक आयोजित किया।

बैठक में, कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों ने विश्व पर्यटन संगठन के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कार्यक्रम के बारे में विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) सरकार 1991 को "पर्यटन वर्ष" के रूप में मना रही है। इस वर्ष के दौरान अनेक मेलों और उत्सवों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकांश मेले और त्यौहार ग्रामीणोन्मुख हैं और भारतीय विरासत और संस्कृति पर प्रकाश डालेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग

*109. श्री वी० एन० रेड्डी :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और सुधार के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है। और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा विवाद के सम्बन्ध में भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की बैठक

[हिन्दी]

*110. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा विवाद के बारे में भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की वर्ष 1990 में होने वाली प्रस्तावित बैठक इस बीच हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, सीमा के प्रश्न से सम्बद्ध भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल का दूसरा सत्र तथा विदेश कार्यालय स्तर की वार्षिक बातचीत 30-31 अगस्त, 1990 को नई दिल्ली में हुई।

बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के प्रश्न के समाधान की दिशा में एक-दूसरे के दृष्टिकोण को और बेहतर तरीके से समझा। दोनों पक्षों की यह कोशिश रही कि व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए और आगे की सोची जाए। दोनों पक्षों ने यह आशा व्यक्त की कि ईमानदारी और सृजनात्मक तरीके से काम करके वे सीमा के प्रश्न के समाधान के लिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए एक आधार तैयार कर सकते हैं।

दोनों पक्ष ऐसा तरीका अपनाने पर सहमत हुए जिससे उनके सैनिक कार्मिक उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर मिल सकें ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व कायम रखा जा सके।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध और सुधारने के तौर-तरीकों पर विचार किया गया तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए परस्पर सम्बन्ध पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने अपने पारस्परिक सम्बन्धों की गति को बनाए रखने तथा उसे और सुदृढ़ करने के निश्चय को दोहराया।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन देना

*111. श्री हरि शंकर महाले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिलावार कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1990 से जिलावार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से आठवीं योजना अवधि के दौरान निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की गई हैं।

विवरण-1

महाराष्ट्र में 30-9-90 की सूची के अनुसार जिलावार प्रतीक्षा सूची

अहमदनगर	5902
अकोला	3134
अमरावती	3955
औरंगाबाद	10407
बीड	1978
भंडारा	1723
बुलढाना	1134
चन्द्रपुर	2272
धुले	2351
गढचिरोली	156
जलगांव	5013
जालना	1707
कोल्हापुर	9572
लाटूर	2019
नागपुर	12552
नानदेड	4004

नासिक	11858
उस्मानाबाद	535
परभनी	1189
पुणे	46567
रायगढ़	1746
रत्नागिरी	1846
सांगली	4810
सतारा	4294
सिंधदुर्ग	477
शोलापुर	5806
थाणे	28564
वर्धा	1088
यवतमाल	1049
मुम्बई	242657

विवरण-2

महाराष्ट्र में जारी किए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

जिले का नाम	1-1-90 से 30-11-90 तक जारी किये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3
रायगढ़	4916	इस क्षेत्र का कुछ भाग कल्याण जिले को स्थानांतरित किया गया है।
सतारा	1274	—
अहमदनगर	1054	—
रत्नागिरी	770	सिंधदुर्ग सहित
शोलापुर	381	—
सांगली	727	—

1	2	3
अकोला	1071	बुल्ढाना सहित
अमरावति	929	यवतमाल
भंडारा	405	—
औरंगाबाद	498	जालना सहित
धुले	372	—
जलगांव	268	—
नान्देड़	411	परभनी सहित
लाटूर	1000	उस्मानाबाद और रोड सहित
कोल्हापुर	2369	—
कल्याण	9510	थाणा जिला (—थाणे खास)
नागपुर	2428	—
नासिक	1632	—
चन्द्रपुर	689	वर्धा और गढ़ चिरोली सहित
पुणे (शहरी)	8681	—
फुणे (ग्रामीण)	937	—
मुम्बई	51585	

नये पर्यटन स्थलों का पता लगाना

[अनुवाद]

*112. श्री वी० कृष्ण राम :

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अठारह नये पर्यटन स्थलों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दक्षिणी राज्यों में राज्यवार, कुल कितने पर्यटन स्थलों का पता लगाया गया है;

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में ये स्थल कितने सहायक सिद्ध होंगे;

(घ) इन स्थलों का विकास करने के लिए कितनी धन-राशि की आवश्यकता होगी; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी धनराशि आबंटित की है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) :(क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान संवर्धन करने के लिए 18 विस्तार परिपथों का निर्धारण किया गया है जिसमें से 8 दक्षिणी राज्यों में हैं। इन 8 परिपथों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

विस्तार परिपथ	नए विस्तार परिपथ (अभिनिर्धारित)
1. तमिलनाडु/कर्नाटक/महाराष्ट्र मद्रास-बंगलौर-मैसूर-बंबई	1. तमिलनाडु मद्रास-त्रिची-मदुरै-तंजावुर
2. महाराष्ट्र/गोआ/कर्नाटक/तमिलनाडु बंबई-गोआ-बंगलौर-मैसूर-मद्रास	2. कर्नाटक मैसूर-बांदीपुर (राष्ट्रीय उद्यान) काबिनी-मैसूर (वन्य जीव)
3. महाराष्ट्र/कर्नाटक/तमिलनाडु बम्बई-बेलगाम-मैसूर	3. कर्नाटक बेलगांम-बदामी-होस्पेट-हसन-मैसूर
4. तमिलनाडु/कर्नाटक/महाराष्ट्र मद्रास-बंगलौर-बीजापुर-बेलगाम-बंबई	4. कर्नाटक बंगलौर-हम्पी-एहोल-पट्टादकल-बदामी-बीजापुर
5. महाराष्ट्र/आंध्रप्रदेश/कर्नाटक/तमिलनाडु बंबई-हैदराबाद-बंगलौर-मैसूर-बंगलौर-मद्रास	5. आंध्र प्रदेश हैदराबाद-गोलकुण्डा-उसमानसागर-नागार्जुन-कोंडा-बिदर किला
6. महाराष्ट्र/कर्नाटक/महाराष्ट्र बंबई-बंगलौर-मैसूर-मदुरै-मद्रास	6. कर्नाटक एवं केरल बंगलोर-कोचीन-एल्लेप्पी-कोट्टायम-थेक्कडी-कोडईकनाल-मदुरै
7. तमिलनाडु/कर्नाटक/महाराष्ट्र मद्रास-कोयम्बतूर-बंगलौर-बंबई	7. तमिलनाडु एवं कर्नाटक कोयम्बतूर-कुनूर-ऊटी-मदुमलाई-मैसूर-बंगलौर
8. तमिलनाडु/पांडिचेरी	8. तमिलनाडु मद्रास-कांचीपुरम्-महाबलीपुरम-पांडिचेरी

(ग) ये परिपथ मौजूदा परिपथों से जुड़े हुए हैं और इन पर संवर्धन हेतु नए गंतव्य हैं। चूंकि ये वर्तमान परिपथ से संबंधित हैं, इससे नए गंतव्यों के लिए पर्यटन का संवर्धन करना सुविधाजनक हो सकेगा।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों और यात्रा उद्योग से परामर्श करके विस्तार परिपथ निर्धारित किए गए हैं। इन परिपथों का विकास करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि,

पर्यटक आधारिक-संरचना में वृद्धि करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों के विशिष्ट प्रस्तावों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता देता है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनायें

*113. श्री लोकेन्द्र सिंह :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1990 को मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित थी;

(ख) ये परियोजनायें कब से लम्बित हैं और उनको मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में से कुछ पन्ना और दमोह जिलों में आती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितना खर्च होने का अनुमान है और उनसे कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

जल-संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) परियोजनायें जिनका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है, की स्थिति।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा होने की तरीख	स्थिति
1	2	3	4	5
	1. वृहद परियोजनायें			
1.	बारगी बहु-प्रयोजनी	6/83 1/89	9/89	राज्य को पर्यावर्णिक स्वीकृति की व्यवस्था करनी है।
2.	पेंच दिक-परिवर्तन	8/85 8/88	10/88	11/90 में स्वीकृत की गई पुनर्वास और पुन:स्थापन योजनायें।

1	2	3	4	5
3.	माहून	7/82 6/83	6/83	राज्य द्वारा अनुमान को संशोधित करना तथा जल ग्रहण क्षेत्र के लिए उपचारी योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
4.	मान	11/82 1/84	12/86	राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
5.	ओमकारेश्वर बहु-प्रयोजनी	4/86 5/88	10/88	केन्द्र को पर्यावर्णिक और वन स्वीकृति प्रस्तुत न किए जाने के कारण आस्थगित है।
	II-मध्यम परियोजनायें			
1.	गेज	6/84	9/84	राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान और वन स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
2.	बारचर	10/84	11/85	—वही—
3.	माहुअर	7/84	9/84	—वही—
4.	बाह	5/87	4/88	—वही—
5.	सुतियापेट टेंक	6/89	11/89	अन्यों के साथ-साथ विस्तृत पुनर्वास और पुनःस्थापन योजनायें प्रस्तुत न किए जाने के कारण आस्थगित है।

(ख) केन्द्र के पास शेष परियोजनाओं की स्थिति।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4
	I-बृहद परियोजनायें		
1.	बाणसागर यूनिट-II	7/88	राज्य द्वारा संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

1	2	3	4
2.	बारगी दिव-परिवर्तन	4/88	राज्य द्वारा लागत अनुमानों से संबंधित मुद्दों को हल करना तथा पर्यावर्णिक एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।
3.	बैसो सिंचाई	5/88	राज्य द्वारा बांध के डिजाइन, सिंचाई की आयोजना, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजनाएं तथा पर्यावर्णिक एवं वन स्वीकृति सम्बन्धी मुद्दों को हल करना अपेक्षित है।
4.	मोंगरा सिंचाई	5/89	राज्य द्वारा तकनीकी मुद्दों को हल करना तथा पर्यावर्णिक एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।
5.	महानदी जलाशय	10/83 2/90	राज्य द्वारा पर्यावर्णिक एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।
6.	सिंध सोपान-II	6/79 4/90	दिसम्बर, 1990 में हाल ही में संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
7.	थानवर टैंक	12/89	पूर्ण रूप से विकसित इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच पूरी हो गयी है।

कीटनाशक अवशेषों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

*114. श्री मान्धाता सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक अवशेषों के हानिकारक प्रभावों की जांच करने के लिए कोई केन्द्रीय कीटनाशी अवशेषों सम्बन्धी समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कीटनाशक अवशेषों सम्बन्धी विख्यात विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री अयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की एक उप-समिति है।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों द्वारा भारतीय नागरिकों का निर्वासन

*115. श्री प्रताप सिंह :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1989 से आज तक विदेशों से कितने भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया;

(ख) जनवरी, 1988 से आज तक की अवधि के दौरान विदेशों में कितने विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में नए डाकघर

*116. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने नए डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) इनमें से कितने डाकघर नासिक अहमदनगर जिलों में खोले जाएंगे और इनके प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० संजय सिंह) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में नए डाकघर खोलने के कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) नए मानदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए गए डाकघर 1991-92 के दौरान खोल दिए जाएंगे।

हल्दिया संयंत्र को बंद करना

*117. प्रो० रूपचंद पाल :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के हल्दिया संयंत्र को अर्थक्षम न होने के कारण बंद किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके कुप्रबन्ध और वित्तीय अनियमितताओं के लिए कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हल्दिया संयंत्र के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन के हल्दिया संयंत्र को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के अनेक कारण हैं, जिनमें विभिन्न विदेशी ऋणों से सम्बन्धित बेमेल उपस्कर, बिजली की कमी तथा अशान्त औद्योगिक संबंध आदि हैं। तथापि कोई मुख्य अनियमितताएं ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

(घ) चूंकि संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव जारी है, अत: कर्मचारियों की छटनी नहीं की गई है।

विक्रम परियोजना

*118. श्री एम० एम० पल्लम राजू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग की "विक्रम" परियोजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या स्वदेशी तकनीक से इस परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस परियोजना के लिए किसी उपकरण का आयात करने का विचार है; और यदि हां, तो उसकी अनुमानत: कितनी कीमत है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (डा० संजय सिंह) : (क) "विक्रम" परियोजना का उद्देश्य डाटा संचार प्रदान करने के लिए एक पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क स्थापित करना है।

(ख) 1989 में "विक्रम" परियोजना के लिए आयातित उपस्कर को अनुमानित एक ओबी लागत 13.87 करोड़ रु० थी।

(ग) और (घ) पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क को दो चरणों में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चरण-I में स्वदेश में उपलब्ध छोटी क्षमता वाले स्विचों का इस्तेमाल किया जाना है। चरण-II में उपर्युक्त नेटवर्क का बड़े स्विचों के साथ विस्तार किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों द्वारा भारतीय नागरिकों का निर्वासन

*115. श्री प्रताप सिंह :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1989 से आज तक विदेशों से कितने भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया;

(ख) जनवरी, 1988 से आज तक की अवधि के दौरान विदेशों में कितने विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में नए डाकघर

*116. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने नए डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) इनमें से कितने डाकघर नासिक अहमदनगर जिलों में खोले जाएंगे और इनके प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० संजय सिंह) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में नए डाकघर खोलने के कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) नए मानदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए गए डाकघर 1991-92 के दौरान खोल दिए जाएंगे।

हल्दिया संयंत्र को बंद करना

*117. प्रो० रूपचंद पाल :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के हल्दिया संयंत्र को अर्थक्षम न होने के कारण बंद किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके कुप्रबन्ध और वित्तीय अनियमितताओं के लिए कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हल्दिया संयंत्र के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन के हल्दिया संयंत्र को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के अनेक कारण हैं, जिनमें विभिन्न विदेशी ऋणों से सम्बन्धित बेमेल उपस्कर, बिजली की कमी तथा अशान्त औद्योगिक संबंध आदि हैं। तथापि कोई मुख्य अनियमितताएं ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

(घ) चूंकि संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव जारी है, अत: कर्मचारियों की छटनी नहीं की गई है।

विक्रम परियोजना

***118. श्री एम० एम० पल्लम राजू :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग की "विक्रम" परियोजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या स्वदेशी तकनीक से इस परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस परियोजना के लिए किसी उपकरण का आयात करने का विचार है; और यदि हां, तो उसकी अनुमानत: कितनी कीमत है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (डा० संजय सिंह) : (क) "विक्रम" परियोजना का उद्देश्य डाटा संचार प्रदान करने के लिए एक पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क स्थापित करना है।

(ख) 1989 में "विक्रम" परियोजना के लिए आयातित उपस्कर की अनुमानित एक ओबी लागत 13.87 करोड़ रु० थी।

(ग) और (घ) पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क को दो चरणों में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चरण-I में स्वदेश में उपलब्ध छोटी क्षमता वाले स्विचों का इस्तेमाल किया जाना है। चरण-II में उपर्युक्त नेटवर्क का बड़े स्विचों के साथ विस्तार किया जाएगा।

विदेशी पर्यटक

*119. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

श्री हरीश रावत :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 से आज तक कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया, इन पर्यटकों की वर्ष-वार और देश-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान प्रत्येक देश से कितने-कितने विदेशी पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वे सोवियत पर्यटक विभाग ने पर्यटन पर जाने वाले अपने नागरिकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ से आने वाले पर्यटकों की संख्या इस वर्ष घटती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस कारण भारत पर्यटन विकास निगम को कितनी राशि का घाटा हुआ; और

(ङ) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) 1988 से भारत में पर्यटक भेजने वाले प्रमुख देशों के सम्बन्ध में पर्यटक यातायात के देशवार तथा वर्षवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

क्र० सं०	देश	1988	1989	1990 (जनवरी—अगस्त)
1	2	3	4	5
1.	यू० के०	200,509	229,496	143,667
2.	यू० एस० ए०	122,888	134,314	79,448
3.	एफ० आर० जी०	76,371	78,431	56,738
4.	फ्रांस	69,799	78,001	44,189
5.	श्रीलंका	70,640	67,680	42,924
6.	जापान	49,244	58,707	39,243
7.	इटली	47,612	50,751	32,228
8.	कनाडा	37,498	40,306	26,167
9.	सोवियत संघ	33,739	36,940	24,002

1	2	3	4	5
10.	मलेशिया	29,635	33,120	20,276
11.	अन्य*	502,057	529,486	340,882
	जोड़*	1 239,992	1,337,232	849,764

*पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर

(ख) 1990 के दौरान पर्यटक आगमनों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी।

(ग) सोवियत संघ में विभिन्न घटनाओं के कारण वर्ष के उत्तरार्द्ध में उस देश से भारत में आये पर्यटक यातायात की रफ्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम राष्ट्रिकतावार लेखा-जोखा नहीं रखता है।

(ङ) भारत की तरफ और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं—चार्टर पालिसी को उदार बनाया जाना, पांच वर्षों की अवधि के लिए बहुप्रवेश वीजा लागू करना, चैक/क्रेडिट कार्डों द्वारा वीजा फीस के भुगतान की व्यवस्था, पर्यटक व्यवस्था के सरलीकरण में सुधार, प्रतिबन्धित क्षेत्र के परमिटों से सम्बन्धित नियमों को उदार बनाना, पर्यटन आधारिक-संरचना सुविधाओं के स्तर में सुधार करना, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों में मुद्रा विनिमय सुविधाएं मुहैया कराना, आदि। भारत की एक अवकाश गंतव्य के रूप में छवि को सुधारने लिए वर्ष 1991 को "भारत पर्यटन वर्ष" के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई।

राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

*120. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1986-87 में राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया था;

(ख) क्या देश में प्रति हेक्टेयर दालों के उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में दालों का औसत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की तुलना में दलहन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन फ्रांस, अमरीका, रूस, चीन, तुर्की, मैक्सिको और आस्ट्रेलिया में अधिक है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दलहन विकास और विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) में (1) बहुसस्य पद्धति के माध्यम से क्षेत्र में वृद्धि करके और (2) प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता बढ़ाकर दोहरे दृष्टिकोण को अपनाने की व्यवस्था है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, किसानों को, बीज, मिनीकिट के वितरण, प्रदर्शन करने और पौध रक्षण उपाय करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बीजों का चरण-वार उत्पादन और वितरण पर भी जोर दिया जाता है। बेहतर बीज, फफूंदनाशी दवाओं और कल्चर से बीज उपचार, उर्वरकों और आवश्यकता पर आधारित पौध रक्षण उपायों को अपनाये जाने जैसे आदानों का उचित समय और उपयुक्त प्रयोग किये जाने पर जोर दिया जाता है ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जा सके।

तिलहन (और दलहन) सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अधिदेश में दलहनों को शामिल किया गया है। फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, किसान समर्थन सेवाएं, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और मूल्य समर्थन/मंडी हस्तक्षेप के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ताकि दलहन की उत्पादकता का स्तर बढ़ाया जा सके।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित गैर-सरकारी बस चालकों द्वारा बन्द के दिनों में कथित रूप से अधिक किराया वसूल किया जाना

[अनुवाद]

1155. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा संचालित गैर-सरकारी बस चालकों ने हाल ही में दिल्ली में बन्द के दिनों में यात्रियों से टिकट का किराया 1 रुपये के स्थान पर 2 रुपये वसूल किया था;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस वृद्धि को स्वीकृति दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया : (क) इस प्रकार के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम के चैकिंग स्टाफ ने इस प्रकार के 34 मामलों का पता लगाया

तथा अगस्त, 1990 से नवम्बर, 1990 तक 44 शिकायतें भी प्राप्त हुईं। ऐसे मामलों में ग्रस्त निजी बसों के मालिकों से अर्थदण्ड के रूप में 14,050 रुपये एकत्र किए गए थे।

"सिक्रेट ट्रांसमीटर लिंक्स बिटवीन अयोध्या एण्ड "ब्रिटेन" शीर्षक समाचार

1156. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1990 के कलकत्ता से प्रकाशित "दी टेलीग्राफ" में "सीक्रेट ट्रांसमीटर लिंक्स अयोध्या—ब्रिटेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समाचार के बारे में एकत्रित किया गया तथ्य क्या है;

(ग) क्या अयोध्या के समीप स्थापित किये गये इस गुप्त ट्रांसमीटर की जांच के बारे में कोई आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) देश में ऐसे गुप्त ट्रांसमीटर की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सरकार की जानकारी के अनुसार ऐसा कोई "गुप्त" ट्रांसमीटर संपर्क विद्यमान नहीं है। अतः भारतीय तार अधिनियम 1885 के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

पर्यटन का विकास

1157. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत दर्शन वर्ष 1991" के दौरान पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या वर्ष 1991 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं तथा विमान, रेल और सड़क परिवहन की बेहतर व्यवस्था प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि पर्यटकों की मांग के अनुसार यहां पर होटलों में आवास की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस बारे में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) देश में होटल कमरों की उपलब्धता में वृद्धि करने की जरूरत को पहचानते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना हेतु सोवियत संघ की पेशकश

1158. कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारत से सहयोग करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में कोट्टायम और इडुक्की स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

1159. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोट्टायम और इडुक्की जिलों में वर्ष 1991 के दौरान किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जाएगा;

(ख) विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान विस्तार कार्य चालू किये जाने का प्रस्ताव है लेकिन ऐसा उपस्कर की सप्लाई और उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण

केरल सर्किल में 1991 के दौरान कोट्टायम और इडुक्की जिलों में विस्तार किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

इडुक्की—	(1)	पीरमाडे 90 एमएएक्स III	512 आईएलटी
	(2)	वाण्डीपेरियार 90 एमएएक्स III	200 ईएसएएक्स पीएएम
	(3)	अन्नाकारा 45 एमएएक्स III	128 पोर्ट सी-डॉट आरएएक्स
	(4)	अनाविल असोम 35 एमएएक्स III	—वही—
	(5)	चितरापुरम 35 एमएएक्स III	—वही—
	(6)	देवीकोलम 35 एमएएक्स III	—वही—
	(7)	कल्लार 45 एमएएक्स III	—वही—
	(8)	मरायुर मिल्ट 64 पोर्ट III	"
	(9)	मुरीकासरी 25 एमएएक्स III	"
	(10)	पासुपाड़ा 25 एमएएक्स III	"
	(11)	राजकुमारी 45 एमएएक्स III	"
	(12)	संतापाड़ा 45 एमएएक्स III	"
	(13)	थोपड़नकुड़ी 45 एमएएक्स III	"
	(14)	वेल्लाथुवल 35 एमएएक्स III	"
	(15)	कुंबुमेट्टू 25 एमएएक्स III	—वही—64 पोर्ट मि०
	(16)	इदामलायर 25 एमएएक्स III	128 पोर्ट सी-डॉट आरएएक्स
	(17)	थालायर 9 ईएसएएक्स	—वही—
	(18)	वागमोन 25 एमएएक्स III	—वही—
	(19)	इडुक्की 200 एमएएक्स III	512 आई एल टी
	(20)	मुन्नार 200 एमएएक्स III	512 आईएलटी
कोट्टायम—	(1)	1200 लाइनों के रद्दी एमएएक्स I ई-10.बी 5000 नया एक्सचेंज	एक्सचेंज के स्थान पर कोट्टायम
	(2)	मामूद 90 एमएएक्स III	512 आई एल टी
	(3)	मणिमाला 90 एमएएक्स III	512 आई एल टी

(4) मेबालूर 90 एमएएक्स III	512 आई एल टी
(5) चलायोलापराम्बू 90 एमएएक्स III	512 आई एल टी
(6) कोरूथोडे 45 एमएएक्स III	128 सी-डॉट
(7) कुवावचूर 45 एमएएक्स III	—वही—
(8) कुन्नोनी 45 एमएएक्स III	—वही—
(9) आयरकुनम एमएएक्स II 300 से 500	
(10) कोलापल्ली एमएएक्स II 200 से 300	
(11) कुराविलंगड एमएएक्स II 200 से 500	
(12) कुरूपंथारा एमएएक्स II 200 से 500	
(13) मुण्डाकयम एमएएक्स II 400 से 800	
(14) पिनाकुनाडू एमएएक्स II 300 से 400	
(15) पुवारनी एमएएक्स II 200 से 400	
(16) रामापुरम एमएएक्स II 400 से 600	
(17) वाइपूर एमएएक्स II 200 से 400	
(18) इरूमरेजी एमएएक्स II 300 से 500	
(19) पल्लीकथोडे 90 एमएएक्स III	512 आईएलटी
(20) कारूकाचल 90 एमएएक्स III	512 आईएलटी
(21) काडनगर 90 एमएएक्स III	512 आईएलटी
(22) कोट्टयम कांझांकेजी 2000 लाइनें (आरएलयू)	
(23) कोट्टयम गांधीनगर 1000 लाइनें (आरएलयू)	

दिल्ली परिवहन निगम के किराये में वृद्धि

1160. प्रो० राम गणेश कापसे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए सरकार का दिल्ली परिवहन निगम के बस किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे थे। सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

अमोनिया की कमी

1161. श्री कमल नाथ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमोनिया की कमी होने से उर्वरक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और खनिज एवं धातु व्यापार निगम को इसकी मांग को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) मांग की तुलना में कुल कितनी अमोनिया उपलब्ध हैं;

(ग) एक वर्ष के दौरान कुल कितना अमोनिया आयात किया गया;

(घ) पहले की तुलना में इस समय अमोनिया का मूल्य कितना है; और

(ङ) उर्वरक उद्योग को अमोनिया की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) से (ङ) अप्रैल और मई, 1990 के महीनों में कुछ मात्रा में अमोनिया की कमी महसूस की गयी थी जिसे इसके आयात के पुन: आरम्भ होने से पूरा किया गया। अप्रैल से दिसम्बर, 1990 के दौरान 5.39 लाख टन अमोनिया आयात किया गया है। एम० एम० टी० सी० द्वारा किए गए नवीनतम ठेके में अमोनिया का सी एण्ड एफ मूल्य 174.5 अमरीकी डालर प्रति टन है। इस आपूर्ति का स्रोत फारस की खाड़ी है। पिछले दो ठेकों का सी एण्ड एफ मूल्य 129 अमरीकी डालर और 143.50 अमरीकी डालर (फारस की खाड़ी) रहा है। इस अवस्था में अमोनिया की कोई कमी नहीं है।

तेलुगू गंगा परियोजना पर बातचीत

1162. श्री बी० एस० बासवराज :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तेलुगू-गंगा परियोजना पर बातचीत के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले का हल निकालने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने आपस में मुद्दे को हल करने के लिए क्रमश:

21-4-1990 और 22-8-1990 को तिरूपति तथा मैसूर में बैठकें आयोजित की और उनका महाबलेश्वर में फिर से बैठक आयोजित करने का कार्यक्रम है।

कर्नाटक में दूरसंचार का विकास

1163. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उपरोक्त योजना अवधि के दौरान राज्य में किन-किन दूर-संचार परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) आठवीं योजना के मसौदा प्रस्तावों में कर्नाटक में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए शामिल प्रमुख दूरसंचार स्कीमें इस प्रकार हैं :—

—स्थानीय स्विचिंग क्षमता की लगभग 4.11 लाख लाइनें जोड़ना।

—लगभग 3.50 लाख नए टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करना।

—2000 टेलेक्स लाइनें।

—सभी ग्राम पंचायतों में पी० सी० ओ० की व्यवस्था करना।

—उप मण्डलीय मुख्यालयों तीर्थ और यात्री स्थलों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करना।

अनुमान है कि इस कार्य पर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।

नेहरू प्लेस टेलीफोन एक्सचेंज से नये टेलीफोन कनेक्शन

1164. श्री बालगोपाल मिश्र :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू प्लेस में नया टेलीफोन एक्सचेंज खुलने के बाद विभिन्न श्रेणियों में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में इस समय कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ग) इस प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की आशा है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सलाहकार समिति बनायी गयी है और यदि हां, तो क्या इस

समिति को बिना पारी के नये टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने की शक्ति प्राप्त है, यदि हां, तो किस आधार पर;

(ङ) क्या टेलीफोन विभाग के प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करते हैं कि जनपथ स्थित इसके कार्यालय में लगायी गयी प्रतीक्षा सूची का बोर्ड उसी दिन तक का है; और

(च) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) आज तक की प्रतीक्षा सूची के उत्तरोत्तर रूप से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निपटाए जाने की संभावना है।

(घ) इस समय महानगर टेलीफोन निगम लि० दिल्ली में कोई टेलीफोन सलाहकार समिति कार्य नहीं कर रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) जब भी कोई नया कनेक्शन दिया जाता है तो जनपथ कार्यालय के नोटिस बोर्ड को अद्यतन बना दिया जाता है।

विवरण-1

पिछले एक वर्ष के दौरान नेहरू प्लेस में दिये गये नये टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे

चालू किया गया नया एक्सचेंज	चालू करने की तारीख	ओवाईटी	विशेष	सामान्य	कुल
लाइनें-642 (10 के)	11-1-90	1375	937	3897	6209
लाइनें-645 (+1 के)	1-11-90	289	124	513	936
(+1 के)	4-12-90				
लाइनें-647 (0.5 के)	17-12-90	शिफ्टिंग मामले			171
				कुल	7308

टिप्पणी : "के" हजार लाइनों का द्योतक है।

विवरण-2

1-12-90 की स्थिति के अनुसार नेहरू प्लेस में प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या

एक्सचेंज : नेहरू प्लेस

		सबसे पहले आवेदक के पंजीकरण की तारीख
ओवाईटी सामान्य	716	26.07.90
ओवाईटी विशेष	64	30.07.90
गैर-ओवाईटी एस एस	14	31.10.90
गैर-ओवाईटी विशेष	47	31.10.90
सामान्य	18622	01.08.85
कुल	19463	

डाक अदालतों की स्थापना

1165. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक संबंधी समस्याओं को मौके पर सुलझाने के लिए देश में परिमंडल स्तर पर डाक अदालतों की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) तिमाही आधार पर सर्किल मुख्यालयों में लगने वाली "डाक अदालतें" गठित करने के आदेश दिए गए है । स्थान, तारीख और समय की घोषणा देश के प्रमुख समाचारपत्रों के माध्यम से मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल द्वारा बताई जाएगी । इसमें डाक सेवाओं से संबंधी सभी तरह की समस्याएं शामिल होंगी ।

"ओ० बी०" नम्बर जारी करना

[हिन्दी]

1166. श्री गोविन्द चंद्र मुण्डा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबंधक, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुर्शीद लाल भवन, दिल्ली के

कार्यालय में पिछले कई महीनों से "ओ०बी०" नम्बर जारी करने में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस विलम्ब को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं। विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उड्डनाम क्षेत्र के लिए मंजूरी

[अनुवाद]

1167. **श्री राजमोहन रेड्डी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में श्री काकुलम जिले के उड्डनाम क्षेत्र के बारे में ग्रामीण त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के उड्डनाम क्षेत्र में 17.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 234 गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करने की राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित परियोजना को तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति दे दी गई थी और उसे दिसम्बर, 1990 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया था जिसने इस परियोजना को द्विपक्षीय सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक आयोग के समक्ष रखा है। साथ ही राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 50-60 करोड़ रुपये के दरम्यान एक बड़े आकार की परियोजना की सम्भाव्यता का पता लगाएं।

पालाक्काड में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1168. **श्री ए० विजयराघवन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में पालाक्काड में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, हां।

(ख) 5000 लाइनों का ई-10 बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज अलाट कर दिया गया है तथा इस एक्सचेंज में 2000 लाइनों का विस्तार करने की योजना है। यह विस्तार दो चरणों में 1000-1000 लाइनों को जोड़कर किया जाएगा। इस एक्सचेंज के आठवीं पंचवर्षीय योजना की दूसरी छमाही के दौरान चालू किए जाने की योजना बनाई गई है।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु मार्गनिर्देश

1169. प्रो० मधु दण्डवते :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा; और

(घ) क्या कौंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलाजी (सी०ए०पी०-ए०आर०टी०) द्वारा कम लागत के शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान करना बंद कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्बन्धित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के विचार अब उपलब्ध हो गए हैं। व्यय वित्त समिति का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है। संशोधित मार्ग दर्शिकायें सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं तथा इनको मार्च, 1991 तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

(घ) संशोधित मार्गदर्शिकाओं को अन्तिम रूप दिए जाने तक लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) और राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निधियां रिलीज करना संभव नहीं था।

गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए सहायता

1170. श्री काशीराम राणा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 1988-89 के दौरान सड़क के किनारे सुविधाएं और यात्री निवास, होस्टलों और मनोरंजन पार्कों आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के वित्तीय सहायता दिए जाने

के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) 1988-89 के दौरान गुजरात सरकार ने अंबाजी, आनंद, हरशाद और वापी मे मार्गस्थ सुख-सुविधाओं हेतु चार प्रस्ताव भेजे थे। मार्गस्थ सुख-सुविधाओं हेतु इन प्रस्तावों में से निम्नलिखित को मंजूरी दी गई है, जिनका विवरण उनके सामने दिया गया है—

(i) आनन्द—8.51 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई और 1.10.1990 को 3.00 लाख रुपया रिलीज किया गया।

(ii) हरशाद—8.51 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई और 20.12.1990 को 3.00 लाख रुपया रिलीज किया गया।

(iii) 15.18 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई और 27.6.1990 को 5.00 लाख रुपये रिलीज किया गया।

(ग) अंबाजी में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं हेतु प्रस्ताव पर उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने के बारे में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

दिल्ली—जयपुर—अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर उप-मार्ग

[हिन्दी]

1171. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :**

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े शहरों के क्या नाम हैं जिनके लिए दिल्ली—जयपुर—अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप-मार्गों का निर्माण किया गया है और उन शहरों के क्या नाम हैं जिनके लिए अभी उप-मार्गों का निर्माण किया जाना है;

(ख) क्या उदयपुर उप-मार्ग के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरा हो गया है तथा इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए आवंटित धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) राष्ट्रीय

राजमार्ग-8 के दिल्ली—जयपुर—अहमदाबाद खण्ड पर पड़ने वाले जिन बड़े शहरों के पास पहले ही उपमार्गों का निर्माण हो चुका है वे हैं। गुड़गांव, जयपुर (आंशिक), अजमेर और अहमदाबाद, जिन बड़े शहरों के पास उपमार्गों का निर्माण अभी किया जाना है वे हैं : जयपुर (शेष भाग) और उदयपुर।

(ख) से (घ) उदयपुर उपमार्ग के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरा हो गया है और लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना तैयार की जा रही है। यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि परि-योजना कब तक शुरू की जाएगी क्योंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

बिहार में मवेशियों की अज्ञात बीमारी

1172 **श्री रामेश्वर प्रसाद :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जानवरों में विशेषकर भैंसों में कोई अज्ञात बीमारी फैल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक सहायता से उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाना

1173. **श्री राम लाल राही :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को सिंचाई सुविधाओं के सृजन विशेष रूप से सार्वजनिक नलकूपों के निर्माण के लिए दी जा रही विश्व बैंक की सहायता बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य की सिंचाई पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बैंक ने 1989-90 और 1990-91 में उत्तर प्रदेश में नलकूपों के निर्माण के लिए कितनी योजनाएं स्वीकृत की हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण किया गया है और वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नलकूपों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूपों के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए कोई नयी स्कीम अनुमोदित नहीं की है।

(घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना सोपान II के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान 519 नलकूप पूर्ण किए गए, 88 पुराने मानक नलकूपों का आधुनिकीकरण किया गया और 161 पुराने मानक नलकूपों को डेडिकेटिड फीडरों से जोड़ा गया। वर्ष 1990-91 के लक्ष्य ये हैं: 394 नये नलकूपों का निर्माण, 75 पुराने मानक नलकूपों का आधुनिकीकरण करना और 69 पुराने नलकूपों को डेडिकेटिड फीडरों से जोड़ना।

अंकन मशीन का प्रयोग

[अनुवाद]

1174. श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "अंकित की गई डाक" पर इस समय दी जा रही सहायता को बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में विशेषरूप से राजधानी में "स्पीड पोस्ट" की बुकिंग का संचालन करने वाले डाकघरों के काउन्टरों पर अंकन मशीन के प्रयोग को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनन्नास की खेती

1175. श्री पी० सी० थामस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन स्थानों पर अनन्नास की व्यापक रूप से खेती की जाती है;

(ख) अनन्नास की खेती में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विश्व बैंक की सहायता से अनन्नास की खेती में वृद्धि करने के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एर्नाकुलम में अनन्नास प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक दल द्वारा किये गये सम्भाव्यता अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) यह यूनिट कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) अनन्नास का उत्पादन व्यापक पैमाने पर देश के असम, बिहार, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में किया जाता है।

(ख) अनन्नास की खेती में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाये गये हैं, जैसे गुणवत्ता वाले पौधरोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण करना, उन्नत खेती की पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन आयोजित करना, रियायती लागत पर आदानों की आपूर्ति करना, आदि।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता है।

(ङ) और (च) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) ने केरल में बागवानी विकास परियोजना के निर्माण को अन्तिम रूप देने के लिए अक्तूबर, 1990 में दूसरा मिशन भेजा था। अभी तक इस मिशन की रिपोर्ट यूरोपीय आर्थिक समुदाय से नहीं प्राप्त हो सकी है।

बिहार के कुछ जिलों में शाखा डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1176. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में नये शाखा डाकघर खोलने तथा पुराने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का मधुबनी जिले में बिस्फी डिवीजन मुख्यालय के डाकघरों को बिस्फी डिवीजन मुख्यालय सहित प्रशासनिक जिले के नियन्त्रणाधीन लाने तथा बिस्फी शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

[अनुवाद]

1177. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक कितन घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निगम की कार्यकुशलता को बढ़ाने और कदाचार को समाप्त कर निगम को लाभकर बनाने की दृष्टि से निगम के वर्तमान कार्यकरण की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कारंवाई का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अब तक दिल्ली परिवहन निगम को हुआ वित्तीय घाटा नीचे दिया गया है :—

(लाख रु०)

वर्ष	कार्यशील घाटा (मूल्यह्रास ब्याज प्रभारों को छोड़कर)	निबाल घाटा (मूल्यह्रास ब्याज प्रभारों सहित)
1987-88	4595.76	7888.49
1988-89	5220.06	9899.32
1989-90	5757.50*	11984.56*
1990-91 (अप्रैल, 90 से नवम्बर, 90 तक)	5172.60*	11104.78*

*अनन्तिम

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को घाटा मुख्यत: अलाभकर किराये और श्रमिकों, डीजल और अन्य निवेशों की बढ़ती लागत के अलावा विभिन्न यात्री-समूहों जैसे, छात्रों, पुनर्वास कालोनियों के निवासियों आदि को रियायती पास देने के कारण हो रहा है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की कोई विशेष समीक्षा किये जाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि घाटा उन कारणों की वजह से हो रहा है जो दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण से बाहर है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गुलमर्ग में होटल का निर्माण

1178. **श्री प्यारे लाल हान्डू :**

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम गुलमर्ग (कश्मीर) में होटल का निर्माण कर रहा है तथा वहां पर भारतीय पर्वतारोहण संस्थान केन्द्र के निर्माण का निरीक्षण भी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) अक्तूबर, 1989 तक, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और केन्द्रीय हीटिंग-प्रणाली सम्बन्धित कार्यों सहित इन दोनों परियोजनाओं में संरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। घाटी में गड़बड़ी की स्थिति के कारण तब से कोई प्रगति नहीं हुई है।

"ड्रिप इरिगेशन" प्रणाली

1179. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में "ड्रिप इरिगेशन" प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) अभिजात किए गए 15 प्लास्टिकल्चर जिलों में पाइलट आधार पर ड्रिप सिंचाई लगाने के लिए राजसहायता की दर बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव है।

भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी स्थित यूनिट के क्वार्टरों पर अनधिकृत अधिपत्य

1180. **श्री ए० के० राय :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी स्थित यूनिट में कुछ कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कितने क्वार्टरों और बंगलों पर अनधिकृत अधिपत्य कर रखा है; और

(ख) इन क्वार्टरों/बंगलों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) 210

(ख) अनधिकृत कर्मचारियों को बेदखल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा उनसे बाजार दर पर किराया लिया जा रहा है। इन अनधिकृत अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का आनुतोषिक, अवकाश वेतन तथा भविष्य निधि के अलावा अन्य देय राशि को रोक लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई क्षमता

1181. श्रीमती टी० मनेम्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1989-90 के दौरान कुल कितनी सिंचाई क्षमता पैदा की गई है;

(ख) क्या सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के दौरान इस राज्य की सिंचाई क्षमता कितनी हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) लगभग 1,47,000 हेक्टेयर।

(ख) आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7

1182. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की कुल लम्बाई कितनी हैं और यह किन-किन स्थानों से गुजरता है;

(ख) क्या इसकी उचित रूप से मरम्मत और रख-रखाव किया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के रख-रखाव और मरम्मत पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) वाराणसी से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की कुल लम्बाई 236? कि० मी० है। यह अन्य स्थानों के साथ-साथ, मांगवान, रीवा, जबलपुर, लखनाडीन, नागपुर, हैदराबाद, कुरनूल, बंगलोर, कृष्णागी, सेलम, डिंडीगुल और मदुरै से गुजरता है।

(ख) जी हां, उपलब्ध संसाधनों के भीतर।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार ही किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र; आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से गुजरता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया गया राज्यवार खर्च अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(लाख रु०)

राज्य	1987-88	1988-89	1989-90
उत्तर प्रदेश	945.11	1456.53	1265.66
मध्य प्रदेश	633.02	891.39	1097.90
महाराष्ट्र	1036.19	1308.91	1388.87
आन्ध्र प्रदेश	821.47	1006.71	1308.33
कर्नाटक	619.69	793.64	847.94
तमिलनाडु	545.25	706.99	871.00

नौवहन टनभार बढ़ाया जाना

1183. **श्री बलवन्त मणवर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नौवहन टनभार में बहुत कम वृद्धि हुई है जिससे माल के परिवहन पर विदेशी मुद्रा बचाना कठिन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से तत्व उत्तरदायी हैं; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) भारतीय नौवहन टनभार (टनेज) में वृद्धि नियोजित वृद्धि दर से कम रही है। तथापि ऐसा होने पर भी भारतीय टनभार से विदेशी मुद्रा की निवल आय/बचत होती रही है।

(ख) भारतीय टनभार में वृद्धि की दर पर निम्नलिखित कारणों से नीची रही :—

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन में मंदी।

(2) परिणामस्वरूप नौवहन कम्पनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति जिनमें से अनेक ऋण पर ब्याज भी नहीं दे पाई।

(3) भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा, बड़ी मात्रा में 1.95 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० तक के गैर-किफायती और पुराने जहाजों का स्क्रैपिंग करना।

(4) सातवीं योजना में रखे गए 670.47 करोड़ रु० के वित्तीय परिव्यय का 7.5 मिलियन जी० आर० टी० का भौतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए, अपर्याप्त होना।

(ग) जहाज अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) जहाज अधिग्रहण लाइसेंसिंग समिति (एस०ए०एल०सी०) के माध्यम से जहाज अधिग्रहण के लिए लाइसेंस देने की सरल तथा कारगर प्रक्रिया तैयार की।

(2) प्रतिस्थापित किए जाने वाले टनभार के 25% से अधिक के प्रतिस्थापन के लिए जहाज अधिग्रहण करने हेतु कम्पनियों को अनुमति दी।

(3) जहाज अधिग्रहण के लिए मूल्य/तकनीकी क्लिएरेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया।

(4) पुन: स्थापित की जा रही कम्पनियों की अतिरिक्त टनभार प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से इन कम्पनियों को निशुल्क विदेशी मुद्रा में से जहाज के मूल्य का 40% के मानदण्ड के मुकाबले 60% वित्त पोषण करने की अनुमति है।

(5) सरकार, जहाज की बिक्री और खरीद स्क्रैपिंग इत्यादि के क्षेत्र में और उदारीकरण किए जाने की सम्भावनाओं की लगातार समीक्षा कर रही है।

(6) 90 के दशक में जहाज उद्योग को, जहाज अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण हेतु आवश्यक पूंजी जुटाने में मदद देने के लिए आर्थिक रियायतें दी गई थीं। इन्हें संसद द्वारा प्रत्यक्ष कर कानून (वित्तीय संशोधन) अधिनियम, 1989 में पारित कर दिया गया था।

पारादीप पत्तन के कर्मचारियों की आवास समस्याएं

1184. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के कर्मचारियों के लिए आवास की गम्भीर समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना में पत्तन के कार्गो हैंडलिंग श्रमिकों और कर्मचारियों के आवास के लिए 6.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गंगटोक में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए एक्सचेंज सैट का उपलब्ध न होना

1185. श्री नन्दू थापा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगटोक में 500 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का काम एक्सचेंज सैट की अनुपलब्धता के कारण रुका पड़ा है।

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे चालू कराने के लिए इस एक्सचेंज सैट को कब तक उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) एक्सचेंज सैट उपलब्ध कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 के दौरान।

(ग) एक्सचेंज उपस्कर मन्जूर कर दिया गया है और मैसर्स आई० टी० आई० को इसका क्रय आदेश दे दिया गया है। उपस्कर की शीघ्र सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

चावल के पुआल का उपयोग

1186. श्री एडुआर्डो फलीरो :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के पुआल का उपयोग भिन्न-भिन्न कार्यों में किया जा सकता है;

(ख) क्या चावल के पुआल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या के समाधान और पशुओं के चारे के लिए किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) महोदय, धान के पुआल का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है जैसे—आहार, ईंधन, छप्पर बनाने, पैकिंग कागज और लुगदी, धान के पुआल की चटाइयां और बैग, रस्सी, स्ट्रा बोर्ड, कम्पोस्ट तथा विशेषीकृत वस्तुएं आदि।

(ख) और (ग) धान उगाने वाले कुछ क्षेत्रों में धान के पुआल का प्रयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। यूरिया के उपचार द्वारा इसके पोषक तत्वों और स्वादिष्टता को बढ़ाया जा सकता है। गांव में धान के पुआल पर थर्मल-पावर प्लांट बनाकर बिजली पैदा की जा सकती है।

मणिपुर की थोबाल बहुउद्देशीय परियोजना

1187. प्रो० मिजिनलंग कामसन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुई किसी दुर्घटना में मणिपुर की चालू थोबाल बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य को कोई क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की मूल लागत कितनी है और परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) केन्द्र में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) वर्ष 1980 में अनुमोदित 47.25 करोड़ रुपये की परियोजना की मूल रूप से अनुमानित लागत को अब राज्य सरकार ने संशोधित करके 138.84 करोड़ रुपये कर दिया है। सातवीं योजना के अन्त तक 41.85 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं तथा वर्ष 1990-91 के दौरान सम्भावित व्यय 18.37 करोड़ रुपये है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान।

बादा पोखरन, महाराष्ट्र में कृत्रिम तरीके से झींगा मछली को तैयार करने का स्थान

1188. **श्री राम नाईक :**

क्या कृषि मंत्री 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झींगा मछली कृत्रिम-उत्पादन केन्द्र को चालू करने के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस केन्द्र की संरचनात्मक मरम्मत और इसका परिष्करण कार्य पूरा करने हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) इसका निर्माण करते समय इसमें संरचनात्मक खामियों का अनुमान न लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दीपनगर में विभागेतर उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाना

1189. **श्री प्रेम प्रदीप :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागेत्तर उप-डाकघर को नियमित उप-डाकघर में बदलने सम्बन्धी मापदण्ड क्या है;

(ख) क्या बिहार के नालन्दा जिले में दीपनगर गांव में विभागेत्तर उप डाकघर को नियमित उप-डाकघर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) (i) प्रस्तावित उप-डाकघर के पास कम से कम पांच घंटे प्रतिदिन के बराबर अनुमानित कार्यभार होना चाहिए।

(ii) जबकि शहरी क्षेत्रों के प्रस्तावित विभागीय उप-डाकघरों से वित्तीय दृष्टिकोण से आत्म-निर्भर होने की आशा की जाती है, लेकिन उन्हें 2400 रुपये का घाटा अनुमत्य है (पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 4800 रुपये)।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नर्मदा जल का बंटवारा

[हिन्दी]

1190. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी के जल के बंटवारे के संबंध में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पानी पर अपने दावे के सम्बन्ध में संबंधित राज्यों द्वारा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष क्या तर्क दिए गए हैं; और

(ग) सम्बन्धित राज्यों द्वारा आबंटित जल के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार 75% विश्वसनीय प्राप्ति पर नर्मदा नदी के जल का आबंटन निम्नवत् है :

	मिलियन एकड़ फीट	मिलियन मीटर^3 (मि॰क्यू॰ मीटर)
मध्य प्रदेश	18.25	22511.00
गुजरात	9.00	11101.00
महाराष्ट्र	0.25	308.36
राजस्थान	0.50	616.74
	28.00	34537.10

(ख) गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने क्रमश: 22.02 मि॰ए॰फु॰ तथा 26.244 मि॰ए॰फु॰ जल का दावा किया है। जबकि चार राज्य महाराष्ट्र के लिए 0.25 मि॰ए॰फु॰ और राजस्थान के लिए 0.50 मि॰ए॰फु॰ जल आबंटित करने हेतु सहमत हो गए हैं, 28 मि॰ए॰फु॰ विश्वसनीय उपलब्धता में से 27.25 मि॰ए॰फु॰ शेष जल गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच आबंटित किया जाना था। इन दोनों राज्यों ने कृषि योग्य कमान क्षेत्रों की जल आवश्यकता को पूरी करने तथा घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल की मांग की है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अधिकरण ने अन्तिम पंचाट प्रस्तुत किया था।

(ग) वर्ष 1988-89 तक, सम्बन्धित राज्यों द्वारा आबंटित जल का उपयोग निम्नवत् है—

मध्य प्रदेश	2618.02 मिलियन घन मीटर
गुजरात	0.63 मिलियन घन मीटर
महाराष्ट्र	0.11 मिलियन घन मीटर
	2618.76 मिलियन घन मीटर=2.11 मि०ए०फु०

टेलीफोन मीटर लगाना

[अनुवाद]

1191. श्री सी० एम० नेगी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गलत बिल बनाए जाने के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन केन्द्रों में मीटर लगाने की बजाए टेलीफोन उपभोक्ताओं के घरों पर लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां, सरकार को उन टेलीफोन उपभोक्ताओं की समस्याओं का पूरा ध्यान है जिन्हें टेलीफोन के गलत बिल प्राप्त होते हैं। तथापि, ऐसे बिलों की संख्या कुल जारी किए गए बिलों की संख्या का लगभग 1 प्रतिशत ही है।

(ख) सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए शून्य है।

(ङ) इसका कारण यह है कि उपभोक्ता के परिसर में लगाने के लिए ऐसे मीटर का डिजाइन तैयार करना असंभव है जो किफायती भी हो और जिसमें हेरा-फेरी नहीं की जा सके।

विवरण

अधिक राशि के बिलों की शिकायतों को दूर करने के संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय

(क) (1) उपर्युक्त प्रकार की सभी शिकायतों को दूरसंचार जिला इंजीनियरों द्वारा सर्व-

प्रथम लिपिकीय गलतियों की जांच की जाती है और उसके बाद आंतरिक और बाह्य उपस्कर में तकनीकी दोषों की जांच की जाती है।

2. जिन उपभोक्ताओं के बिलों में पिछली छः द्विमासिक अवधियों के दौरान मीटर की गई कालों की संख्या 100 प्रतिशत से अधिक रिकार्ड हुई बताई जाती है उन्हें तुरन्त राहत देने के लिए यदि उपभोक्ता अनुरोध करें तो बिल को अलग-अलग कर दिया जाता है। और उससे उपर्युक्त छः बिलिंग अवधियों का औसत और उसका 10 प्रतिशत का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा जाता है। बकाया राशि को जांच को अन्तिम रूप दिये जाने तक स्थगित रखा जाता है।

3. कुछ मामलों में टेलीफोन को निगरानी में रखा जाता है ताकि मीटरिंग उपस्कर के कार्यकाल की जांच की जा सके और उपभोक्ता के कालिंग पैटर्न को सुनिश्चित किया जा सके।

4. मीटरिंग उपस्कर के कार्यकरण के बारे में विस्तृत जांच और विशेष अवसरों पर उपभोक्ता के परिसर में जाकर टेलीफोन की जांच की जाती है और फिर इस बारे में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

5. अधिक राशि के बिल संबंधी सभी शिकायतों पर सर्वप्रथम दूरसंचार जिला इन्जीनियर द्वारा निर्णय लिया जाता है और यदि उपभोक्ता उसके निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह उसके विरुद्ध निदेशक, दूरसंचार/मुख्य महाप्रबन्धक/महानिदेशक दूरसंचार के पास अपनी अपील भेज सकता है जहां मामले के गुणा व गुण के आधार पर समीक्षा करके निर्णय लिया जाता है।

(ख) उपभोक्ताओं के हितों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए है, वे इस प्रकार हैं:—

(I) ई-10 बी किस्म के आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में एस० टी० डी०/आई०एस०डी० का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए डायनेमिक सुविधा उपलब्ध है जिससे कोई और उसके टेलीफोन का दुरुपयोग न कर सके। उपभोक्ता इसका स्वयं इस्तेमाल कर सकता है जिससे विभागीय कर्मचारियों सहित अन्य लोगों द्वारा टेलीफोन के संभावित दुरुपयोग से बचा जा सकेगा।

(II) बिल बनाने की प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण करने का कार्य अधिकांश बड़ी प्रणालियों में पूरा हो चुका है और इसे समूचे देश में शुरू करने की कारंवाई की जा रही है।

(III) 1.12.1989 से ई-10 बी से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को निःशुल्क तौर पर एस०टी०डी०/आई०एस०टी० कालों का ब्यौरा दिया जाना है।

(IV) जब उपभोक्ता को टेलीफोन कालें उसकी सामान्य कालिंग दर से अधिक हो जाती हैं या जब वह अपने टेलीफोन पर अधिक राशि के बिल होने की शिकायत करता है तो टेलीफोन लाइनों को पर्यवेक्षाधीन रखना।

(V) मुख्य वितरण फ्रेम कक्षों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना और वितरण प्वाइंटों पर ताला लगाना।

(VI) मोबाइल सतर्कता दलों का गठन करना।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के यातायात को परिवर्तित करने के कारण सड़कों को हुई क्षति

[हिन्दी]

1192. श्री राघवजी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर घोड़ा-पचार पुल के टूट जाने के परिणामस्वरूप इस राजमार्ग के सम्पूर्ण यातायात को परिवर्तित करने के कारण सड़कों की हुई क्षति को पूरा करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तीस्ता बराज परियोजना

[अनुवाद]

1193. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता बराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार का परियोजना का 50 प्रतिशत लागत केन्द्र द्वारा वहन करने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया।

इराक की हिरासत में भारतीय नागरिक

1194. कुमारी उमा भारती :

श्री के० मुरलीधरण :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत पर इराक के आक्रमण के दौरान इराक ने कितने भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया; और

(ख) उन भारतीय नागरिकों को इराक की हिरासत से मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अगस्त, 1990 के शुरू में 507 भारतीय राष्ट्रिकों को हिरासत में लिया गया था और इराकी प्राधिकारियों के साथ जब हमने मामले को उठाया तो हमारे राष्ट्रिकों को रिहा कर दिया गया और बाद में उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया। तब से अन्य पच्चीस भारतीय राष्ट्रिक हिरासत में हैं और उन्हें रिहा तथा प्रत्यावर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1195. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या अडूर जिले में चदायमंगलम, ओडनावत्तम, आयंनकावु जैसे स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) चंदायमंगलम और आयंनकावु में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ओडनावत्तम में नया एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चंदायमंगलम और आयंनकावु स्थित एक्सचेंजों के 1992 के दौरान खोले जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में बाढ़/तूफान से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नष्ट हुए पुल

1196. **श्री के० एस० राव** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बाढ़/तूफान आदि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुल नष्ट हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी पुलों की मरम्मत कराने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कार्य की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए पुलों के निर्माण का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) आंध्र प्रदेश में मई, 1990 के दौरान बाढ़ों/चक्रवात के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेरह पुल/पुलियायें क्षतिग्रस्त हुई थीं।

(ख) जी हां। क्षतिग्रस्त पुलों/पुलियाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसमें होने वाला कुल अनुमानित खर्च लगभग 2.00 करोड़ रु० है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान नये पुलों का निर्माण, 8वीं पंचवर्षीय योजना के आकार पर निर्भर करेगा जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में मई, 1990 के दौरान यथा उल्लिखित बाढ़/चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुलों/पुलियाओं की सूची

क्रम सं०	रा०रा०सं०	ढांचे की अवस्थिति
1.	5	48/8 कि०मी (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड)
2.	5	253/8 कि०मी० (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड)
3.	5	269/4 कि०मी० (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड)
4.	5	273/2 कि०मी० (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड)
5—10.	5	अनाकापल्ली बाईपास मे 6
11.	5	18/4 कि०मी० (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड)
12.	5	47/4 कि०मी० (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड)
13.	5	86/10 कि०मी० (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड)

त्रिवेन्द्रम में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1197. श्री ए० चार्ल्स :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में मेडिकल कालेज में दस हजार लाइनों का एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, हां।

(ख) 10,000 लाइनों में से 5,000 लाइनों के मार्च, 1991 तक चालू हो जाने की संभावना है और बकाया 5,000 लाइनों को 1991-92 के दौरान चालू करने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु सहायता

1198. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन (केरल) से मदुरई (तमिलनाडु) तक पर्वतीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि के विकास में केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सेवाओं का उपयोग

1199. श्री बसुदेव आचार्य :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि विकास के लिए तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सेवाओं का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सेवाओं का उपयोग करके "राष्ट्रीय नलकूप संगठन" बनाने की व्यवहार्यता का भी आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करके कृषि संबंधी विकास के लिए भूजल अन्वेषण तथा विकास कार्यक्रम में सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित राज्य सरकारों/प्रयोक्ता अभिकरणों को पहले से ही सहायता प्रदान कर रहा है। पेयजल संबंधी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा स्रोत का पता लगाने हेतु बोर्ड की सेवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

(ख) और (ग) सरकार का "राष्ट्रीय नलकूप संगठन" बनाने का विचार नहीं है।

बवनथारी सिंचाई परियोजना

1200. **श्री शंकर मुंजारे :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवनथारी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस परियोजना पर वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस परियोजना से कुल कितनी भूमि पर सिंचाई की जाएगी और इससे कौन-कौन से जिले लाभान्वित होंगे; और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) राज्य सरकार को निवेश स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा इसे प्राथमिकता देनी है।

(ख) मध्य प्रदेश द्वारा 50 लाख रुपये तथा महाराष्ट्र द्वारा 6 लाख रुपये व्यय किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ग) परियोजना में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लगभग 18615 हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में 17537 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) परियोजना प्रारम्भिक चरणों में है।

टेलीफोन अदालत

1201. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1989 से 30 नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान गुजरात के जामनगर एवं अन्य जिलों में टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इन अदालतों को आयोजित करने के क्या नियम, विनियम तथा प्रक्रियायें हैं तथा यह मामलों एवं विवादों को निपटाने में किस प्रकार कार्य कर रहा है;

(घ) क्या ऐसी अदालतें दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जा रही हैं; और

(ङ) इन अदालतों के कार्यकरण के बारे में सरकार, सामान्य जनता एवं प्रेस की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 1 जनवरी, 1989 से 30 नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान जामनगर में शून्य, बड़ोदरा में दो, सूरत में एक और नाडियाड (खेडा) में भी एक टेलीफोन अदालत का आयोजन किया गया।

(ख) ऊपरलिखित चार अदालतों में—

157 मामलों पर विचार किया गया।

इनमें से 129 मामले सुलझाए गए।

(ग) ये नियम-विनियम संलग्न विवरण में दिए गये हैं। अदालतें संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रतिक्रिया सामान्य रूप से उत्साहजनक है।

विवरण

विभाग में टेलीफोन अदालत की संकल्पना का प्रारम्भ किसी निर्धारित तारीख को जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया था। प्रारम्भ में इसमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और कानपुर जैसे बड़े नगरों को ही शामिल किया जाना था। इन स्थानों पर टेलीफोन अदालतों के अनुभव परिणामों से यह महसूस किया गया कि अन्य क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय लेने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसी अदालतें तीन-तीन महीनों के अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं।

पीठ :

अदादलत की इस पीठ में एक महाप्रबंधक, और वित्त तथा इंजीनियरी दोनों की ओर से एक-एक सदस्य शामिल होते हैं। लोक शिकायत कक्ष (सेल) का प्रभारी (इंचार्ज) अनिवार्य रूप से एक सदस्य होता है।

कार्य-क्षेत्र :

अधिक राशि के बिल आने सम्बन्धी शिकायतें, टेलीफोन कनेक्शन/सहायक उपकरण प्रदान न करने/विलम्ब से प्रदान करने और विभिन्न कारणों से टेलीफोन का कट जाने जैसी सेवा सम्बन्धी शिकायतें, टेलीफोन अदालत के कार्यक्षेत्र में होंगी।

पद्धति :

टेलीफोन अदालत का आयोजन करने, उसके स्थान तथा समय और जनता से अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के नाम तथा पते का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। सामान्यतया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए जनता को लगभग 30 दिनों का समय दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभ्यावेदन करने वाले व्यक्तियों को निर्णय के बारे में उपयुक्त ढंग से सूचित

कर दिया जाता है अथवा उन्हें अदालत की कार्यवाहियों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है।

मूल्यांकन :

विश्लेषण सम्बन्धी प्रयोजनों और प्रणाली के दोषों पर यदि कोई हों, उपयुक्त उपचारात्मक कारंवाई करने के बारे में निर्णय लेने के लिए, विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई अदालतों के सत्रों की कार्यवाहियों का, दूरसंचार विभाग के मुख्यालयों में मूल्यांकन किया जाता है।

हरियाणा में डिज्नीलैंड परियोजना

1202. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री काशीराम राणा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार से हरियाणा में तथाकथित "डिज्नीलैंड" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव और किसानों के विरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को न तो प्रायोजित किया है और न ही इसके लिए वित्तीय सहायता दी है, इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीकर में सुपर फास्फेट और सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र

[हिन्दी]

1203. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीकर जिले में पाईराइट्स का विशाल भंडार मिला है;

(ख) क्या सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ पाईराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का इस जिले में एक सुपर फास्फेट एण्ड सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना को कब तक स्वीकृति देने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राजस्थान में पाइराइट्स तथा अन्य ऐसे ही संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु विभिन्न विकल्पों की सम्भाव्यता की जांच करते हुए पाइराइट्स फास्फेट्स तथा कैमिकल्स लि०, जोकि एक निजी क्षेत्र की कम्पनी है, ने हाल ही में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना की मंजूरी की कोई निश्चित तिथि अभी नहीं बताई जा सकती है।

दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच

[अनुवाद]

1204. **श्री राम सागर (सैदपुर) :**

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत छः माह के दौरान प्रदूषण फैलाने के लिए कितने वाहनों पर जुर्माना किया गया है; और

(ख) मोटर वाहन अधिनियम के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों को और सख्ती से लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ताकि दिल्ली को प्रदूषण-मुक्त बनाया जा सके ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार पिछले छह महीनों (जून, 90 से नवम्बर, 90 तक) के दौरान 1148 वाहनों का चालान किया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में वाहनों से नियमों का पालन करवाने के अलावा 87 वर्कशापों और पेट्रोल पम्पों की प्रदूषण जांच और ट्यूनिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत किया है। जुलाई और नवम्बर, 1990 के बीच इन केन्द्रों ने लगभग 1.05 लाख वाहनों की ट्यूनिंग की है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग ने लोगों को वाहन-प्रदूषण, स्वास्थ्य को खतरा तथा नियंत्रण की आवश्यकता से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधानों की जानकारी देने के लिए एक विज्ञापन अभियान भी शुरू किया है।

नेपाल के प्रधान मन्त्री का दौरा

1205. **श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मन्त्री ने इस वर्ष नवम्बर, में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस बातचीत में निम्नलिखित विषयों पर सहमति हुई :

नेपाल की पूरी पनबिजली क्षमता का पता लगाने के लिए एक व्यापक सम्मिलित सर्वेक्षण शुरू किया जाए तथा इसे विकसित करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए।

नेपाल में सम्भव सभी पनबिजली परियोजनाओं का व्यापक और समन्वित रूप से अध्ययन करने के लिए द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग की स्थापना जिससे दोनों देशों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके।

विशेषज्ञों के संयुक्त दल के माध्यम से समग्र कोसी नदी थाला की सम्भाव्यता का व्यापक अध्ययन शुरू करना।

पंचेश्वर परियोजना के लिए संयुक्त परियोजना प्राधिकरण की स्थापना।

नेपाल में ऐसी छोटी पनबिजली की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करना जो 3-4 वर्ष में तैयार हो जाएं और जिनमें इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि नदी के निचले हिस्से में अगर पानी कम हो जाए तो उसका क्या उपचार रहेगा।

नेपाल की पनबिजली परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए भारत के साथ सिद्धांत रूप में समझौता जिसके सम्बन्ध में कीमत के विषय में बातचीत करके तय करना होगा।

डीजल की कमी

1206. **श्री हरीश रावत** :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से परिवहन संगठनों ने डीजल की कमी पर चिन्ता व्यक्त की है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, हां। खुदरा विक्रेताओं को डीजल की आपूर्ति में कटौती लागू किए जाने पर बहुत-सी एसोसिएशनों ने विरोध प्रकट किया है।

(ग) 26 नवम्बर, 90 से 10% की कटौती को वापस ले लिया गया था और इस समय देश

भर में खुदरा विक्रेताओं को उसी स्तर पर आपूर्ति की जा रही है जैसी कि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में की गई थी। 10% की कटौती को वापस ले लिए जाने से परिवहन सेक्टर को काफी राहत मिली है।

राजनैतिक नेताओं के टेलीफोनों को चोरी-छिपे सुनने की घटनाएं

[हिन्दी]

1207. **श्री हर्ष वर्धन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनैतिक नेताओं के टेलीफोनों की चोरी-छिपे सुनने (टेप करने) के आरोपों की जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई है।

(ख) लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और वह टेलीफोन टेप करने के मुद्दे पर विचार कर रही है।

कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना

1208. **श्री रुद्र सेन चौधरी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आंदोलन के जरिए कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) और (ख) भारत सरकार 1988-89 से कमजोर वर्ग को सहकारी समितियों को सहायता के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। योजना में लाभप्रद रोजगार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों को सहकारी समितियों के संगठन की व्यवस्था है। प्रत्येक ऐसी सहकारी समितियों की परियोजना आधार पर 10,000.00 रुपये तक की शेयर पूंजी,, 20,000.00 रुपये तक की प्रबन्धकीय राजसहायता के रूप में सहायता दी जाती है जिसमें राज्य सरकारों से उसी अनुपात में योगदान किये जाने की व्यवस्था है। फिर भी, सहकारी रूप से कम विकसित उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में राज्य सरकार की तरफ से बराबर योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

फास्फेटयुक्त उर्वरकों की कमी

[अनुवाद]

1209. श्री वामनराव महाडीक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फास्फेटयुक्त उर्वरकों की भारी कमी है;

(ख) क्या अनेक उर्वरक संयंत्र बन्द कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) फोस्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन अधिकांश तौर पर आयातित सामग्री और मध्यवर्तियों पर निर्भर करता है। फास्फोरिक एसिड की उपलब्धता में कठिनाई के कारण इस आयातित इनपुट पर निर्भर अनेक डी०ए०पी० एककों ने अस्थायी तौर पर उत्पादन बन्द कर दिया है। एककों की सूची निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	डी० ए० पी० संयंत्र का नाम	बन्द होने की तारीख
1.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०, कांडला	29 दिसम्बर, 1990
2.	गुजरात इस्टेट फर्टिलाइजर कं०, सिक्का	1 नवम्बर, 1990
3.	गोदावरी फर्टिलाइजर कं०, काकिनाडा	2 नवम्बर, 1990
4.	जुआरी एग्रो केमिकल्स, गोवा	13 दिसम्बर, 1990
5.	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टि०, मंगलौर	26 नवम्बर, 1990
6.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, हल्दिया	31 दिसम्बर, 1990

चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान फोस्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में 20.25 लाख टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1989-90 के दौरान यह 17.96 लाख टन था।

सरकार मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात करती है।

बरेली बाई-पास का निर्माण

[हिन्दी]

1210. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर बरेली के निकट दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए बरेली में एक बाई-पास का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-24 पर बरेली के पास एक बाई-पास के लिए प्रस्ताव राज्य प्राधिकारियों द्वारा परियोजित किया गया है । तथापि, अभी उस पर निर्णय लेना समय-पूर्व है, क्योंकि आठवीं पंच-वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

देवरिया जिले में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना

1211. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता ।

(ग) देश में वर्तमान कृषि अनुसंधान के बुनियादी ढाचे के अन्तर्गत देवरिया जिले की कृषि समस्याओं का काम देखा जा रहा है ।

उड़ीसा में पेय-जल पूर्ति योजनाएं

[अनुवाद]

1212. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ योजनाओं के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है वे राज्य द्वारा वित्त पोषित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, कोरापुट मयूरभंज, फूलबनी जिलों और गंजम जिले के पांच खण्डों में मिनी मिशन परियोजना से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न भागों में लोह दूर करने के संयंत्र लगाने, जल एकत्र करने के ढांचे तैयार करने, जिला स्तर की प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) डानिडा (डेनिश इन्टरनेशनल डेवलेपमेंट एजेंसी) से सहायता प्राप्त परियोजना 41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 3096 गांवों के लिए कटक, बालासौर और पुरी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) समीक्षा से पता चला है कि पानी में लोह होने और उसके बाद लोह बैक्टीरिया विकसित होने और सल्फाइड द्वारा बैक्टीरिया कम हो जाने से कुएं का पानी मानव उपभोग के योग्य नहीं रहता। कभी-कभी दूसरे कामों के लिए पानी की अधिक निकासी के कारण उथले और गहरे क्षेत्रों से खारे पानी का रिसाव भी ट्यूबवैलों की असफलता का कारण बन जाता है। पहले के निष्पादित कार्यक्रम के असफल कुओं को पुन: चालू करने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन को पुन: चरणबद्ध करने हेतु अगस्त, 1990 में उड़ीसा सरकार और डानिडा के बीच एक करार हुआ था। ड्रिलिंग द्वारा व्यापक रूप से पानी का पता लगाना और पुराने कुओं को पुन: चालू करना परियोजना का मुख्य लक्ष्य होगा जिसे अप्रैल, 1991 से शुरू किया जाएगा।

नकली कीट नाशक

[हिन्दी]

1213. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम-बंगाल राज्यों में कीट नाशक और जिंक सल्फेट जैसे खेती के

काम आने वाले नकली रसायनों की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से कृषि प्रयोग के लिए नकली रसायनों की बिक्री के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 1989-90 के दौरान केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में बिहार और पश्चिम बंगाल के लिये कृमोनाशी दवाओं के क्रमश: 103 और 174 नमूनों की जांच की गई थी जिनमें से क्रमश: 17.5 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत नमूने कम स्तर के पाये गये थे। जिंक सल्फेट के संबंध में केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में बिहार राज्य से 51 नमूनों का विश्लेषण किया गया था और 31.4 प्रतिशत नमूने नकली पाये गये थे। पश्चिम बंगाल राज्य से उपरोक्त संस्थान में जिंक सल्फेट का कोई नमूना प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) नियमों और अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकारें, नकली कृषि रसायन बेचने वाले व्यापारियों और विनिर्माताओं के खिलाफ मुकदमा चलाती हैं। ये मुकदमें इन दो राज्य में विश्लेषण रिपोर्टों को गुणावगुण के आधार पर चलाये गये हैं। केन्द्र सरकार इन दो राज्यों के साथ-साथ अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर भी जोर देती रही है कि मण्डी में बेचे जाने वाले कृषि रसायनों की गुणवत्ता की निरन्तर जांच की जाये और जहां संभव हो उपयुक्त प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही की जायें। राज्य सरकारों के साथ हुए क्षेत्रीय सम्मेलनों में भी इस मुद्दे पर जोर दिया गया।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, बंगलौर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

[अनुवाद]

1214. श्री एच० सी० श्रीकण्तय्या :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, बंगलौर ने वर्ष 1990 में कर्नाटक में कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये;

(ख) इन कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और ये कार्यक्रम किन-किन स्थानों पर आयोजित किये गये;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कर्मचारियों द्वारा टिकटों के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने जनवरी से दिसम्बर, 1990 तक कर्नाटक में कुल 84 कार्यक्रम आयोजित किये।

(ख) और (ग) कुल 84 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से बंगलौर में 76 कार्यक्रमों का और मैसूर में 8 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों पर कुल 3,43,372,38 रु० खर्च हुए। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद् द्वारा 1990 में कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रमों की सूची

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	बंगलौर में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	मैसूर में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	बंगलौर में व्यय	मैसूर में व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	चेकोस्लोवाकिया से गुस्तव ब्राम जॉज बैंड	1	1	19,311.25 रु०	6,379.00 रु०
2.	यूनाइटेड किंगडम से शक्ति	2	—	2,509.10 रु०	—
3.	यूनाइटेड किंगडम से गिल्ड हाल स्ट्रिंग एनसेम्बल	1	—	13,250.00 रु०	—
4.	जर्मन लोकतांत्रिक जन गणराज्य से स्टेट बैले और गिटारवादकों का दल	1	—	17,122.50 रु०	—
5.	इंडोनेशिया से कठपुतली दल	1	—	890.00 रु०	—
6.	चीन से जिलिन पीकिंग ओपेरा	2	—	36,455.60 रु०	—

1	2	3	4	5	6
7.	नामीबिया से नृत्य संगीत मंडली-अफ्रीका की कला	1	1	14,096.00 रु०	856.75 रु०
8.	उगान्डा से थियेटर ग्रुप-अफ्रीका की कला	1	—	11,815.28 रु०	—
9.	मैडागास्कर से नृत्य संगीत की मण्डली-अफ्रीका की कला	1	—	13,050.10 रु०	—
10.	पोलिश संगीत दुओ	1	1	15,070.00 रु०	597.50 रु०
11.	अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह-आस्ट्रेलिया से दल	2	1	5,717.90 रु०	80.00 रु०
12.	अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह-श्रीलंका से दल	3	1	9,587.00 रु०	—
13.	अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह-चिली से दल	2	—	7,530.90 रु०	—
14.	संयुक्त राज्य अमरीका से मेसं क्यूनिंघम नृत्य कम्पनी।	2	—	26,329.00 रु०	—
15.	अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह-पोलैंड से दल	2	1	14,204.00 रु०	—
16.	अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह-स्वीडन से दल	2	1	10,756.50 रु०	2,300.00 रु०
17.	अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह-मेक्सिको से दल	1	—	10,285.00 रु०	—

1	2	3	4	5	6
18.	अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह—बुल्गारिया से दल	1	1	10,642.00 रु०	2,300,00 रु०
19.	अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह-सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से कीव बैले ग्रुप	2	—	50,737.00 रु०	—
20.	भारतीय कलाकार कार्यक्रम (नियमित साप्ताहिक गायन समारोह)	46	—	34,500.00 रु०	—
		76	8	3,30,859.13 रु०	12,513.25 रु०

कोचीन/जवाहर लाल नेहरू बन्दरगाह पर यानान्तरण (ट्रांशिपमेन्ट) टर्मिनल

[हिन्दी]

1215. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो बन्दरगाह से होकर पश्चिम तट पर लाए गए माल नौभार की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय विदेश व्यापार के लाभ को कोलम्बो जाने से रोकने के लिए कोचीन या जवाहर लाल नेहरू बन्दरगाह पर एक बड़े यानान्तरण टर्मिनल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक कोलम्बो या सिंगापुर टर्मिनल जैसा एक बड़ा यानान्तरण मिल जायेगा और उसकी प्रस्तावित स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) पश्चिमी तट पर हैंडल किए गए कंटेनर कार्गो के लगभग 18% का लदान कोलम्बो पत्तन से किया जाता है।

(ख) जवाहर लाल नेहरू पत्तन में एक कंटेनर टर्मिनल पहले से ही मौजूद है। आठवीं पंच-वर्षीय योजना में कोचीन में भी एक कंटेनर टर्मिनल विकसित किया जा रहा है। तथापि इन पत्तनों का ट्रांशिपमेंट टर्मिनल के रूप में विकास करना इन पत्तनों की ट्रैफिक आकर्षित करने की क्षमता और नौवहन लाइनों द्वारा अपने ट्रांशिपमेंट कंटेनरों को इन पत्तनों पर लाने की इच्छा पर भी निर्भर करता है।

(ग) कोचीन में कंटेनर टर्मिनल के 30 अप्रैल, 1991 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

दादरा और नगर हवेली में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

1216. श्री हरिभोहनभाई संकोभाई डेलकर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन विकास निगम बनाने के उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगम के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित पर्यटन मंत्रालय समूचे देश में पर्यटन का संवर्धन करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा संघ

शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में पर्यटन विकास निगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा

1217. श्री जोर्ज फर्नान्डीज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के चामराजनगर कस्बे में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय चलाये जा रहे हैं;

(ख) कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे और अधिक टेलीफोन कार्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दो।

(ख) एक लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर जिसे निकटतम ऑटो एक्सचेंज अर्थात् नान्जनगुड के साथ जोड़ा गया है।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थानीय एक्सचेंज को ऑटोमेटिक बनाने की योजना है जबकि और सार्वजनिक टेलीफोन घरों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

टेलीफोन केबलों की चोरी

[हिन्दी]

1218. श्री बालेश्वर यादव :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में टेलीफोन केबलों की चोरियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में दिल्ली में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जनवरी, नवम्बर, 1990 की अवधि के बीच दिल्ली के विभिन्न गांवों में केबिल चोरी के

84 मामलों को जानकारी मिली है ।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) केबिलों को गहराई तक बिछाना और संवेदनशील स्थानों पर केबिलों को कंकरीट द्वारा दबाया जाना ।

(दो) पुलिस प्राधिकारियों के साथ रात्रिकालीन पेट्रोलिंग आदि करने के लिए नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित करना।

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड की आंवला स्थित परियोजना का निर्माण

1219. श्री राजवीर सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड की आंवला स्थित परियोजना के निर्माण कार्य में तथाकथित कदाचारों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया है । उनसे रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

खट्टे लद्दाख में एस० टी० डी० सुविधा

1220. मोहम्मद हसन कमांडर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खट्टे लद्दाख (कारगिल लेह) में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक आरम्भ हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1991 तक ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

[अनुवाद]

1221. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्तर्राज्यीय जल विवादों के नाम क्या हैं तथा ये विवाद कब से लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन विवादों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या ऐसे विवादों का शीघ्र हल निकालना सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सुचारू बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइन विवादों को कब तक हल कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) उन विवादों के नाम क्या हैं जिन्हें मध्यस्थता हेतु भेजा गया था और यह कार्य किस तारीख को किया गया था ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क), (ख) और (ङ) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्राज्यीय अविशेष जल की जिम्मेदारी और कावेरी जल की हिस्सेदारी नामक दो विवादों को क्रमश: अप्रैल, 1986 तथा जून, 1990 में अधिकरण को भेजा गया है। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के अन्तर्गत माही बजाज सागर से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, एक अन्तर्राज्यीय बैठक शीघ्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। उसके अलावा पूर्व समझौतों को प्रतिपादित करने, अधिशेष जल की हिस्सेदारी आदि से सम्बन्धित कुछ अन्तर्राज्यीय मुद्दे भी हैं।

(ग) और (घ) राज्यों के बीच जल संसाधन सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय मुद्दों को सौहार्दपूर्ण रूप से शीघ्र हल करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक स्थायी समिति अप्रैल, 1990 में गठित की गई है।

प्रत्येक गांव पंचायत को टेलीफोन सुविधा

[हिन्दी]

1222. श्री के० सी० त्यागी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांव पंचायतों को टेलीफोन दिए जाने की सम्भावना है; और

(ख) गाजियाबाद में कितने गांव पंचायतों को यह सुविधा दिए जाने की सम्भावना है और कब तक ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 3000 ग्राम पंचायतों को 1990-91 के दौरान टेलीफोन प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

(ख) गाजियाबाद जिले में 608 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से अब तक 37 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यदि उपस्कर समय पर उपलब्ध हुआ तो बकाया 571 ग्राम पंचायतों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से यह सुविधा प्रदान कर दिए जाने की योजना है।

नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

[अनुवाद]

1223. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का मामला काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वर्तमान नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदलने और/अथवा एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) नागपुर में 10,000 लाइनों वाले मुख्य एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (ई 10 बी) में बदलने का कार्य 1-9-79 को पूरा हो चुका है।

(ख) 1990-91 में नागपुर टेलीफोन प्रणाली में परिवर्तन/विस्तार करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1. नागपुर ई-10बी मुख्य एक्सचेंज का 10,000 लाइनों से 17,500 लाइनों तक विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है।
2. सकर्धा में 3000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (आर० एल० यू०) की संस्थापना।
3. बी० आर० सी० ई० में 4000 लाइनों के ई 10-बी मुख्य एक्सचेंज की संस्थापना।
4. माडी में 1500 लाइनों के ई 10-बी मुख्य एक्सचेंज (आर० एल० यू०) का संस्थापना का कार्य चल रहा है।
5. ऐताबड़ी में 9900 लाइनों के एक्सचेंज को बदलने की योजना बनाई गई है।
6. हिंगना और काम्पली में मौजूदा एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना।

7. 3000 लाइनों के आई० सी० पी० क्रासबार टी० ए० एक्स० के स्थान पर 2000 लाइनों का डिजेटिल टी० ए० एक्स० का 2000 से 3000 लाइनों तक विस्तार।

चिल्का झील, उड़ीसा में मत्स्य पालन

1224. **श्री शिवाजी पटनायक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि चिल्का झील के मुहाने पर गाद भर जाने के परिणामस्वरूप वहां पर मत्स्य पालन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कीचड़ मिलाकर तथा अन्य उपाय करके झील के मुहाने को साफ करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) उड़ीसा सरकार ने, चिल्का झील के मुहाने पर गाद भर जाने और उसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के मछुआरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में नहीं बताया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को धनराशि आबंटित करना

1225. **श्री महेश्वर सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह): 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1990-91 के लिए आबंटन

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	जल एकत्रीकरण ढांचे	मिनी मिशन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2301.0	109.910	475.880
2.	अरुणाचल प्रदेश	417.0	0·000	133·660

1	2	3	4	5
3.	असम	1370.0	0.000	170.840
4.	बिहार	2710.0	6.465	743.380
5.	गोआ	0.50.0	0.000	205.980
6.	गुजरात	1464.0	150.360	683.430
7.	हरियाणा	867.0	5.520	197.500
8.	हिमाचल प्रदेश	640.0	0.000	442.720
9.	जम्मू और कश्मीर	1913.0	0.000	445.870
10.	कर्नाटक	2116.0	35.650	369.000
11.	केरल	1076.0	17.195	89.000
12.	मध्य प्रदेश	2547.0	131.880	274.990
13.	महाराष्ट्र	3063.0	14.395	357.430
14.	मणिपुर	308.0	0.000	36.860
15.	मेघालय	420.0	0.000	338.700
16.	मिजोरम	117.0	7.980	117.180
17.	नागालैंड	422.0	0.000	105.480
18.	उड़ीसा	1206.0	0.000	710.440
19.	पंजाब	383.0	42.718	165.130
20.	राजस्थान	3666.0	50.400	1234.570
21.	सिक्किम	372.0	0.000	414.980
22.	तमिलनाडु	1824.0	29.440	402.110
23.	त्रिपुरा	350.0	77.480	127.900
24.	उत्तर प्रदेश	4268.0	99.860	455.130
25.	पश्चिम बंगाल	1648.0	35.55	346.110
26.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	040.0	0.000	0.500
27.	चंडीगढ़	000.0	0.000	0.000

1	2	3	4	5
28.	दादर व नगर हवेली	012.0	0.000	0.000
29.	दिल्ली	013.0	0.000	0.000
30.	दमन व दीव	020.0	0.000	0.000
31.	लक्षद्वीप	010 0	25.820	211.860
32.	पांडिचेरी	026.0	45.000	0.000
	योग :	35639.0	884.228	9256.630

कटिहार जिले में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1226. श्री युवराज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कटिहार जिले के बेना प्रतापुर डिवीजन में, मनिहारी डिवीजन के मुंजबार में, तेलता डिवीजन के माधेपुर में और बारसोई डिवीजन के मलियाडोंगी घोष टोला में ग्राम डाक घर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये डाक घर इन गांवों में कब तक खोले जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कंटई में एस०टी०डी० सुविधा

[अनुवाद]

1227. श्री सुधीर गिरि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कंटई में एस०टी०डी० सुविधायें प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बारानी खेती परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता

[हिन्दी]

1228. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लिए 1984 में तैयार की गई बारानी खेती परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी सहायता धनराशि दी गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में सेहोर और भोपाल के जिलों में परुआ नाला पनधारा के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, पनधारा विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना के लिए 8.44 करोड़ रुपये (आठ करोड़ चवालीस लाख रुपये) की राशि उपलब्ध करायी गई है।

केरल में मात्स्यिकी बन्दरगाहों का निर्माण

[अनुवाद]

1229. प्रो० के० वी० थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सहायता से मात्स्यिकी बन्दरगाहों के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन बन्दरगाहों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सितम्बर, 1990 तक मात्स्यिकी बन्दरगाह परियोजना के निर्माण कार्य में हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

	मात्स्यिकी बन्दरगाह का नाम	प्रगति
1.	विजिन्जम (चरण-3)	मुख्य कार्यों के लिए टेन्डर दे दिए गए हैं।
2.	पुथियप्पा	जल-रोध बांध का निर्माण प्रगति पर है।
3.	चंगसेरी	जल-रोध बांध के निर्माण के लिए आवश्यक पत्थरों की खान के चयन के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई है।

4.	मुनम्बम	उप-मृदा की छानबीन और परीक्षण प्रगति पर है।

(ख) भारत सरकार के बजट अनुमान में परियोजनावार/राज्यवार मात्स्यिकी बन्दरगाहों के लिए निधि का आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर निर्भर करते हुए व्यय के केन्द्र के शेयर को राज्य सरकार के लिए समय पर निर्मुक्त कर दिया जाता है।

पंजाब में कृषि क्षेत्र का विकास

1230. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में वर्ष 1990 –2000 के दौरान कृषि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी अनुमानित धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) पंजाब सरकार पंजाब में कृषि के समेकित विकास के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

(ख) योजना की तैयारी अभी आरम्भिक स्तर में है। अतः अनुमानित आवंटन के निश्चित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

नारियल को तिलहन घोषित करना

1231. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री के० मुरलीधरन :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

श्री ए० विजयराघवन :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नारियल को तिलहन घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है और यह कब से प्रभावी हुई है; और

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप नारियल उत्पादकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हमने सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों को दिनांक 15-10-90 के इस विभाग के पत्र संख्या 14-21/87—सी० ए०। (एच० ए०) से नारियल को वृक्ष-मूलक तिलहन के रूप में घोषित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान नारियल उत्पादकों को, नारियल को तिलहन के रूप में घोषित किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त लाभ नहीं पहुंचेगा। तथापि, 1990-91 के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के विकास के लिए चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नारियल विकास बोर्ड कार्यक्रम

1990-91 के दौरान बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. रोपण सामग्री का उत्पादन।

2. नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार।

3. नारियल की उत्पादकता को बेहतर बनाना।

4. प्रमुख कीटों और रोगों का समेकित नियंत्रण।

नारियल के, कटाई के बाद के संसाधन तथा विपणन को बेहतर बनाने के लिए नारियल टैक्नोलोजी विकास केन्द्र।

6. एक प्रचार तथा प्रसार एकक स्थापित करना।

7. सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन।

इन योजनाओं पर संक्षिप्त नोट नीचे दिये गये हैं :—

1. रोपण सामग्री का उत्पादन

इस परियोजना का उद्देश्य, बीज उद्यानों तथा सन्तति फलोद्यानों की स्थापना के जरिए तथा अन्य सहायता उपायों को अपनाकर नये रोपण तथा रोपणाधीन नियमित कार्यक्रम के लिए अपेक्षित संकर किस्मों सहित गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन बढ़ाना है। इस परियोजना के आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं :—

(क) नारियल की टी×डी संकर किस्म की पौधों का उत्पादन एवं वितरण

यह एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सम्भाव्य क्षमता वाले क्षेत्रों में रोपण के नियमित कार्यक्रम के लिए अपेक्षित टी×डी संकर किस्म की पौदों का उत्पादन व वितरण करके देश में नारियल की अनुवंशिक क्षमताओं में सुधार करना है। यह कार्यक्रम वर्ष 1990-91

में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जारी रखा जाएगा। केरल के लिए 50,000 और कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए 25,000 पौदों का उत्पादन करने का लक्ष्य है। वर्ष 1990-91 के लिए बोर्ड का अनुमानित व्यय 10,500 लाख रुपये है। यह व्यय कुल व्यय का 50 प्रतिशत है।

(ख) तमिलनाडु में 100 हैक्टेयर क्षेत्र में संकर बीज उद्यानों की स्थापना और 12 मवांवर्ती परीक्षण केन्द्र

चूंकि टी × डी की संकर किस्में, फील्ड स्थितियों के तहत साधारण पौदों और यहां तक टी × डी की संकर किस्मों के पौदों से भी बेहतर पाई गई हैं, अतः इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की दृष्टि से बोर्ड ने तमिलनाडु में एर्नाकुलम में एक बीज उद्यान स्थापित किया। अभी तक 40 हैक्टेयर क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार के पौदे लगाए जा सके हैं। शेष क्षेत्र में वर्ष 1990-91 के दौरान पौदे रोपे जाएंगे और रोपित क्षेत्र बनाया जाएगा। इसमें बोर्ड का अंशदान 3.00 लाख रुपये है। यह कुल व्यय का 50 प्रतिशत है।

(ग) बोर्ड के मुख्यालय के साथ संलग्न एक बीज अधिप्राप्ति एकक की स्थापना करना

इस प्रस्ताव का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धतियों पर विकसित अपेक्षित पौदों के गुणवत्ता वाले बीजों की अधिप्राप्ति और सप्लाई में विभिन्न राज्य सरकारों और एजेंसियों की सहायता करना है। यह अधिप्राप्ति रोग मुक्त माने जाने वाले स्थानों और चुनिंदा पाम के प्रजनक वृक्षों से की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और यह वर्ष 1990-91 के दौरान भी जारी रहेगा। बोर्ड केवल स्थापना और प्रचालनात्मक संबंधी लागत को वहन करता है जो अनुमानतया 1.000 लाख रुपये बैठती है।

(घ) नारियल प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और त्रिपुरा राज्यों में पांच नारियल प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए गए थे। कर्नाटक में फार्म क्षेत्र 20 हजार हैक्टेयर था, जबकि अन्य सभी प्रत्येक राज्य में यह 40 हैक्टेयर था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता वाली पौद रोपण सामग्री के विश्वसनीय स्रोतों का विकास करना और नारियल जोतों में उन्नत किस्म की पद्धतियों को शुरू करने की उपयोगिता का प्रदर्शन करना था। यह कार्यक्रम 1900-91 के दौरान भी जारी रहेगा और आठवीं योजना के अन्त तक पहले से ही स्थापित सभी फार्मों के उत्पादक चरण में पहुंच जाने की आशा है। इसके अलावा, कर्नाटक में 120 हैक्टेयर क्षेत्र में एक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए प्रारम्भिक प्रचालन कार्य वर्ष 1989-90 के दौरान पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और ये कार्य जारी रखे जाएंगे। ये कार्यक्रम सीधे ही बोर्ड द्वारा चलाए जाएंगे और इनके लिए वर्ष 1990-91 का बजट अनुमान 55.00 लाख रुपये है।

(ङ) प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्मों के साथ संलग्न नारियल की पौदशालाएं

विभिन्न राज्यों में स्थापित बोर्ड के प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्मों से स्थानीय और संकर किस्मों के पचास हजार उन्नत गुणवत्ता वाले पौदों का उत्पादन एवं इनका वितरण किया जा रहा है। यह कार्य एक लाख पौदों के वांछित उत्पादन लक्ष्य के साथ जारी रहेगा। यह योजना, न हानि न लाभ के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। बीजों की लागत सहित स्टाफ को वेतन देने और अन्य

प्रचालनात्मक व्ययों के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 7.000 लाख रुपये की एक धनराशि प्राप्त की गई है।

2. नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार

आठवें दशक से ही भारत में नारियल के तहत क्षेत्र में लगभग स्थिरता बनी रही है। केवल 1985 से ही देश के अधिकतर नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल के तहत आने वाले क्षेत्र में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। देश में नारियल उत्पादों की कुल उपलब्धता बढ़ाई जानी होगी ताकि नारियल उत्पादकों की बढ़ती हुई घरेलू मांगों की पूर्ति की जा सके। चूंकि, उत्पादकता सुधार उपाय अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने पर आधारित है, अत: ये नारियल का उत्पादन करने के पारम्परिक क्षेत्रों में ही लागू किये जाते है, जहां मौजूदा जोतों से उत्पादकता प्राप्त करने की सीमा है। एक उचित समय सीमा के भीतर नारियल उत्पादकों का उत्पादन और उपलब्धता के लिए पारम्परिक और गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार करना एक बहुत ही विश्वसनीय उपाय है। इस उद्देश्य के साथ, नारियल विकास के लिए योजना कार्यक्रम में देश में नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार करने को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है।

यह परियोजना वर्ष 1982 से 14 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वित की गई थी और इस परियोजना की उपलब्धि यह रही कि लगभग 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती का विस्तार किया गया जिससे लगभग 60,000 छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचा। इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि नारियल के वृक्षों के फल देने की अवस्था तक पहुंचने तक इनके लिए प्रति हैक्टेयर 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के निवेश की आवश्यकता होती है, अत. इस कार्यक्रम के तहत किसानों को विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की एक प्रोत्साहन सब्सडी दी गई थी।

वर्ष 1990-91 के दौरान 2400 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 4[illegible] लाख रुपये की कुल व्यय की आवश्यकता होगी और इस व्यय में पिछली सब्सिडी का भुगतान भी शामिल होगा। यह व्यय पूर्ण रूप से बोर्ड द्वारा वहन किया जाना है।

3. भारत में नारियल की उत्पादकता में सुधार

कई कारणों से भारत के पारम्परिक नारियल उत्पादक राज्यों विशेषकर केरल राज्य में नारियल की उत्पादकता या तो स्थिर रही है या इसके कमी की प्रवृत्ति रही है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार घटक हैं--धीमी गति से पुराने और अनुत्पादक नारियल के वृक्षों को हटाना, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, व्यापक रूप से फैले रोग विशेषकर कि जड़ मुर्झान रोग, अपर्याप्त शस्त्र विज्ञानीय प्रबन्ध और एकक जोतों से आय और रोजगार बढ़ाने के लिए नारियल जोतों का अनुचित उपयोग। निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाकर नारियल की उत्पादकता में महत्वपूर्ण सफलता पाने की अपेक्षा है।

(क) उत्पादकता में सुधार के लिए केरल में नारियल की छोटी जोतों में समेकित खेती

यह एक सतत कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केरल में नारियल की छोटी जोतों की उत्पादकता में सुधार करना है जो मुख्यत: जड़ मुरझान बीमारी से प्रभावित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक प्रचालक घटकों जैसे उन्नत रोपण सामग्री, सिंचाई, बहु-किस्मों की खेती, इत्यादि को नारियल की उत्पादकता सुधारने के लिए समेकित प्रणाली के रूप में अपनाया जाएगा। वर्ष 1990-91 के दौरान

500-500 हैक्टेयर के चुनिन्दा एककों के 10,000 हैक्टेयर में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। नारियल विकास बोर्ड की वित्तीय प्रतिबद्धता 10.500 लाख रुपये की है जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत होगा।

4. मुख्य कृमियों तथा रोगों का समेकित नियंत्रण

(क) पत्तों को खाने वाली सूण्डी का समेकित नियंत्रण

नारियल के एक गम्भीर कृमि अर्थात पत्ती खाने वाली सूण्डी के जैविक नियंत्रण के लिए एक योजना केरल तथा उड़ीसा में 1987-88 से लागू है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुलीकरण के लिए परजीवी प्रजनक प्रयोगशालाओं की स्थापना करना तथा प्रभावित नारियल बगीचों में परजीवियों को छोड़ना था। वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा 1 मिलियन परजीवियों के प्रजनन तथा बहुलीकरण द्वारा इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। इसके लिए धन व्यवस्था 50 : 50 के आधार पर बोर्ड तथा लागू करने वाले राज्यों द्वारा की जाएगी। बोर्ड का हिस्सा 2.00 लाख रुपये का है।

5. फसल प्राप्ति के बाद नारियल के परिसंस्करण तथा विपणन में सुधार के लिए नारियल टेक्नोलाजी विकास केन्द्र

यह एक पहले से चल रही परियोजना है तथा यह नारियल क्रीम विनिर्माण नारियल के तेल के परिसंस्करण तथा पैकिंग के लिए मार्गदर्शी प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र, को सुदृढ़ बनाने तथा समेकित नारियल काम्प्लेक्स की स्थापना करने आदि के उद्देश्य से 1990-91 के दौरान यह जारी रखी जायेगी। इसके अन्य घटक नारियल ताड़के भागों को उपयोग करने वाले दस्तकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आधुनिक टेक्नोलाजी के प्रयोग से सम्बन्धित परिसंस्करण एककों को प्रोत्साहन देना, निम्नतम स्तरों पर खोपरा तैयार करने के लिए किसान संगठनों को प्रोत्साहन देना इत्यादि हैं। इस योजना का कार्यान्वयन सीधे बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा 1990-91 के लिए बजट प्रावधान 20 लाख रुपये का है।

6. प्रकाशन तथा प्रचार एकक का गठन

प्रकाशन एकक, जो बोर्ड के मुख्यालयों में पहले से ही काम कर रहा है, अगली योजना अवधि के दौरान जारी रहेगा और इसे अधिक मजबूत बनाया जाएगा। विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं के प्रकाशन, पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं तथा अन्य तदर्थ प्रकाशनों का उत्पादन, प्रदर्शनियो तथा प्रशिक्षण का आयोजन, मेलों, बाजारों इत्यादि तथा अन्य विस्तार कार्यकलापों में भाग लेने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों विशेषकर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के समूहों में रोजगार पैदा करने के लिए बेरोजगार युवकों को नारियल ताड़ पर चढ़ने तथा पौध संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण देने के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। शुरू में यह कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया था और अन्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। वर्ष 1990-91 के लिए 10.00 लाख रुपये की कुल धनराशि प्रदान की गई है।

7. सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन

सर्वेक्षण, विपणन अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययम तथा देश में नारियल की खेती तथा उद्योग से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 1990-91 के दौरान भी जारी

रहेगा। यह सीधे बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। 1990-91 के लिए 1.00 लाख रुपये का बजट अनुमान है।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार धन का आवंटन

(कुल धनराशि रुपये में)

1.	केरल	47,00,000.00
2.	कर्नाटक	19,72,500.00
3.	तमिलनाडु	12,75,000.00
4.	आन्ध्र प्रदेश	4,73,000.00
5.	गोआ	1,14,000.00
6.	त्रिपुरा	7,59,000.00
7.	उड़ीसा	4,75,000.00
8.	महाराष्ट्र	1,73,000.00
9.	मध्य प्रदेश	6,50,000.00
10.	असम	6,53,000.00
11.	पश्चिम बंगाल	2,00,000.00
12.	गुजरात	1,15,000.00
13.	मणिपुर	12,000.00
14.	बिहार	11,42,500.00
15.	पांडिचेरी	20,000.00
16.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	75,000.00
		1,28,09,000.00

उक्त वर्ष के नारियल विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 140.09 लाख रुपये के बजट प्रावधान में से 128.09 लाख रुपये विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिए गए हैं। शेष 12.00 लाख रुपये की धनराशि बोर्ड के प्रकाशन तथा विस्तार क्रियाकलापों, सर्वेक्षणों तथा मूल्यांकन अध्ययनों इत्यादि के लिए नियत की गई है।

लेंडी परियोजना

1232. डा० वेंकटेश काबड़े :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में लेंडी परियोजना के लिए और अधिक धनराशि के आबंटन हेतु महाराष्ट्र अथवा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) जल के उपयोग तथा लागत के बंटवारे के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राज्यीय समझौते पर पहुंचने के पश्चात संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों को सलाह दी गई है।

"उल्फा" द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप करने का तथाकथित अनुरोध

1233. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री गंगाचरण लोधी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 दिसम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "उल्फा मूवज यू० एन० फार रिकगनिशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि उल्फा ने यह निर्णय किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप करने तथा असम को देश से पृथक करने के लिए अपने मामले की वकालत करने का अनुरोध किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विशिष्ट रूप से यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र "ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो अनिवार्य रूप से किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में आते हों।" भारत के आन्तरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य है।

पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

1234. श्री कमल चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार

को पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) पंजाब और हरियाणा में अलग-अलग कितनी सड़कों को अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी हां। इन प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण-1 में स्पष्ट की गई है।

(ग) पंजाब और हरियाणा में अब तक घोषित किए गए कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए पंजाब तथा हरियाणा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की सूची।

(क) पंजाब

क्रम सं०	प्रस्ताव	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	रा०रा० 1-क पर 70.125 से 72.675 कि०मी० तक (मुकेरियां कस्बा) में चौड़ा करके 4 लेनों का निर्माण	5 जुलाई, 1989 को स्वीकृति दी गई।
2.	रा०रा०-15 पर 24.34 कि०मी० से 26.50 कि०मी० तक (दीनानगर कस्बा) तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	10 अगस्त, 1990 को स्वीकृति दी गई।
3.	रा०रा०-1 पर 212.200 कि०मी० से 252.250 कि०मी० तक (हरियाणा/पंजाब सीमा से सरहिन्द तक) चौड़ा करके चार लेन बनाना।	इस परियोजना को सम्भव वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
4.	रा०रा०-21 पर 0.00 कि०मी० से 1.68 कि०मी० तक (जिरकापुर से चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सीमा तक) को चौड़ा करके चार लेन से छः लेन तक बनाना।	संशोधन के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को 13 जुलाई, 1990 को वापस कर दिया।

1	2	3
(ख) हरियाणा		
	1. रा०रा०-1 पर 130.00 कि०मी० से 131.17 कि०मी० तक को चौड़ा करके चार लेन बनाना।	19 सितम्बर, 1988 को स्वीकृति दे दी गई थी।
	2. रा०रा०-2 पर 37.3 कि०मी० से 93.8 कि०मी० तक (बल्लभगढ़-मथुरा खंड) को चौड़ा करके चार लेन बनाना।	3 जुलाई, 1990 को स्वीकृति दे दी गई थी।
	3. रा०रा०-10 पर 34.60 कि०मी० से 68 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	इसके संरेखण कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और राज्य लोक निर्माण विभाग को परियोजना प्रस्तुत करनी है।
	4. रा०रा०-8 पर 36.635 कि०मी० से 74.00 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	—तदैव—
	5. रा०रा०-1 पर 132.675 कि०मी० से 212.161 कि०मी० तक (करनाल से पंजाब/हरियाणा सीमा) चौड़ा करके चार लेन बनाना।	इस परियोजना को सम्भव वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
	6. रा०रा०-10 पर 252.400 कि०मी० से 259.850 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	9.3.90 को स्पष्टीकरण हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग को वापस किया गया।
	7. रा०रा०-22 पर 40 कि०मी० से 45/3 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	राज्य लोक निर्माण विभाग को औचित्य-करण के लिए 10.4.90 को वापस किया गया।
	8. रा०रा०-10 पर 130.00 कि०मी० से 132.00 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	राज्य लोक निर्माण विभाग को संशोधन हेतु 18.4.90 को वापस किया गया।
	9. रा०रा०-10 पर ढोंग क्रासिंग पर 233.25 कि०मी० से 233.750 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	राज्य लोक निर्माण विभाग को संशोधन हेतु 2.10.90 को वापस किया गया।

1	2	3
10.	रा०रा०-10 पर 259.850 कि०मी० से 261.00 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना।	राज्य लोक निर्माण विभाग को संशोधन हेतु 25.10.90 को वापस भेजा गया।
11.	रा०रा०-10 पर 68 से 69 कि०मी० तक को चौड़ा करके चार लेन बनाना।	राज्य लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विवरण-2

पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में रा०रा० के रूप में घोषित की गई सड़कों की सूची

राज्य का नाम	रा०रा०सं०	मार्ग
1	2	3
पंजाब	1	दिल्ली—अम्बाला—जालन्धर—अमृतसर—भारत/पाक सीमा
	1 ए	जालन्धर—माधोपुर—जम्मू—बनिहाल—श्रीनगर—बारामूला—उड़ी
	10	दिल्ली—फाजलका—भारत/पाक सीमा
	15	पठानकोट—अमृतसर—भटिण्डा—गंगानगर—बीकानेर—जैसलमेर—बाड़मेर—समाख्याली
	20	पठानकोट-मण्डी
	21	चण्डीगढ़—रोपड़—बिलासपुर—मंडी—कुल्लू—मनाली के निकट रा०रा०-22 के साथ जंक्शन
	22	अम्बाला—कालका—शिमला—नरकांडा—रामपुर—चीनी—भारत/तिब्बत सीमा जो शिपकिला के निकट है।

1	2	3
हरियाणा	1	दिल्ली—अम्बाला—जालन्धर—अमृतसर—भारत/पाक सीमा
	2	दिल्ली—मथुरा—आगरा—कानपुर—इलाहाबाद—वाराणसी—मोहनिया—बरही—पालसिट—बैद्यबाड़ी—कलकत्ता।
	8	दिल्ली—जयपुर—अजमेर—उदयपुर—अहमदाबाद—बड़ोदरा—बम्बई
	10	दिल्ली—फाजलका—भारत/पाक सीमा
	22	अम्बाला—कालका—शिमला—नरकांडा—रामपुर—चीनी भारत/तिब्बत सीमा जो शिपकिला के निकट है।

धारा तेल की बिक्री

1235. श्री बाबूभाई मेघजी शाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान धारा मूंगफली तेल की कम सप्लाई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान प्रतिमाह राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा इसके किए गए उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) गत तीन महीनों के दौरान धारा मूंगफली तेल की आपूर्ति तथा बिक्री में वृद्धि हुई है। पिछले महीनों की तुलना में गत 3 महीनों में धारा मूंगफली तेल की बिक्री नीचे दी गई है :—

गत 3 महीनों में

सितम्बर 1990	3877 मीटरी टन
अक्तूबर 1990	4255 मीटरी टन
नवम्बर 1990	4310 मीटरी टन

पिछले 4 महीनों में

मई 1990	3010 मीटरी टन
जून 1990	3413 मीटरी टन
जुलाई 1990	3947 मीटरी टन
अगस्त 1990	3814 मीटरी टन

आंध्र प्रदेश में सड़कों का निर्माण

1236. श्री के० चोक्का राव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को सातवीं, योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से कितनी धन-राशि आबंटित की गई है और प्रतिवर्ष उसे कितनी राशि दी गई;

(ख) आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक उन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए पेश की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार को सातवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से आबंटित और रिलीज की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	आवंटित निधियां (लाख रु०)	(लाख रु०) रिलीज की गई निधियां
1985-86	115.00	115.00
1986-87	100.00	130.00
1987-88	90.00	46.26
1988-89	8.00	7.39
1989-90	13.50	4.49
	326.50	303.14

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 8वीं योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	योजना की सं०	लागत करोड़ में
(I) भारी यातायात वाले राज्यीय राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों का विकास	264	199.61
(II) सड़क सुरक्षा के इंजीनियरिंग पहलू जिनमें यातायात जंकशन इत्यादि का सुधार शामिल है।	17	8.32
(III) अनुसंधान और विकास और डाटा बेस का विकास।	5	3.92
(IV) राज्य क्षेत्र सड़क विकास कार्यक्रम तैयार करना।	42	35.65

(V) भारी सघनता वाले मार्गों को सुदृढ़ करके निवारक अनुरक्षण	24	23.00
(VI) राजमार्ग इंजीनियरों का प्रशिक्षण	1	3.15
कुल :	353	273.65

विवरण

क्रम सं०	कार्यों का ब्यौरा	मार्च, 1990 तक खर्च (लाख रु० में)
1	2	3
1.	खम्माम जिले में सी०डी० कार्यों और संरक्षण कार्यों समेत मारेडुमेली—चिंतूर सड़क घाट खंड का स्तर बढ़ाना।	34.84
2.	हैदराबाद में लो०नि०वि० में अनुसंधान स्टेशन में विस्तार करना।	9.49
3.	पुलियाओं के निर्माण सहित 0/0 मि०मी० से 48/0 कि०मी० तक सीताराम पुरम से कोनापल्ली तक सड़क का निर्माण।	49.97
4.	वालामानाडू पेडालंका सड़क (डब्ल्यू०जी० जिला) को मिलाने के भीमावासम इलूरू पाडू सड़क पर इलूरुपाडू के निकट अपटेरु पर पुल का निर्माण।	157.55
5.	नैल्लूर जिले में गुडाली और मैथू के बीच स्वर्णमुखी नदी पर काजवे का निर्माण।	55.11
6.	तानुकू टाऊन के निकट विजयवाड़ा विशाखा-पत्तनम सड़क के 132/8 मि०मी० को जोड़ने वाली प्रस्तावित संपर्क सड़क पर जी० एण्ड वी० नहर पर संपर्क मार्गों समेत पुल का निर्माण।	15.20

1	2	3
7.	वारंगल और करीम नगर जिले के मुख्यालय में आजम नगर गांव को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क का निर्माण ।	102.33
8.	कुर्नूल कस्बे की सीमा में चित्तूर कुर्नूल सड़क के 360/2 कि०मी० पर हुन्डरी नदी पर एक नए पुल का निर्माण ।	65.96
9.	6/0 कि०मी० से 14/055 कि०मी० तक और 0/0 कि०मी० के 4/380 कि०मी० तक वाहापाले में आजमनगर दीपघर को जोड़ने वाली सड़क सहित नायडुपेट डुग्गी-राजापत्तनम सड़क से श्रीहरिकोटा तक सड़क का निर्माण ।	47.2[illegible]
10.	महबूब नगर जिले में अडोनी गढ़वाल सड़क बरास्ता येमीगन्नूर पर नगूलाडिने के निकट तुंगभद्रा पर संपर्क मार्गों सहित एक पुल का निर्माण ।	0.5[illegible]
11.	कुड्डापा में क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना ।	4.22

शुल्क मुक्त दुकानों का विस्तार

1237. श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के पास अपनी शुल्क मुक्त दुकानों की श्रृंखला का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) चार्टर उड़ानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम की वर्तमान विस्तार योजना में गोआ हवाई अड्डे के आगमन हाल में एक नई शुल्क मुक्त दुकान खोलना और इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली, पर निगम की मौजूदा शुल्क मुक्त दुकान का विस्तार करना शामिल है ।

विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

1238. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक परियोजना-वार, विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) इनके कब तक पूरे होने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) राजस्थान की तीन निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं बाह्य सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहायता की मात्रा	परियोजना की समाप्ति की तारीख/ऋण समाप्ति की तारीख	प्रगति
	एफ० आर० जी०			
1.	राजस्थान लघु सिंचाई परि-योजना	डी० एम० 15 मिलि०	31-12-93	17 में से 5 उप परियोजनाओं का मूल्य निर्धारण किया गया और विदेशी निधि अभिकरण द्वारा अनुमोदित की गई। अन्य उप-परियोजनाओं पर कार्य जारी है।
	सी० आई० डी० ए०			
2.	राजस्थान कृषि जल विकास अनुसंधान परियोजना	कनेडियन डालर 57.54 मिलियन	31-12-95	परियोजना कार्यान्वयन पर प्रारम्भिक कार्य हाल ही में शुरू हुआ है।
	जापान (ओ०ई०सी०एफ०)			
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए इंजीनियरिंग सेवा	येन 84 मिलियन	27-3-93	परियोजना कार्यान्वयन पर प्रारम्भिक कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।

केरल में नये तार मण्डल स्थापित करना

1239. श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नये तार मण्डल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के कोरबा और मुंगेरी में टेलीफोन केन्द्रों और तार घरों का कार्यकरण

[हिन्दी]

1240. श्री रेशम लाल जांगड़े :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कोरबा और मुंगेरी टेलीफोन केन्द्रों एवं बिलासपुर के तारघरों के कार्यकरण के खिलाफ जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) कोरबा टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में जनवरी से दिसम्बर, 1990 तक लिखित रूप में 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुंगेरी टेलीफोन एक्सचेंज के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। तार सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपस्कर के जीर्णोद्धार और अनुरक्षण, अतिरिक्त टेलीफोन आपरेटरों की तैनाती, भूमिगत केबिल आदि में ऊपरी संरेखन को बदलने जैसी उपयुक्त कारंवाई शुरू कर दी गई है।

कोरबा एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोरबा मैनुअल एक्सचेंज को 2000 लाइनों की क्षमता के सी-डॉट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदले जाने का प्रस्ताव है लेकिन ऐसा उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

1241. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 15 दिसम्बर, 1990 तक महाराष्ट्र की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ परियोजनाएं कोल्हापुर जिले की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है तथा इससे कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) राज्य सरकार को 14 वृहद और 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है। इसके अतिरिक्त, दो मध्यम परियोजनाओं पर, केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को अनुपालना हेतु टिप्पणियां भेजी हैं। 2 वृहद और 2 मध्यम परियोजनाओं की संशोधित रिपोर्टें हाल ही में प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) उरना और दुधगंगा नामक दो वृहद परियोजनाएं तथा जंघामहट्टी नामक एक मध्यम परियोजना कोल्हापुर जिले में हैं।

(घ) परियोजनाओं को निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार को उरना और जंघामहट्टी पर वन स्वीकृति तथा दुधगंगा पर वन एवं पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, राज्य को जल विज्ञान की पुनरीक्षा करना तथा जंघामहट्टी पर पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी अपेक्षित है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत किराये पर ली गई बसों को हटाया जाना

1242. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 27 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5066 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिणामों की इस बीच जांच कर ली गई है तथा यह निर्णय ले लिया गया है कि यह आदेश दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों पर किस तरह लागू होगा;

(ख) क्या यह दिल्ली परिवहन निगम की ही एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह दिल्ली में तीव्र-गामी परिवहन व्यवस्था प्रदान करे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बसों की बढ़ती हुई भीड़भाड़ को कम करने तथा मुम्बई और कलकत्ता के दैनिक यात्रियों की तुलना में दिल्ली के दैनिक यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) इलाहाबाद

उच्च न्यायालय का निर्णय मार्च, 1987 में दिया गया था जब मोटर वाहन अधिनियम, 1939 लागू था। उपर्युक्त अधिनियम के स्थान पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लागू किया गया है। इस बात को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामों की जांच को जारी नहीं रखा गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बम्बई और कलकत्ता शहरों से विपरीत दिल्ली के यात्रियों के लिए उपलब्ध यात्री परिवहन का मुख्य साधन बस सेवा है। दिल्ली परिवहन निगम यात्रियों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया है। तथापि, इसने सातवीं योजना के दौरान अपने बेड़े में 360 बसें जोड़ीं और अपने बेड़े के उपयोग तथा वाहन-उपयोग में भी सुधार किया। दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर तीव्रगामी जल-परिवहन प्रणाली शुरू करने के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन की रिपोर्ट अब शहरी विकास मन्त्रालय के पास है जो सम्बन्धित मुख्य मन्त्रालय है।

डाक और तार विभागों के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति

[हिन्दी]

1243. श्री थान सिंह जाटव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा डाक और तार विभाग के कार्यकरण की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या देश में डाक और तार सेवाओं के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या शिकायतों को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) डाक और तार विभाग के कार्यकरण की जांच के लिए इस समय किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है।

तथापि, देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबन्ध के लिए दूरसंचार विभाग ने उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके ब्यौरे तथा विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दी गई अधिसूचना में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सेवाओं के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जैसे ही और जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच की जाती है तथा जरूरत हुई उनको दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) डाक विभाग में भी मुख्यालयों, सर्किल, क्षेत्रीय और मण्डलीय तथा राजपत्रित प्रधान डाकघर स्तर पर संगठित जन शिकायत निवारण मशीनरी उपलब्ध है। सेवाओं के विरुद्ध शिकायतों को देश के किसी भी डाकघर में प्रस्तुत किया जा सकता है जो, इन शिकायतों को संबंधित कार्यालयों को निःशुल्क भेजते हैं। हाल ही में सर्किल मुख्यालय में तिमाही आधार पर डाक अदालतों का गठन किया गया है जो जनता की शिकायतों की व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई करती है।

दूरसंचार में भी शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक (जन शिकायतों) के अधीन एक विशेष जन शिकायत कक्ष पहले से ही काम कर रहा है।

विवरण

भारत सरकार

संचार मन्त्रालय

दूरसंचार आयोग

संचार भवन, 20 अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
दिनांक, 19 दिसम्बर, 1990

अधिसूचना

विषय :—दूरसंचार सेक्टर के पुनर्गठन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन।

संख्या-2-1/90--टीसीडी : देश के आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एकता के लिए दूरसंचार एक प्रमुख आधारभूत संरचना है। जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं और दूरसंचार का व्यापक रूप से, विस्तार करने के साथ-साथ उच्च टेक्नोलॉजी प्रारम्भ करने की दिशा में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिये एक अति सशक्त ढांचे की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इसलिए अप्रैल, 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लि० और मई, 1989 में दूरसंचार आयोग का गठन किया गया था। तथापि, इन दो अलग-अलग ढांचों से कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं जिन पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि समूचे संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की जाये और आगामी दशक में दूरसंचार सेवाओं के प्रबन्ध के लिये अति उपयुक्त ढांचा तैयार करने के बारे में सरकार को सलाह दी जाये। अतः सरकार ने इन मामलों की जांच करने तथा इनसे सम्बन्धित सिफारिशें देने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :—

1. डा० एम० बी० अत्रेय, प्रबन्ध विशेषज्ञ	अध्यक्ष
2. श्री वी० कृष्णामूर्ति, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष	सदस्य
3. श्री एस० जी० पित्रोडा, अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग	सदस्य

4. श्री एन० विट्ठल, सदस्य
सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग

5. श्री एच० पी० बागले, सदस्य
सदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग

6. श्री एम० पी० शुक्ला, सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, महानगर टेलीफोन निगम लि०

7. श्री पी० बी० देसाई, सदस्य
महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

8. श्री ओ० पी० गुप्ता, सदस्य
श्रमिक प्रतिनिधि

9. श्री एम० आर० पई, सदस्य
उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि

3. समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :—

—देश में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर दूरसंचार सेवाओं के प्रबन्ध के लिए दूरसंचार विभाग के उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करना :—

(क) प्रचालन कार्य क्षमता और ग्राहक सेवा/संबंधी का उन्नयन।

(ख) सारे देश में उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन की बढ़ती हुई जरूरतों को संतुलित और सुगत तरीके से पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवाओं की अवसंरचना का विकास

(ग) उत्पादकता में सुधार और प्रौद्योगिक परिवर्तनों की शुरूआत।

(घ) विद्यमान और मूल्यों से जुड़ी नई दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रभावी नियामक ढांचे की स्थापना।

(ङ) दूरसंचार कर्मचारियों के औद्योगिक सौहार्दता और कार्य की गुणवत्ता में सुधार।

(च) दूरसंचार क्षेत्र के वृहद विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उपयुक्त संसाधन जुटाना।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने और अन्य सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार की वचनबद्धता।

4. समिति अपनी सिफारिशें करते समय विशेष तौर से दूरसंचार आयोग के अधीन विद्यमान व्यवस्था की समर्थता और कमजोरियों, सरकारी विभाग और एम० टी० एन० एल० युक्त वर्तमान ढांचे, कर्मचारियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव सहित उनकी स्थिति, वैकल्पिक माडल और संबंधित वित्तीय तथा अन्य निहितार्थों, आवश्यक सेवाओं के बारे में जनता के प्रति जवाबदेही तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखेगी। समिति द्वारा सुझाए गए ढांचे में विभाग और फील्ड कार्यालयों को दी जाने

वाली शक्तियों के बीच उचित संतुलन और संसद के सम सरकार के उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी नियन्त्रण बरकरार रखने पर जोर दिया जाना चाहिए।

5. समिति अपने कार्यों में किसी भी अन्य अधिकारी अथवा एजेंसियों की सहायता ले सकती है। समिति अपनी रिपोर्ट 20-2-1991 तक प्रस्तुत करेगी।

6. समिति के गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 5-9-1990 के उनके का० ज्ञा० सं० एफ 6 (26) इ-1/59 के अनुसार यात्रा भत्ता तथा अपना कार्य चलाने के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं पाने के हकदार होंगे।

ह०/-

(बी० एन० भागवत)

अवर सचिव, भारत सरकार

डाक जीवन बीमा के आजीवन पॉलिसी धारकों को अन्तिम भुगतान

[अनुवाद]

1244. **श्री कृपाल सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक जीवन बीमा के कितने आजीवन पॉलिसी धारकों की आयु अस्सी वर्ष से अधिक हो गई है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों ने पूरे पैंतीस वर्ष तक बीमा किश्त का भुगतान किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों की इतनी आयु को देखते हुए और सरकार को कोई वित्तीय हानि पहुंचाये बिना अन्तिम भुगतान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को अन्तिम भुगतान कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 924 आजीवन बीमा पॉलिसीधारकों ने 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) ऐसे 924 व्यक्तियों ने पूरे 35 वर्षों का प्रीमियम अदा कर दिया है।

(ग) मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार प्रीमियम की अदायगी के लिए आजीवन बीमा पालिसियों के मामलों में 80 वर्ष की आयु पूरी होने या 35 वर्षों का प्रीमियम अदा करने पर पॉलिसी समाप्त हो जाती है। ऐसे मामलों में भुगतान केवल बीमांकिक की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाता है। यह स्थिति जारी रहनी चाहिए क्योंकि कान्ट्रेक्ट की शर्तों में कोई भी परिवर्तन व्यवहार्य नहीं है।

(घ) चूंकि प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है अतः बीमांकिक को भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

होल्कर साइंस कालेज, इन्दौर का स्मारक डाक टिकट जारी करना

[हिन्दी]

1245. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार होल्कर साइंस कालेज, इन्दौर के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष में कोई स्मारक डाक टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) स्मारक/विशेष डाक टिकटें जारी करने के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए विभाग में एक फिलैटलिक सलाहकार समिति काम करती है। होल्कर साइन्स कालेज, इन्दौर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था लेकिन समिति ने इस पर अपनी सिफारिश नहीं दी।

फल्गु नदी द्वारा भू-कटाव

1246. श्री ईश्वर चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भूमि कटाव को रोकने के लिए, फल्गु नदी पर एक बांध बनाने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक विभाग के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में बिना यात्रा किए छुट्टी यात्रा रियायत का भुगतान

1247. श्री छेदी पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक विभाग के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में बिना यात्रा किये छुट्टी यात्रा रियायत के भुगतान की व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजनार्थ परिवार के सदस्यों की संख्या तथा यात्रा की अधिकतम दूरी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यात्रा छुट्टी रियायत प्राप्त करने के लिए निर्धारित अधिकतम दूरी सभी उपक्रमों में एक समान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) मद्रास फर्टिलाइजर लि० और पारादीप फास्फेट्स लि० को छोड़कर उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों में एल० टी० सी० के नकद भुगतान का प्रावधान है।

(ख) जी, हां।

(ग) एल० टी० सी० के नकद भुगतान में प्रावधानों में अन्तर है क्योंकि मजदूरों के साथ मजदूरी समझौते और अधिकारियों के लिए किए गए वेतन संशोधन सभी उपक्रमों के लिए एक समान नहीं है।

गुजरात में मात्स्यिकी बन्दरगाहों का विकास

[अनुवाद]

1248. श्री जी० के० शेखड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात समुद्रीय बोर्ड ने गुजरात में जखाऊ और मंगरोल मात्स्यिकी बन्दरगाहों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री अयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (घ) जखाऊ—गुजरात समुद्री बोर्ड ने जखाऊ में मत्स्यन बन्दरगाह के विकास के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, गुजरात सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय तटीय मात्स्यकी इंजीनियरी संस्थान ने दिसम्बर, 1990 में परियोजना सम्बन्धी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह व्यवहार्यता रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रदान करे। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जाएगी।

मंगरोल

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मंगरोल में मत्स्यन बन्दरगाह विकसित की गई है। मत्स्यन कार्यकलाप में वृद्धि होने के कारण गुजरात सरकार ने चरण-2 में बन्दरगाह का विस्तार शुरू करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। राज्य सरकार केन्द्रीय तटीय मत्स्यन इंजीनियरी संस्थान के परामर्श से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है।

टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

1249. श्री पी० एस० सईद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने डिजिटल इलेक्ट्रानिकी टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) गैर-इलेक्ट्रानिक परम्परागत एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ग) पुराने एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे;

(घ) क्या सामान्य उपभोक्ताओं को भी गुप्त कोड प्रयोग कर एस०टी०डी० नियंत्रण सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) गुप्त कोड के चयन और इसके पंजीकरण के लिए क्या प्रभार शुल्क निर्धारित किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दिल्ली में 34 डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज जिसमें 10 मुख्य और 24 रिमोट लाइन यूनिटें (आर० एल० यू०) शामिल हैं, काम कर रहे हैं।

(ख) गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या 23 है।

(ग) वर्ष 2010 ई० तक सभी पुराने इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक कार्य प्रणाली में बदले जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी हां।

(ङ) गतिशील एस० टी० डी० नियंत्रण सुविधा अब बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के सभी ग्राहकों के लिए बढ़ाई जा रही है।

तमिलनाडु में शीतागार भण्डारण एकक

1250. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में किसानों और मछुआरों की सहायता के लिए अनेक शीतागार भण्डारण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"कांट्रैक्ट कैरिज" परमिटधारकों का "स्टेज कैरिज" के रूप में वाहन चलाना

1251. श्री नन्दलाल मीणा :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी सूचना की ओर दिलाया गया है, जिसमें दिल्ली में "स्टेज कैरिज" के रूप में अपने वाहन चलाने के बारे में "कांट्रैक्ट कैरिज" परमिटधारकों को आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने "कांट्रैक्ट कैरिज" परमिटधारक अपनी बसों को "स्टेज कैरिज" के रूप में चलाते हुए पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि स्टेज कैरिज रूटों पर कंट्रैक्ट कैरिज बसों के प्रचालन के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 50 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। पांच परमिट होल्डरों को वास्तव में दोषी पाया गया है और दो महीने की विस्तारित अवधि के लिए उनके परमिट बन्द कर दिये गये थे। शेष मामलों की दिल्ली प्रशासन में जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के विपणन मुख्यालय को अन्यत्र ले जाना

1252. डा० असीम बाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के विपणन मुख्यालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की अप्रैल-मई, 1988 में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच० एफ० सी० के मार्केटिंग मुख्यालय के स्थानान्तरण हेतु अप्रैल-मई, 1988 में सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई थी।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

1253. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एम० राकेश :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन के विकास के लिए उठाए गए कदमों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) इस संबंध में खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक शुरू किए और पूरा किए गए कार्य का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए वर्तमान वर्ष की योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, देश में पर्यटन का संवर्धन प्रेस, टेलिविजन, सेमिनारों, सम्मेलन, प्रचार साहित्य, पोस्टर, फिल्म, श्रव्य-दृश्य आदि के माध्यम से करता है। गत तीन वर्षों में प्रकाशित प्रचार सामग्री की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

विवरण-1

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री और उस पर खर्च की गई राशि का विवरण

महाराष्ट्र		1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 के दौरान
1.	बाम्बे मेट्रोसिटी गाइड ब्रोशर	5.74 लाख रुपये
2.	अजंता एलोरा ब्रोशर	5.95 लाख रुपये
3.	पश्चिम पर जनरल ब्रोशर	
4.	पश्चिमी क्षेत्र का मानचित्र	1.25 लाख रुपये
5.	निर्देशिकाएं औरंगाबाद-अजंता-एलोरा	2.30 लाख रुपये
6.	फोल्डर	2.55 लाख रुपये

7.	पोस्टर एलोरा पर्व एलीफेंटा पर्व गणेश पर्व	2.25 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश

1.	फोल्डर : दिल्ली-आगरा-जयपुर	24.00 लाख रुपये
2.	उत्तर क्षेत्रीय ब्रोशर	2.98 लाख रुपये
3.	निर्देशिकाएं आगरा-वाराणसी-इलाहाबाद, देहरादून मसूरी-हरिद्वार-ऋषिकेश कुमायूं-रानीखेत-कार्बेट	8.59 लाख रुपये
4.	पर्व : विजिट इंडिया इयर 1991 के हेतु प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय योग सप्ताह पर फोल्डर और पोस्टर	2.83 लाख रुपये
	अन्तर्राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल	1.88 लाख रुपये
5.	फिल्म : गंगा व्हाइट वाटर पर्व, योग फिल्म मथुरा-फतेहपुर सिकरी, भारतपुर-डीग आगरा जहां पर पौराणिक कथाएं जीवंत हो जाती हैं।	7.45 लाख रुपये
6.	मानचित्र : उत्तर भारत का क्षेत्रीय मानचित्र	1.25 लाख रुपये

विवरण-2

महाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश के संबंध में परियोजनाओं/स्कीमों का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	खोपली में मार्गस्थ सुविधाएं	पूरी हो गई है।
2.	महाराष्ट्र हेतु ट्रेकिंग उपकरण	पूरी हो गई है।
3.	शेगांव में यात्री निवास	प्रगति पर है।
4.	एलीफेंटा द्वीप पर शेट बन्दर जेट्टी को सुदृढ़ करना	पूरी हो गई है।
5.	गणपति फुले में समुद्र तट कुटीरें बीबी का मकबरा, औरंगाबाद की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	पूरी हो गई है।

1	2	3
6.	जल क्रीड़ा उपकरण	पूरी हो गई है।
	उत्तर प्रदेश	
1.	फतेहपुर सीकरी में पर्यटक परिसर	पूरी हो गई है।
2.	औली (जोशीमठ) में कुटीरें	प्रगति पर है।
3.	फतेहपुर सीकरी में ट्यूबवेल	पूरी हो गई है।
4.	कार्बेट, दुधवा और चिल्हा हेतु मिनी बसें और हाथी	पूरी हो गई है।
5.	मथुरा में पर्यटक बंगला	प्रगति पर है।
6.	गोमती नदी में जल क्रीड़ा	पूरी हो गई है।
7.	इलाहाबाद में यात्री निवास	प्रगति पर है।
8.	धनगढी में फारेस्ट लाज	प्रगति पर है।
9.	कोसी रेस्तरां में नवीकरण	पूरी हो गई है।
10.	कोसी में पर्यटक परिसर	पूरी हो गई है।
11.	कुंभ मेला इलाहाबाद में फास्ट फूड काउंटर	पूरी हो गई है।
12.	गढ़वाल हिमालय में 10 एफ०आर०पी० कुटीरों का निर्माण	पूरी हो गई है।
13.	महराजपुर कानपुर जिले में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	प्रगति पर है।
14.	फतेहपुर रोशनाई कानपुर जिले में मार्गस्थ सुविधाएं	प्रगति पर है।
15.	वाराणसी घाटों का विकास/सुधार	प्रगति पर है।
16.	इलाहाबाद में नेहरू घाटों का विकास	प्रगति पर है।
17.	गढ़वाल क्षेत्र हेतु ट्रैकिंग उपकरण	प्रगति पर है।
18.	नौ स्थान पर जन-सुविधाएं	प्रगति पर है।
19.	सहारनपुर में मैंगो फेस्टिवल	पूरी हो गई है।
20.	योग फेस्टिवल	पूरी हो गई है।

विवरण-3

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित स्कीमों को प्राथमिकता प्रदान की गई है

महाराष्ट्र

1. कोयानगर करला (बौद्ध परिपथ) में पर्यटक परिसर
2. औरंगाबाद में विजिटर्स केन्द्र
3. पूना में मेले एवं त्यौहार/ग्रामीण हस्तकला केन्द्र
4. लाठर में यात्री निवास
5. टेंटेड आवास
6. जल क्रीड़ा उपकरण
7. अतिरिक्त टेंटों की खरीद
8. एलीफेंटा और, बाम्बे हार्बर क्रूसों में आने-जाने के लिए केटरमरान

उत्तर प्रदेश

खुर्जा

सीतापुर

औरिया

खागा

कलिंजर

ललितपुर

पिपरहवा

बेबर (मणिपुर जिला)

अलीगढ़

रामगढ़

कुमायं क्षेत्र में मुक्तेश्वर

प्रेमपुर

जसोदा

मितरसेनपुर

मुरादनगर

हमीदपुर

मंगलोर

ब्रिजघाट

जसवंत नगर

बदायूं में बबराला

मुहम्मदाबाद

घटियाघाट में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं

2. बिठूर गंगा नदी के पास बिपौसी नजफगढ़ एयरोड्राम चकेरी के पास (फतेहपुर और कानपुर के बीच में) पर्यटक परिसर

3. शामली में फास्ट फूड काउंटर

4. हरिद्वार में यात्री निवास

5. दुधवा नेशनल पार्क में फारेस्ट लाज

6. आगरा दुर्ग में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन

मिजोरम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1254. डा० सी० सिलवेरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में इस समय प्रत्येक श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मिजोरम में 1991 और 1992 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कुछ कनेक्शन जारी करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मिजोरम में प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मिजोरम

ओवाईटी	=119
गैर-ओवाईटी	=326
गैर-ओवाईटी विशेष	= 88
	533

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मिजोरम राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किए गए विस्तार कार्यक्रम में 1994 तक मौजूदा प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाया जाना शामिल है। 31.3.1995 तक मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

केरल स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में "ग्रुप डायलिंग" प्रणाली

1255. **श्री के० मुरलीधरन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को "ग्रुप डायलिंग" प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा;

(ख) क्या केरल राज्य के कोजीखोड जिले में पेराम्बरा, बालूसेरी और थमारासेरी स्थानों पर एस०टी०डी० की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीज का आयात

1256. **डा० विप्लव दास गुप्त :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नई बीज नीति के अन्तर्गत थोक में बीज का आयात करने की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या इस नीति के प्रति कोई पर्यावरण संबंधी आपत्तियां उठाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कृषि अनुसंधान सेवा वैज्ञानिकों के मंच ने यह आशंका व्यक्त की है कि पर्याप्त संगरोध और संगरोध के बाद के उपायों के बिना बीजों का भारी मात्रा में आयात करने से देश में कृमि, रोगजनक और खरपतवार आ सकते हैं जो भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीज विकास सम्बन्धी नई नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी विचार किया जाता है। बीज विकास सम्बन्धी नई नीति में पर्याप्त पौध संरक्षण और

संगरोध के प्रावधान की व्यवस्था है ताकि विदेशी कृमियों और रोगों को देश में प्रवेश करने से रोका जा सके ।

गैर सरकारी कोरियर सेवाओं पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

1257. प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी डाक सेवाओं के समानान्तर चल रही गैर-सरकारी कोरियर सेवाओं के कारण डाक विभाग को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी कोरियर सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं । प्राइवेट कोरियरों द्वारा अपनी सेवाओं के एवज में अर्जित किए गए धन को डाक विभाग के राजस्व में घाटे के तौर नहीं माना जा सकता है क्योंकि डाक विभाग ऐसे मामलों में कोई सेवा प्रदान नहीं करता है और कोई लागत भी प्राप्त नहीं होती है ।

(ख) और (ग) उपरोक्त "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मेडक संसदीय चुनाव क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करना

[अनुवाद]

1258. श्री एम० बागा रेड्डी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडक संसदीय चुनाव क्षेत्र के जहीराबाद, नारायणखेड, सदासिवपेट, जोगीपेट और येल्लारेड्डी स्थानों के लिए स्वचालित इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, हां । जहीराबाद, नारायण खेड, सदासिवपेट, जोगीपेट और येल्लारेड्डी में उत्तरोत्तर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का कार्यक्रम है ।

(ख) और (ग) (i) जहीराबाद में भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है । (ii) नारायणखेड और जहीराबाद में क्रमश: 1991-92 और 1992-93 के दौरान, जोगीपेट में 1993-1994 के दौरान, सदासिवपेट में 1992-93 के दौरान तथा येल्लारेड्डी में 8वीं योजना अवधि

के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाएंगे बशर्तें कि उपस्कर उपलब्ध हों।

आटो रिक्शा के मीटरों का पुन: अंशाकन

1259. **श्री रवि नारायण पाणि :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आटो-रिक्शा ड्राइवरों ने लगातार दो बार किराए में वृद्धि होने के बावजूद अपने मीटरों का पुन: अंशाकन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनके मीटरों का पुन: अंशाकन करने हेतु अंतिम तारीख निर्धारित करने का है; और

(ग) सरकार ने दिल्ली में आटो-रिक्शा के दोषपूर्ण मीटरों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 28.12.1990 तक 41,489 आटो-रिक्शाओं के किराया मीटरों का पुन: अंशाकन किया गया है।

(ख) किराया मीटरों के पुन: अंशाकन की अन्तिम तारीख 7.11.1990 को समाप्त हो गई है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के निदेशालय का प्रवर्तन स्टाफ उन आटो रिक्शाओं के खिलाफ एक अभियान चला रहा है जो अब भी पुन: अंशाकित मीटरों के बगैर चल रहे हैं।

नौसैनिक अधिकारियों को सेवा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिया जाना

1260. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारियों को सेवा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा का पर्याप्त अनुभव रखने वाले अधिकारियों को एम०ओ०टी०-II और एम०ओ०टी०-I श्रेणी के भाग-क से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया भारतीय नौसेना के इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों पर लागू नहीं होती;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस विसंगति को दूर करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां 1986 से।

(ख) जी हां, तथापि, ऐसे अधिकारियों को इस प्रयोजन के लिए सीमित परिक्षाएं देनी पड़ती हैं।

(ग) भारतीय नौसेना की इंजीनियरी शाखा के अधिकारियों को, जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होती है इस परीक्षा के भाग क से छूट प्राप्त है। जिन अधिकारियों के पास इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होती है उन्हें इस परीक्षा के भाग क के कुछ खंडों के मामले में ही छूट प्राप्त है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा "केवल महिलाओं के लिए" बस सेवा का रद्द किया जाना

1261. **श्री केशरी लाल :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक महीने के दौरान दक्षिण दिल्ली से दिल्ली परिवहन निगम की "केवल महिलाओं के लिए" चलने वाली अनेक बसों को रद्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) "केवल महिलाओं के लिए" बसों को पुनः चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) दक्षिण दिल्ली से शुरू होने वाली 406 महिला स्पेशल ट्रिपों में से केवल दो महिला स्पेशल ट्रिप रद्द किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय टर्मिनल और सी०पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी बसंत विहार के बीच चलने वाले 18.05 बजे के ट्रिप तथा केन्द्रीय टर्मिनल से नेहरू प्लेस तक के बीच चलने वाले 17.45 बजे के ट्रिप को सर्वेक्षण-रिपोर्टों के आधार पर रद्द किया गया था, जिनसे कम यातायात आने का पता लगा था।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच सीधी दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

[हिन्दी]

1262. **श्री कल्पनाथ सोनकर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली परिवहन निगम की एक विशेष बस चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के बस रूटों के मौजूदा नेटवर्क में इन स्थानों के बीच, रास्ते में पड़ने वाले प्वाइंटों पर बस बदलने की सुविधाओं के साथ लिंक की व्यवस्था है। बेड़े के अभाव के कारण इस समय दि०प०नि० के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच नई सेवा शुरू करना संभव नहीं है।

भद्रक उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1263. श्री मंगाराज मलिक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भद्रक क्षेत्र और अन्य भागों में दूर संचार के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) भद्रक में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) भद्रक की टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है और निकट भविष्य में कितनी और लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) भद्रक क्षेत्र और उड़ीसा के अन्य भागों की विकास योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 56.

(ग) भद्रक के एम०ए०एक्स० एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता 800 लाइनों की है। उपस्कर उपलब्ध होने पर 1991-92 के दौरान वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाकर 928 और अधिक लाइनें जोड़ने की योजना है।

विवरण

(क) (i) 91-92 के दौरान भद्रक में वर्तमान मैक्स-II के स्थान पर एक 2048 पोर्ट आई०एल०टी० एक्सचेंज को चालू करने का प्रस्ताव है।

(ii) दूरसंचार जिलों में आठवीं योजना के दौरान प्रमुख विकास योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. कटक-4 के० ई० 10बी 2 के आर०एल०यू० डिजोटल टैक्स/तिलसीपुर का 1 के० आर०एल०यू० 1 पारादीप में 1 के० आर०एल०यू०/जगतपुर में 1 के०आर०एल०यू०/चौद्वार में 0.5 के० आर०एल०यू०।

2. भुवनेश्वर ई-10बी एक्सचेंज 2के० ई० (5-7के०) और (7-11के०) मनचेसवार में 1.5 के० आर०एल०यू०/पुरी में 2के० आर०एल०यू०।

3. बरहामपुर 4 के०ई० 10 बी मेन।

4. रूरकेला 4 के०ई० 10-बी मेन और रूरकेला शहर में 2-के० आर०एल०यू०।

5. संबलपुर 1 के०ई० (3के०-4के०) बारगढ़, बोलनगीर, भवानी पटना और झारसुगुडा में 16 पी० 2048 पी० आई०एल०टी०।

6. बालासोर-बालासोर में 2.5 के०सी० डाटा और बारीपड़ा में 1.5 के०सी०-डाट तथा क्योंझर में 2048 पी०आई०एल०टी०।

7. कोरापुट-जेसोर में 2048 पी०आई०एल०टी०।

8. धेनकनाल-धेनकनाल क्योंझर और अंगुल में 2048 पी०आई०एल०टी०।

(iii) कटक क्षेत्र और उड़ीसा के अन्य भागों के सभी इलेक्ट्रामकेनीकल ग्रामीण एक्सचेंजों के स्थान पर 128 पी०सी०-डाट/64 पी० एम०आई०एल०टी० एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है और आठवीं योजना के दौरान सभी जी०पी० मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। सभी उपमण्डल मुख्यालयों/पर्यटन केन्द्रों/तीर्थ स्थानों तथा 5000 लाइनों और इससे अधिक क्षमता वाले एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की योजना पहले से बनाई गई है।

करनाल में नया कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करना

1264. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का करनाल में राष्ट्रीय डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान के अति निकट एक नया कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई परियोजना पर लगभग कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री अयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी यह निर्णय लिया गया है कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय को, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत काम कर रहा है इस संस्थान से अलग

कर दिया जाय और उसे करनाल स्थानान्तरित कर दिया जाय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास जो 60 एकड़ भूमि है उसे निदेशालय के नाम कर दिया गया है। इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

त्रिपुरा में विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण

1265. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के (रक्षा) सर्वेक्षण दलों के संयुक्त सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप दक्षिण त्रिपुरा में जलैय्या के स्थान पर 52.58 एकड़ विवादग्रस्त भूमि में से 48 एकड़ भूमि भारत को सौंपने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय इस बीच क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इस विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन करने और इस पर खम्बे गाड़ने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या मुहुरिछर और चन्दन नगर में दो विवादग्रस्त भूमियों का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है यद्यपि इन भूमियों का सर्वेक्षण 1987 में ही पूरा कर लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सितम्बर, 1990 में भारत और बंगलादेश के सर्वेक्षण अधिकारियों के 46वें सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि इस सैक्टर में सीमांकन का कार्य नवम्बर, 1990 से शुरू होने वाले क्षेत्र-कार्य मौसम 1990-1991 में शुरू किया जाएगा। सीमांकन का काम, जिसमें खम्बे खड़े करने का काम भी शामिल है, नवम्बर, 1990 से शुरू हो गया है और चल रहा है।

(ङ) और (च) मुहुरिछर में, जहां दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं, यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले को अन्तिम निर्णय के लिए सर्वेक्षण अधिकारियों की जनवरी, 1991 में होने वाली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। चन्दन नगर क्षेत्र में सीमांकन का काम पूरा हो गया है।

तीन बीघा पट्टी को बंगलादेश को देना

1266. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तीन बीघा पट्टी को बंगलादेश को दिये जाने का मामला किस स्थिति में है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के किसी दल ने हाल ही में इस पट्टी का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या इस पट्टी के बंगलादेश को देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने के पहले पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोई सम्पर्क रखा जा रहा है ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन बीघा क्षेत्र में निजी स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू कर दी है। यह कार्यवाही पूरी हो जाने पर तीन बीघा पट्टी को 1982 में इस विषय पर बंगलादेश के साथ सम्पन्न करार के अनुसार बंगलादेश सरकार को पट्टे पर दे दिया जाएगा।

(ख) और (ग) बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल अक्तूबर, 1990 में इस क्षेत्र में गया था।

(घ) भारत सरकार 1982 के करार के क्रियान्वयन के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत गैर-सरकारी बसें

1267. प्रो० राम गणेश कापसे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली गैर-सरकारी बसों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और अभी भी कितनी शिकायतें लम्बित हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया : (क) और (ख) जनवरी, 1990 से 26 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान दि० प० नि० के अधीन निजी बसों के खिलाफ 9974 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर दि० प० नि० द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है ।:—

प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लगाया गया अर्थदण्ड	जिन मामलों को निपटाया जाना है, उनकी संख्या
9974	8035	696485 रु०	1939

दिल्ली में टेलीफोन अदालत

1268. प्रो० राम गणेश कापसे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन अदालतों में पिछले एक वर्ष के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) इन अदालतों द्वारा अब तक कुल कितनी शिकायतें निपटाई गईं;

(ग) कुल कितनी शिकायतों पर अभी सुनवाई की जानी शेष है; और

(घ) इन पर कार्यवाही की जाने में देरी के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में आयोजित की गई चार टेलीफोन अदालतों में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 2,347 है।

(ख) सभी 2,347 शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

(ग) शून्य।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से यह लागू नहीं होता।

"जयपुर्स रामगढ़ लेक गोज ड्राई" शीर्षक समाचार

1269. श्री राम गणेश कापसे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1990 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे "जयपुर्स रामगढ़ लेक गोज ड्राई" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस शहर के निवासियों की पानी की आवश्यकता को वैकल्पिक साधन द्वारा पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) सरकार को रामगढ़ झील जो जयपुर शहर के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है, में जल स्तर घटने की समस्या की जानकारी है। बांदी बेसिन से जयपुर को जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 7.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम नवम्बर, 1989 में स्वीकृत की गई थी। दूसरी राजस्थान जल आपूर्ति और मल-जल परियोजना, जिसमें विसालपुर बांध से जयपुर शहर को जल की आपूर्ति का प्रस्ताव शामिल है, पर राज्य सरकार को योजना संसाधन की वार्षिक स्थिति और वचनबद्धता के साथ परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी गई है।

कृष्णा और कावेरी थाले में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए आबंटन

1270. श्री बी० एस० बासवराज :

क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक को कृष्णा और कावेरी थाले में उठाऊ सिंचाई योजनाओं को लागू करने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में प्रदान की जाती है जो कि विकास की किसी परियोजना अथवा क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है। राज्य सरकार अपनी पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं को निधियां आवंटित करती है।

कंडीवली (मुम्बई) में टेलीफोन केन्द्र के भवन के निर्माण में अनियमितताएं

1271. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या संचार मन्त्री 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंडीवली (मुम्बई) स्थित टेलीफोन केन्द्र के भवन के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस जांच को सार्थक और सोद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उक्त कार्य में कथित रूप से शामिल अधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित जानकारी अभी तक एकत्र की जा रही है।

(घ) दोषी अधिकारियों का यदि कोई हो, पता लगाया जाना अभी बाकी है।

गंगा जल के बारे में भारत-बंगलादेश वार्ता

1272. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश सरकार से गंगा जल विवाद के समाधान के लिए अब तक हुई वार्ता में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या आने वाले शुष्क मौसम के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह की नौवहन क्षमता को कायम रखने के लिए हुगली नदी के जल प्रवाह को बनाये रखने हेतु कोई सावधानी बरती गयी है ?

जल-संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) गंगा जल के बंटवारे के बारे में बंगलादेश के साथ बातचीत पूर्ण नहीं हुई है। अन्य संबंधित तथ्यों के साथ-साथ कलकत्ता बन्दरगाह की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जायेगा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या

1273. श्री बालगोपाल मिश्र :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा वर्ष 1990 के दौरान कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) 1990 के दौरान पासपोर्ट फार्मों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई है; और

(ग) सरकार ने सिंगापुर और अन्य देशों में भारतीय राष्ट्रिकों को अस्थायी रूप से ठहरने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक जनवरी से 27 दिसम्बर, 1990 तक 15,20,321 पासपोर्ट जारी किये गये।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 1,34,34,782 रुपये।

(ग) भारतीय राष्ट्रिक सिंगापुर तथा दूसरे देशों में अस्थायी रूप से ठहरने के लिए अपने प्रबन्ध स्वयं करते हैं। जब भी अनुरोध किया जाता है कोंसली सहायता भारतीय मिशनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जैसा कि कोंसली संबंध, 1963 संबंधी वियना अभिसमय में अपेक्षित है और जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए जाते हैं।

अमरीका को डिजिटल टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई

1274. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दूरसंचार लिमिटेड ने अमरीका की प्रीमियर टेलकाम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के साथ 5 लाख डिजिटल टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई हेतु किसी ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी;

(ग) सरकार ने ऐसे ठेके प्राप्त करने हेतु भारत को अन्य टेलीफोन उपकरण निर्माता कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा इन कम्पनियों को किस प्रकार की, दोनों तकनीकी और वित्तीय सहायता, दी जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) सरकार को भारत टेलीकॉम लि० प्रीमियर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स इण्ड० यू० एस० ए० के बीच किसी ऐसे समझौता-ज्ञापन की कोई जानकारी नहीं है इसके अलावा सरकार ने मैसर्ज भारत टेलीकॉम लि० को डिजिटल टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन उपकरणों सहित दूरसंचार मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक स्थाई समिति गठित की है।

(घ) सरकार निर्यात गतिविधियों के लिए सी० सी० एस०, आर० ई० पी० आदि जैसे अनेक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। सरकार द्वारा गठित दूरसंचार निर्यात प्रवर्धन समिति, दूरसंचार मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता एवं मार्ग निर्देश प्रदान करती है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन का विकास

1275. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से द्वीपसमूह में पर्यटन का विकास करने हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच नौवहन सेवा

1276. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने यात्री और माल यातायात के लिए कलकत्ता पत्तन का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्री जहाजों ने वर्ष 1990 के दौरान महीनेवार कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच यात्राएं की?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा यात्री और कार्गो ट्रैफिक के लिए कलकत्ता पत्तन का कोई बहिष्कार नहीं किया गया है। तथापि, अक्तूबर और नवम्बर, 90 के दौरान कलकत्ता में भारतीय फारवर्ड नाविक संघ (एफ० एस० यू० आई०) के साथ चल रहे विवाद के कारण किसी यात्री जहाज की सेलिंग्स की पेशकश नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप यात्री और कार्गो सेलिंग अस्त व्यस्त हो गई थी। अब कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में जहाज एम० बी० अकबर से यात्री सेलिंग्स पुनः शुरू हो गई है।

(ग) 1990 के दौरान कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच यात्री जहाजों द्वारा की गई यात्राओं की संख्या के महीने वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

यात्राओं के ब्यौरे : पोर्ट ब्लेयर—कलकत्ता—पोर्ट ब्लेयर 1990

महीना	कुल सेलिंग्स	लाए-ले जाए गए यात्री (संख्या)	ढोया गया कार्गो (एम० टी०)
1	2	3	4
जनवरी	3	2142	199
फरवरी	2	1352	158
मार्च	3	2175	261
अप्रैल	2	1509	120
मई	3	2253	114
जून	3	1863	717
जुलाई	4	2708	974
अगस्त	4	2439	230
सितम्बर	1	749	560

1	2	3	4
अक्तूबर	—	—	—
नवम्बर	—	—	—
दिसम्बर	4	3155	900
कुल योग	29	20345	4233

केरल में पर्यटन का विकास

1277. श्री ए० विजय राघवन :

श्री पी० सी० थामस :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कोट्टायम जिले में इलावीझा-पुंचिरा, कुमराकम, इरुमाली और भरनांगनम, इदुक्की जिले में थोमनकुथु, थेक्कड़ी और मन्नार, पथन-माथिट्टा जिले में साबरीमाला, त्रिवेन्द्रम जिले में पोनमड़ी, क्विलोन जिले में शिवगिरी और एर्नाकुलम जिले में भूतनाथन केट्टु में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों एवं तीर्थ स्थानों को विकसित करने के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव भेजा है।

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) ये प्रस्ताव अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये जायेंगे ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा 1990-91 में केन्द्रीय सहायता हेतु अनुशंसित की गई स्कीमों को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वलायार के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 को चौड़ा करना

1278. श्री ए० विजय राघवन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल और तमिलनाडु की अन्तर्राज्यीय सीमा पर वलायार के निकट राजमार्ग संख्या-47 को चौड़ा करने के लिए एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 पर वालायर के निकट चैक बैरियर तथा लेबाई के लिए राज्य सरकार से जो प्राक्कलन प्राप्त हुआ था, वह अपूर्ण पाया गया था। अतः नवम्बर, 1990 में, उसमें सुधार करने के लिए उसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

महानन्दा घाटी पर परियोजनाएं

1279. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण के लिए महानन्दा घाटी परियोजना को अन्तिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) योजना की अनुमानित लागत कितनी है और केन्द्र सरकार ने अब तक इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की है और एक अक्तूबर, 1990 तक इस पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) महानन्दा घाटी पर अब तक कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना हैं; और

(घ) 1990-91 के दौरान किन-किन परियोजनाओं को शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने 1977 में महानन्दा नदी प्रणाली के लिए बाढ़ नियन्त्रण योजना तैयार की थी और 1987 में अद्यतन की थी।

(ख) और (ग) विस्तृत योजना में परिकल्पित कार्यों की अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपये थी। कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है तथा 35 करोड़ रुपये के मूल्य के कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत पूरे किये गये हैं।

(घ) 1990-91 के लिए कोई बृहद योजना निश्चित नहीं की गई है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को दी गई धनराशि

1280. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण अथवा आंशिक केन्द्रीय वित्त पोषण से कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में वर्ष 1990-91 के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और राज्यों को अब तब कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) राष्ट्रीय तथा बिहार और तमिलनाडु की प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1, 2 (क से ग) और दी गई है।

विवरण-1

पूर्ण अथवा आंशिक केन्द्रीय वित्त पोषण से कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं की सूची

1. समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)
2. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास योजना (ड्वाकरा)—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना

3. ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना।

4. जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)

5. इंदिरा आवास योजना (आई० ए० वाई०)—जवाहर रोज़गार योजना की उप-योजना

6. दस लाख कुओं की योजना (एम० डब्ल्यू० एस०)/भूमि विकास योजना—जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना।

7. त्वरित ग्रामीण जिला सप्लाई कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०)

8. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)

9. मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०)

10. फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता।

11. राजस्व तन्त्र को मजबूत बनाना तथा भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाना।

12. कृषि विपणन तथा ग्रामीण गोदाम।

13. विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़कें बनाना।

14. ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण हेतु राज्य केन्द्रों (एस० आई० आर० डी०) की स्थापना/उन्हें मजबूत बनाना।

15. विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ई० टी० सी०) की स्थापना/उन्हें मजबूत बनाना।

विवरण-2

1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन और अब तक की गई रिलीजों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आई०आर०डी०पी०		ड्वाकारा		ट्राइसेस		आई०ए०वाई० तथा एम०डब्ल्यू० एस० सहित जे०आर०वाई०	
	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2751.45	1732.45	आबंटन	37.46	58.64	55.42	15332.96	7666.48
अरुणाचल प्रदेश	234.72	91.?4	नहीं	शून्य	4.98	—	264.54	132.27
असम	751.46	375.73	किया	12.06	16.01	16.01	4091.67	2045.84
बिहार	5512.95	2358.62	गया	20.20	117.49	—	30773.42	15386.71
गोआ	48.90	24.45		5.13	2.04	2.04	285.82	142.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	1133.05	1103.94		0.12	24.15	24.15	6472.57	3236.29
हरियाणा	271.13	262.21		36.65	5.78	—	1541.46	770.73
हिमाचल प्रदेश	97.07	48.57		11.56	2.07	2.07	908.22	454.11
जम्मू व कश्मीर	135.56	61.19		10.10	2.89	—	1600.00	644.61
कर्नाटक	1722.17	954.63		13.51	36.70	33.36	9647.76	4823.88
केरल	935.56	752.18		16.60	19.94	—	5116.95	2558.48
मध्य प्रदेश	3648.52	1534.21		21.12	77.76	—	21122.00	10561.00
महाराष्ट्र	2947.27	2305.99		शून्य	62.81	—	16339.87	8169.94
मणिपुर	21.75	10.88		शून्य	0.46	—	339.05	169.53
मेघालय	65.27	36.28		2.14	1.39	—	396.73	99.18
मिजोरम	97.80	97.80		13.49	2.06	2.06	167.12	167.12
नागालैंड	102.69	51.35		0.15	2.16	2.16	425.26	366.00
उड़ीसा	1802.50	1143.47		14.87	38.41	20,00	10475.94	5237.97
पंजाब	229.29	158.70		19.77	4.89	—	1340.52	670.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	1757.32	1025.22	आवंटन नहीं	10.10	37.45	37.45	10244.22	5122.11
सिक्किम	19.56	17.02	किया गया	1.01	0.42	—	154.83	77.42
तमिलनाडु	2470.28	1821.90		20.70	52.65	19.65	13778.93	13778.93
त्रिपुरा	76.99	42.18		6.01	1.64	—	440.39	220.20
उत्तर प्रदेश	7363.98	5286.29		87.75	156.94	—	40874.62	20437.31
पश्चिम बंगाल	3077.81	2337.67		1.54	65.59	—	17429.55	8714.78
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	48.90	39.12		—	1.02	—	156.56	78.28
चंडीगढ़	9.78	—		—	0.21	—	38.81	19.41
दादर और नगर हवेली	9.78	6.60		—	0.21	—	84.99	42.50
दिल्ली	48.90	24.45		—	1.02	—	184.18	92.09
दमन व दीव	19.56	9.78		—	0.42	—	50.07	25.04
लक्षद्वीप	48.90	2.51		3.04	1.02	—	78.49	39.25
पांडिचेरी	39.12	33.75		—	0.82	0.82	153.25	76.63
अखिल भारत	37500.00	23755.56	1149.00	365.08	800.00	215.49	210310.79	112027.36

विवरण-2 (क)

1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक किया गया केन्द्रीय आवंटन और रिलीजों को दर्शाने वाला विवरण—जारी

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी० आवंटन	ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी० रिलीज	डी० पी० ए० पी०* आवंटन	डी० पी० ए० पी०* रिलीज	डी० डी० पी०** आवंटन	डी० डी० पी०** रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2886.790	1176.145	601.50	300.75	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	550.660	258.000	—	—	—	—
3.	असम	1540.840	684.000	—	—	—	—
4.	बिहार	3459.845	2442.000	414.00	206.99	—	—
5.	गोआ	255.980	75.000	—	—	—	—
6.	गुजरात	2297.790	1896.900	373.00	362.78	225.00	112.50
7.	हरियाणा	1070.020	252.000	67.50	67.00	425.00	425.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	1082.720	419.000	—	—	200.00	200.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2358.870	1525.000	107.25	53.63	300.00	300.00
10.	कर्नाटक	2520.650	1339.000	624.50	312.25	—	—
11.	केरल	1182.195	817.000	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2953.870	1473.500	404.50	202 50	—	—
13.	महाराष्ट्र	3433.825	2052.400	671.50	445.25	—	—
14.	मणिपुर	344.860	179.000	—	—	—	—
15.	मेघालय	758.700	365.000	—	—	—	—
16.	मिजोरम	242.160	188.000	—	—	—	—
17.	नागालैंड	527.480	335.500	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1916.440	2163.600	310.50	155.25	—	—
19.	पंजाब	590.848	513.000	—	—	—	—
20.	राजस्थान	4950.970	3626.200	257.00	128.50	3800.00	1900.00
21.	सिक्किम	786.980	518.700	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2255.550	1587.120	328.50	164.25	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	555.380	176.000	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	4822.990	3412.900	693.00	346.50	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	2039.265	827.400	258.75	129.37	—	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40.500	26.500	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	12.000	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	13.000	6.500	—	—	—	—
30.	दमन व दीव	20.000	52.800	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	247.680	—	—	—		—
32.	पांडिचेरी	71.000	13.000	—	—	—	—
	अखिल भारत	45779.858	28401.165	5111.50	2857.27	4950.00	2937.50

*योजना केवल 13 राज्यों में चल रही है।

**योजना केवल 5 राज्यों में चल रही है।

विवरण—2(ख)

1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन और अब तक की गई रिलीजों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता		भूमि रिकार्डों का अद्यतन बनाना		कृषि विपणन			ग्रामीण गोदाम	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	स्वीकृत राशि		आबंटन	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	विशेष आबंटन	—	विशेष आबंटन	शून्य	विशेष आबंटन		विशेष		
2.	अरुणाचल प्रदेश	नहीं किया गया	—	नहीं किया गया	—	नहीं किया गया		आबंटन		
3.	असम	—	—	—	—	—		नहीं		
4.	बिहार	—	—	—	—	—	1.50	किया	14.56	
5.	गोवा	—	—	—	—	—		गया	5.47	
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	24.16	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	5.00	—		
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—		—		
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—		—		
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	4.00	—	13.31	
11.	केरल	—	—	—	—	—		—		
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	13.50	—		
13.	महाराष्ट्र	—	51.99	—	—	—	0.50		18.87	
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—		—		
15.	मेघालय	—	—	—	—	—		—		
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—		—		
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—		—		
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	1.34	—		
19.	पंजाब	—	—	—	—	—	11.50	—		
20.	राजस्थान	—	7.29	—	—	—	5.50	—		
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—		—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	तमिलनाडु	—	12.00	—	—	—	2.00	—		
23.	त्रिपुरा	—	0.54	—	—	—	30.00	—		
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—		—	45.27	
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—		—		
संघ शासित क्षेत्र										
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—		—		
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—		—		
28.	दादरा व नगर हवेली	—	0.25	—	—	—		—		
29.	दिल्ली	—	—	—	—	—		—		
30.	दमन व दीव	—	—	—	—	—		—		
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—		—		
32.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	1.50	—		
	अखिल भारत	650.00	72.07	1733.00		451.00		90.50	361.00	97.48

विवरण—2(ग)

1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन और अब तक की गई रिलीजों को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	विशेष क्षेत्रों में सड़कें*		विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों/ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों की स्थापना/मजबूत बनाना	
		आबंटन	रिलीज	रिलीज	रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	21.00
4.	बिहार	—	—	—	—
5.	गोआ	—	—	—	—

.	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	—	—	31.80	—
7.	हरियाणा	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	10.00
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	17.50
10.	कर्नाटक	—	—	—	10.00
11.	केरल	—	—	—	10.00
12.	मध्य प्रदेश	374.00	167.53	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	55.58	11.80
14.	मणिपुर	—	—	—	17.50
15.	मेघालय	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	17.50
18.	उड़ीसा	—	—	33.20	—
19.	पंजाब	—	—	—	10.00
20.	राजस्थान	374.00	187.00	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	20.00

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	10·00
24.	उत्तर प्रदेश	(92.00	346.00	—	—
25.	पश्चिम वंगाल	—	—	—	6.88
संघ शासित क्षेत्र					
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—
29.	दिल्ली	—	—	—	—
30.	दमन व दीव	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	अखिल भारत	1440.00	700.53	120.58	162.18

* योजना केवल तीन राज्यों में ही चल रही है।

विवरण—3

वर्ष 1990-91 के लिए योजनावार मात्रात्मक लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण—राष्ट्रीय स्तर बिहार तथा तमिलनाडु

क्रम सं०	योजना	निम्नलिखित के लिए लक्ष्य		
		अखिल भारत	बिहार	तमिलनाडु
1	2	3	4	5
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)			
	सहायता किए गए परिवारों की संख्या	23,72,000	3,50,000	1,57,000
2.	ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा)			
	बनाए गए महिला ग्रुपों की संख्या (संख्या)	7,500	800	597
3.	ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)			
	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या (संख्या)	4,14,874	43,382	26,504

1	2	3	4	5
4.	जवाहर रोजगार योजना (जिसमें इन्दिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना भी शामिल है)			
	रोजगार सृजन (लाख श्रमदिन)	9422.16	1125.86	688.95
5.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम			
	समस्याग्रस्त गांवों को कवरेज (संख्या)	38285	1946	2,500
6.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)			
	सुधारा गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	2,41,741	9,069	36,071
7.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)			
	सुधारा गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	51,289	कार्यक्रम नहीं चल रहा है।	
8.	फालतू भूमि के आबंटितियों की सहायता			
	फालतू भूमि का वितरण (एकड़)	79200	9,000	2500
9.	कृषि विपणन			
	विकसित किए गए बाजारों की संख्या (संख्या)		निर्धारित नहीं	
10.	ग्रामीण गोदाम			
	निर्मित गोदामों की संख्या		निर्धारित नहीं	

1	2	3	4	5
11.	विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें सड़कों का निर्माण (किलोमीटर)			निर्धारित नहीं योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है
12.	निम्नलिखित की स्थापना/सुदृढ़ीकरण			
	(क) राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थान			लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।
	(ख) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र			लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

दूरसंचार विभाग, विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच राजस्व को बांटना

1281. श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग, विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच राजस्व को बांटने का विवाद फिर से जोर पकड़ रहा है;

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच फोन से मिलने वाले किराए को बांटने का वर्तमान तरीका क्या है तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच राजस्व को किस आधार पर बांटा जाता है;

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों द्वारा इन तीन संगठनों के बीच राजस्व के वितरण के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) सरकार का इस गतिरोध को किस तरह दूर करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान पद्धति के अधीन म०टे०नि०लि० को किराए से होने वाली अपनी पूरी आय रखने की अनुमति है।

विदेश संचार निगम लि० और दूरसंचार विभाग के बीच राजस्व का बंटवारा बाहर जाने वाली और अन्दर आने वाली कालों, दोनों के लिए दत्त मिनटों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा निगम की सकल आय पर एक लेवी भी वसूल की जाती है।

(ग) और (घ) इन तीनों संगठनों के बीच वर्ष 1990-91 के राजस्व का बंटवारा करने के लिए बी०आई०सी०पी० द्वारा दिए गए सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं यह म०टे०नि०लि० और विदेश संचार निगम लि० पर उनके द्वारा सुझाई गई लेवी के अतिरिक्त है। बी०आई०सी०पी० ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो वर्ष 1990 के लिए लागू होगी। इस मामले पर कोई विवाद नहीं है।

विवरण

दूर संचार विभाग म० टे० नि० लि० और विदेश संचार निगम लि० के बीच 1990-91 के राजस्व के बंटवारे के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी०आई०सी०पी०) द्वारा प्रस्तावित फार्मूला।

म०टे०नि०लि० और दूरसंचार विभाग

सेवा का वर्ग	राजस्व का बंटवारा	
	म०टे०नि०लि०	दूरसंचार विभाग
1	2	3
(क) टेलीफोन		
1. किराया	84%	16%

1	2	3
2. मीटर में दर्ज कालें	72%	28%
3. ट्रंक काल	2 तिहाई	1 तिहाई
(ख) टेलेक्स		
1. किराया	84%	16%
2. काल	50%	50%
(ग) पट्टे पर दिए सर्किट	50%	50%

विदेश संचार निगम लि० और दूरसंचार विभाग

काल का प्रकार	राजस्व का बंटवारा	
	विदेश संचार निगम लि० (प्रति मिनट राशि)	दूरसंचार विभाग
1. बाहर जाने वाली कालें		
1.1 आई०एस०डी० और प्रचालक की सहायता से मिलाई जाने वाली कालें		
(क) वर्ग—I सार्क देश	16/- रु०	शेष
अन्य देश	16/- रु०	शेष
(ख) वर्ग—II और III के देश	30/- रु०	शेष
1.2 टेलेक्स		
(क) वर्ग-I के देश	15/- रु०	शेष
(ख) वर्ग-II और III के देश	21/- रु०	शेष
2. आने वाली कालें		
2.1 आईएसडी और प्रचालक की सहायता ते मिलाई जाने वाली कालें	शेष	11/- रु०
2.2 टेलेक्स	शेष	12/- रु०

केरल के तड़ित-प्रवण क्षेत्रों में आप्टिकल फाइबर/अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी व्यवस्था उपलब्ध कराना

1282. श्री पी०सी० थामस :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के तड़ित प्रवण क्षेत्रों में मुख्य टेलीफोन एक्सचेंजों और आर०एल०यू० स्टेशन के बीच आप्टिकल फाइबर/अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी व्यवस्था प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या ऐसी व्यवस्था केरल में एराटुपेट्टा, कन्जीरापल्ली, पालिया, मुक्तुपुजा, थोडुपुझा, कोलेनचरी पिरावम और कोठामंगलम एक्सचेंजों में उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) थोडुपुझा एक्सचेंज के लिए नए भवन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मुख्य ई-10 बी एक्सचेंजों और आर०एल०यू० के बीच आप्टिकल फाइबर केबिल प्रणाली माइक्रोवेव और यू० एच०एफ० प्रणालियों की योजना बनाई जा रही है। तड़ित प्रवण क्षेत्रों के लिए अभी तक आर०एल०यू० आवंटित नहीं की गई है।

(ख) जी हां, आंशिक रूप से। कलिरावल्ली और पलाई को यू०एच०एफ० प्रणाली के जरिए जिला मुख्यालय कोट्टायम से जोड़ा गया है। गुवत्तुपुजा, थोड़पुजा और कोठामंगलम कोएकिसयल ड्रॉपिंग स्टेशन है। एराटपेट्टा से पलाई के लिए पी०सी०एम० प्रणाली है। पिरावाम से गुवलुयुक्ता के लिए केबिल कैरियर प्रणाली है। इनमें से किसी भी स्थान के लिए आर०एल०यू० का आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) थोडुपुजा में नए क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। निर्माण से पूर्व की औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य प्रगति पर है।

करिंगाचिरा और थिरुवमकुलम जंकशन के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को चौड़ा करना

1283. श्री पी०सी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्णाकुलम जिले में थिरुवमकुलम पंचायत विकास समिति से करिंगाचिरा जं० से लेकर थिरुवमकुलम जं० तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को चौड़ा करने के बारे में 30 नवम्बर, 1990 का कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कारंवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक का पुनर्गठन

1284. श्री ए० के० राय :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के पुनर्गठन और मरम्मत कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) पुनर्गठन कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या प्रदत्त राशि मांग की अपेक्षा बहुत कम है और वह भी समुचित रूप से उपयोग में नहीं लाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो धनराशि के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) 1990-91 में एफ०सी०आई० के सिन्दरी एकक के नवीकरण एवं मरम्मत के लिये स्वीकृत राशि 4 करोड़ रुपये है।

(ख) नवीकरण कार्य की प्रगति नीचे दर्शायी गई है :—

(I) अमोनिया सल्फेट, निट्रिक एसिड तथा अमोनिया बाइकार्बोनेट संयंत्रों के लिये उपस्करों की प्राप्ति के आदेश शीघ्र ही दिये जा रहे हैं;

(II) अमोनिया नाइट्रेट संयंत्र के लिये प्रक्रिया लाइसेंस, जानकारी, बेसिक इंजीनियरिंग, विस्तृत इन्जीनियरिंग की प्राप्ति कार्य, निरीक्षण के लिए प्राप्ति सहायता एवं स्वदेशी उपस्कर तथा सामग्री तथा विशेषज्ञ निर्माण पर्यवेक्षण शीघ्र प्रदान करने तथा आरंभण कार्य मैसर्स पी०डी०आई०एल० को प्रदान किया गया है।

(III) केपटिव पावर संयंत्र में, कूलिंग टावरों के नवीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है और टरबाइन ब्लेड प्राप्त करने के लिये आवश्यक आदेश भी दे दिये गये हैं। संयंत्र के अन्य भागों के प्रतिस्थापन के लिये भी कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(ग) जी नहीं। राशि का उचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गावती बांध परियोजना

1285. श्री ए० के० राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के रोहतास जिले की दुर्गावती बांध परियोजना का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र ने परियोजना का कार्य छठे दशक में प्रारम्भ किया था लेकिन यह कार्य बीच में ही रोक दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) केन्द्र ने लगभग 36,400 हैक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई लाभ प्रदान करने के लिए 25.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की दुर्गावती जलाशय परियोजना मई, 1975 में अनुमोदित की थी।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता प्रदान करके सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन किया जाता है। केन्द्र ब्लाक अनुदान और ऋणों के रूप में सहायता प्रदान करता है और यह विकास के किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है।

आंध्र प्रदेश में कीट नियंत्रण

1286. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में कोई नया कीट खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में इस फसल रोग की पहचान करने के लिए किए गये अध्ययन तथा इसे नियन्त्रित करने के लिए कोई उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंती लाल वीरचंदभाई शाह) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई अज्ञात कृमि नहीं है जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तथापि, हरा पत्ता भेदक रोग वाहक कीटों से तथा राइस टुंगरो वाइरस, जो धान का एक ज्ञात रोग है, का आंध्र प्रदेश के पांच तटीय जिलों, अर्थात ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, विशाखापट्टनम और सरीकाकूलम में अनुमानतः 1.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में प्रकोप हुआ है जिससे लगभग 25—30 प्रतिशत की अनुमानित पैदावार नष्ट हुई है।

(ग) संयुक्त दलों, जिसमें आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय पौध संरक्षण निदेशालय और कृषि विभाग, आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञ वैज्ञानिक शामिल है, ने "राईस टुंगरो वाइरस" नामक रोग का अध्ययन किया है और इसकी पुष्टि की है और किसानों को तकनीकी सलाह भी दी है ताकि रोग वाहक कीटों के प्रति समय पर नियन्त्रण उपाय किये जा सकें। इन दलों की सिफारिशों के आधार पर राज्य के कृषि विभाग, आंध्र प्रदेश ने खरीफ 1990-91 में रोगों को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। सभी प्रशासनिक उपायों के अलावा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता से कृमिनाशियों पर राजसहायता हेतु 84.9 लाख रुपये खर्च किए हैं।

रबी धान फसल के लिए इसी प्रकार के उपाय किए जा रहे है। इनमें जन प्रचार माध्यम के जरिए किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा देना, 50 प्रतिशत राजसहायता पर किसानों को कृमिनाशियों की सप्लाई, आर०टी०वी० के प्रति सहनशील किस्मों को लोकप्रिय बनाना और रबी 1990-91 के दौरान आर०टी०वी० के नियन्त्रण के लिए 58.56 लाख रुपये के परिव्यय से योजना का क्रियान्वयन शामिल है।

भारतीयों की कुवैत, इराक, ईरान और अमान में बैंकों में जमा धनराशि को निकालने की अनुमति न दिया जाना

1287. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री बी० एस० बासवराज :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में व्याप्त संकट के कारण कुवैत, इराक, ईरान और अमान के वाणिज्यिक बैंकों ने भारतीयों को धन निकालने की सुविधा से वंचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में भारतीय जमाकर्ताओं की कुल कितनी राशि अवरुद्ध है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इन देशों से चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुवैत में 2 अगस्त, 1990 के बाद बैंक करीब 3 सप्ताह के लिए बन्द रहे थे। लेकिन उसके बाद भी सीमित मात्रा में धन निकालने की इजाजत दी गई है। विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने की इजाजत नहीं है।

जहां तक इराक, ईरान, और अम्मान के बैंकों का सवाल है, वहां धन निकालने की सुविधा से किसी को इंकार नहीं किया गया है ।

(ख) कुवैत के बैंकों में भारतीय राष्ट्रिकों की कुल मिलाकर कितनी धन राशि जमा थी इसका प्राक्कलन फिलहाल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) चूंकि इराक, ईरान, और अम्मान के बैंकों में भारतीय खाताधारियों को धन निकालने की सुविधा पर कोई पाबन्दी नहीं है, इसलिए इन देशों के साथ बातचीत करने का कोइ सवाल नहीं उठा। जहां तक कुवैत में भारतीय लोगों की जमा धन-राशि का सवाल है, इस संबंध में विचार किया जा रहा है।

सूरत में विदेश डाकघर

[हिन्दी]

1288. श्री काशीराम राणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत में विदेश डाकघर खोलने हेतु कोई निवेदन छः माह पूर्व प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब अनुरोध प्राप्त हुआ था और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां ।

(ख) सूरत में विदेश डाकघर खोलने का अनुरोध अप्रैल, 1982 में वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अपर्याप्त परियात और विभाग के साथ-साथ सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा महसूस की जा रही अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उक्त अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि अगस्त, 1989 में सूरत में विदेश उप डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया था लेकिन पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा होने और समुचित किराए का भवन उपलब्ध न हो पाने के कारण उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब एक समुचित भवन ढूंढ लिया गया है और विभाग उसे किराए पर लेने के लिए कार्यवाही कर रहा है। उसके बाद विदेश उप डाकघर शीघ्र ही खुल जाने की संभावना है।

काली मिर्च की खेती

[अनुवाद]

1289. श्री पी० सी० थामस :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काली मिर्च की बेलों में एक नया रोग बड़ी तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने रोकथाम के क्या उपाय किये हैं; और

(ग) काली मिर्च की खेती बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) कालीमिर्च पर किसी नए रोग के फैलने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कालीमिर्च की जड़मुक्त कलमों तथा कालीमिर्च की केन्द्रक पौध रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण करना, कालीमिर्च की पुरानी और रोगग्रस्त बेलों को पुन: लगाना, किटों और पौध रक्षण स्प्रेयरों का वितरण करना, मौजूदा प्लाटों के रख-रखाव के साथ-साथ नए प्रदर्शन प्लाटों को प्रदर्शित करना।

"इको" 92 में भाग लेना

1290. श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में "इको" 92 के बारे में एक गोष्ठी आयोजित की गयी थी और यदि हां, तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का जून, 1992 में ब्राजील में होने वाले "यू० एन० कांफ्रेंस ऑन एन्वायरोंमेंट एंड डेवलपमेंट" के लिए एक बड़ा दल भेजने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार को यह मालूम है कि नई दिल्ली में 1? सितम्बर, 1990 को ई० सी० ओ० 92 पब्लिक फोरम का आयोजन किया गया था और सुश्री ग्रो हार्लेम ब्रन्टलैण्ड ने इसमें भाग लिया था। ई० सी० ओ० 92 पब्लिक फोरम ने कोई संक्षिप्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की थीं।

(ख) भारत सरकार जून, 1992 में ब्राजील में होने वाले पर्यावरण और विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उपयुक्त तरीके से अपना प्रतिनिधित्व करेगी। उस सम्मेलन के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों की बैठक भी आयोजित किए जाने की संभावना है। गैर सरकारी संगठन की बैठक में भाग लेने के स्वरूप का निर्धारण गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाना है।

युवकों के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत युवकों को प्रशिक्षण देना

1291. **श्री जी० एस० बासवराज :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम बेरोजगार युवकों के मामले में उन्हें स्वरोजगार उद्यम शुरू करने की प्रेरणा देने की दिशा में कारगर सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने बेरोजगार युवकों को इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामबहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या नीचे दर्शायी गई है।

वर्ष	प्रशिक्षित किए गए युवा
1988-89	2,27,050
1989-90	2,07,437
1990-91 (अक्तूबर 1990 तक)	69,430

विदेशी राष्ट्रिकों को शरण देना

1292. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1990 को इंडियन एक्सप्रेस में "कुवैती प्रिंस सेट्स एसाइलम इन एम० पी० फोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की विदेशी राष्ट्रिकों को राजनैतिक शरण देने संबंधी नीति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। यह समाचार गलत है।

(ग) इस सिलसिले में निर्णय अलग-अलग मामले के आधार पर लिए जाते हैं।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों में उत्पादन लक्ष्य

[हिन्दी]

1293. श्री हरीश पाल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) नवम्बर, 1990 के अन्त तक एन० एफ० एल० के पानीपत और विजयपुर एकक 1990-91 के लिए निर्धारित आनुपातिक लक्ष्य से आगे बढ़ गए थे। तथापि, नांगल और भटिण्डा एककों के लक्ष्यों में कमी हुई।

(ख) भटिण्डा एकक में उत्पादन में कमी सिन्थेसिस गैस कम्प्रेसरों की समस्या के कारण हुई। भटिण्डा और नांगल एककों में उत्पादन की कमी का अन्य कारण था फीड-स्टाक तेल की आपूर्ति में बाधा।

(ग) कम्पनी ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के लिए, सभी एककों के 9,82,043 टन नाइट्रोजन के सम्पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की आशा है।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन में कमी

1294. श्री राम लाल राही :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी, नहीं। खाद्यान्नों का उत्पादन 1979-80 के 109.7 मिलियन मीटरी टन से बढ़-

कर 1989-90 में 170.6 मिलियन मीटरी टन हो गया है, सिंगल सुपर फास्फेट को छोड़कर उर्वरकों के वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सामान्य रूप से वही हैं जो कि जुलाई, 1981 में थे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कानीगिरी के लिए पेय जल आपूर्ति योजना।

[अनुवाद]

1295. श्री राज मोहन रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रकासम जिले के कानीगिरी और अन्य कई गांवों के लिए साफ पेय जल की आपूर्ति योजना के सम्बन्ध में एक परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तकनीकी दृष्टिकोण से परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया और उसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग को अग्रेषित कर दिया गया था, जिसने परियोजना को रायल नीदरलैण्ड गवर्नमेंट को द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्य तेलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राज्य व्यापार निगम के बीच समझौता ज्ञापन

1296. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री जी० एस० बासवराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राज्य व्यापार निगम ने देश में खाद्य तेलों के व्यापार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खरीद-बिक्री एवं आयात से सम्बन्धित विपणन कार्यों में समन्वय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में इन दोनों संगठनों ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खाद्य तेलों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राज्य व्यापार निगम की कार्यप्रणाली को समन्वित करना है। समझौता ज्ञापन के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :

(1) मण्डी हस्तक्षेप कार्य : हालांकि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राज्य व्यापार निगम के साथ मण्डी हस्तक्षेप कार्यों को करने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, फिर भी यह मण्डी हस्तक्षेप कार्यों को सुदृढ़ करने में राज्य व्यापार निगम की सहायता का स्वागत करेगा। राज्य व्यापार निगम मूंगफली और सरसों के तिलहनों/तिलों से अन्य तेलों का विपणन इस प्रकार कर सकता है कि उसका राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के मण्डी हस्तक्षेप कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली : राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों का उपभोक्ता पैकों में विपणन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(3) मण्डी हस्तक्षेप कार्यों के लिए खाद्य तेलों का आयात : राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की ओर से मण्डी हस्तक्षेप कार्यों के लिए खाद्य तेलों का आयात करेगा तथा इसके लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड केवल न्यूनतम लागत वसूल करेगा। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खाद्य तेल कार्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राज्य व्यापार निगम की भूमिकाओं को स्पष्ट करना है।

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार सुविधाएं

1297. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या इसकी उपलब्धि क्या रही;

(ख) वहां कितने उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) क्या इन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित कोई कार्य अवरुद्ध हो गया है। यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, विवरण संलग्न है।

(ख) 3 (तीन)

(ग) जी नहीं।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वर्ष 1989-90 के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं

क्र० सं०	मद का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन		
	(क) बेस स्टेशन	1	1
	(ख) एल० डी० पी० टी०	10	8

1	2	3	4
2.	सिंगल चैनल वी० एच० एफ० प्रणालियां	12	12
3.	उपग्रह भू-केन्द्र	3	3
4.	नए टेलीफोन कनेक्शन	200	127

खाद्यान्नों का उत्पादन

[हिन्दी]

1298. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार राजस्थान में खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है;

(ख) सरकार ने किसानों को अच्छी किस्म के बीज और खाद, कीटनाशक तथा अतिरिक्त बिजली देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान विकसित किए गए अच्छे किस्म के तिलहनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) राजस्थान में खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्र क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित फसल उत्पादन उन्मुखी कई योजनाएं, जैसे कि गेहूं, मक्का और कदन्न तथा दलहनों का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आदि, क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) राज्य सरकार किसानों के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशियों की आपूर्ति की व्यवस्था करती है। भारत सरकार आवश्यक जिन्स अधिनियम के तहत जारी आदेशों के आधार पर राज्यों को उर्वरक आबंटित करती है। राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज उत्पादक अभिकरणों द्वारा सम्पूरित बीजों का वितरण करता है। किसानों को सप्लाई किए गए बीजों, उर्वरकों और कीटनाशिकों की गुणवत्ता बीज अधिनियम (1966), उर्वरक नियन्त्रण आदेश (1985) और कीटनाशी (1968) को लागू करके सुनिश्चित की जा रही है।

ऊर्जा की आपूर्ति के सम्बन्ध में, कृषि क्षेत्र को वरीयता क्षेत्र के रूप में मान लिया गया है तथा राज्य विद्युत बोर्ड अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की मांगों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अधिक से अधिक घण्टे ऊर्जा की आपूर्ति करके इस क्षेत्र को ऊर्जा देने के भरसक प्रयास कर रहा है।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित तिलहन सुधार परियोजना के अन्तर्गत, राजस्थान में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के दुर्गापुर, नौगांव, मंडोर, कोटा, जोबनेर और श्रीगंगानगर स्थित अनुसंधान केन्द्रों पर तिलहनों पर अनुसंधान किया जा रहा है।

(घ) 1989 और 1990 के दौरान, केन्द्रीय फसल मानक, अधिसूचना और किस्मों की निर्मुक्ति सम्बन्धी उप-समिति द्वारा खेती के लिए निर्मुक्त की गई तिलहनों की विभिन्न किस्मों में से राजस्थान में निम्नलिखित किस्मों की खेती करने की सिफारिश की गई थी :

मूंगफली	—	आई० सी० जी० एस०—1 (आई० सी० जी० वी०—87119)
तिल	—	आर० टी०—46
सोयाबीन	—	एम० ए० सी० एस०—58
सूरजमुखी	—	एम० एस० एफ० एच०—17

विदेशों से राजनयिक सम्बन्ध

1299. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का किन-किन देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं;

(ख) उन देशों में हमारे हितों की देखभाल कैसे की जाती है;

(ग) उन देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में क्या प्रयत्न किए गए हैं;

(घ) क्या निकट भविष्य में उन देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोई सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) डोमिनिका गणराज्य, हाइती, होंडुरास, इजरायल तथा दक्षिण अफ्रीका।

(ख) डोमिनिका गणराज्य, हाइती तथा होंडुरास में हमारे हितों की देखभाल उनके पड़ोसी देशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा की जाती है। इजराइल अथवा दक्षिण अफ्रीका में हमारे हितों की देखभाल कोई भी देश नहीं करता है।

(ग) डोमिनिका गणराज्य, हाइती और होंडुरास के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) और (ङ) इन देशों के साथ इन क्षेत्रों में मौजूदा आदान-प्रदान सीमित है, और उपलब्ध अवसरों तथा सरकारी नीति के कारण सम्भावनाएं भी सीमित हैं।

राजस्थान की बिसालपुर परियोजना

1300. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और इन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) बिसालपुर परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और अब तक इसका कितना कार्य हुआ है;

(ग) क्या इसके लिए पाइप सप्लाई करने वाली कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण इसका कार्य प्रभावित हो रहा है;

(घ) इस परियोजनाओं से कितना पानी उपलब्ध होने की सम्भावना है और यह पानी किन-किन क्षेत्रों को सप्लाई किया जाएगा; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य शीघ्र करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) राज्य सरकार को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा निवेश स्वीकृति प्राप्त करनी है।

राजस्थान में पेयजल की समस्या का हल

1301. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में पेयजल समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल की गई/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है। शामिल की गई/शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित योजनाएं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्वच्छ पेयजल सुविधाएं देने, गिनोकृमि, फ्लोराइड, खारेपन को दूर करने से सम्बन्धित उपमिशन, जल गुणवत्ता सर्वेक्षण कार्यक्रम, जल एकत्रीकरण ढांचों का निर्माण करने, जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित करने, मानव संसाधनों का विकास करने, निगरानी तथा जांच यूनिट बनाने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रिगों तथा अन्य उपकरणों की खरीद आदि से सम्बन्धित हैं। ग्रामीण जल सप्लाई क्षेत्र के लिए आबंटन अलग-अलग योजना के लिए नहीं बल्कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आदि जैसे मुख्य कार्यक्रमों के लिए किए जाते हैं।

अरब सागर तट पर मत्स्यन बन्दरगाह की स्थापना

[अनुवाद]

1302. श्री एम० डेनिस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से अरब सागर तट पर मत्स्यन बन्दरगाह की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्यान कृषि का विकास

1303. श्री मनमन बेहेरा :

श्री अनादि चरण दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्यान-कृषि के महत्व को देखते हुए एक अलग उद्यान-कृषि विभाग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषि उत्पादन में विविधता लाने के लिए पर्वतीय/आदिवासी शुष्क भूमि एवं समुद्रतटीय नमकीन क्षेत्रों में कृषि के साथ उद्यान-कृषि को मिलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में, राज्यवार, निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग ने बागवानी के लिए अलग से एक विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

(ख) कृषि क्षेत्र के समेकित विकास के लिए यह जरूरी समझा गया है कि कृषि और बागवानी विकास की देखभाल के लिए अलग से एक विभाग हो।

(ग) पर्वतीय/आदिवासी, बारानी और लवणीय तटीय क्षेत्रों में बागवानी को कृषि में समेकित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अपनाई जाने वाली विकासात्मक नीति कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों तथा किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक स्तर पर निर्भर करेगी। इस नीति के भाग के रूप में उत्तरी पूर्वी राज्यों, जहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, में बागवानी के विकास के लिए सहायता दी जाती है, किसानों को ऐसी बहु-प्रजातीय फसल पद्धति और अन्तःफसल पद्धति, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होगी, को शुरू करने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने आदिवासी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए दो योजनाएं अर्थात् बस्तर (मध्य प्रदेश) जिले में अन्नानास की खेती और नागालैंड में झूम खेती को बन्द करने की योजना तैयार की है।

(घ) वर्ष 1989-90 के लिए नागालैंड में झूम खेती को बन्द करने की योजना के तहत निम्बू जातीय फल और अन्नानास के अन्तर्गत 100 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाना है। इसकी तुलना में 120 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

बस्तर (मध्य प्रदेश) जिले में अन्नानास की खेती संबंधी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 0.10 हैक्टेयर के भूखंडों में प्रतिवर्ष 50 प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 31.3.1990 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को धनराशि निर्मुक्त की है और यह योजना प्रगति पर है।

गेहूं अनुसन्धान निदेशालय को करनाल स्थानांतरित करना

1304. श्री आर० गुण्डूराव :

श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :

श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गेहूं अनुसंधान निदेशालय को दिल्ली से करनाल स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री अयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) प्रायोजना निदेशालय, गेहूं के कार्यों को कारगर रूप से चलाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि इसे भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थान के, जहां यह इस समय स्थित है, प्रशासकीय नियंत्रण से अलग रखा जाय। यह भी अनुभव किया कि निदेशालय ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाय जहां गेहूं प्रमुख फसल हो। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि निदेशालय को करनाल में स्थानांतरित कर दिया जाय जहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमि आसानी से उपलब्ध थी।

खेतिहर मजदूरों के परिवारों पर ऋण का भार

[हिन्दी]

1305. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों के परिवारों पर ऋण का भार काफी समय से लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें इस ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) और (ख) वर्ष 1971-72 और 1981-82 के दौरान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षणों के आधार पर कृषि श्रमिक परिवारों पर बकाया ऋण का अनुमान लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि हालांकि, 30-6-1982 को समाप्त होने वाली 10 वर्षीय अवधि ऋणी परिवारों का अनुपात कम हो गया था फिर भी प्रत्येक परिवार पर ऋण की औसत राशि में हल्की सी वृद्धि हो गई है।

(ग) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 बनाई है।

महाराष्ट्र में पशु-रोग चिकित्सालय

1306. श्री हरिशंकर महाले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु-रोग चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) महाराष्ट्र के नासिक जिले में इस समय कितने पशु-रोग चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

1307. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) केवल वर्ष 1988 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। इसलिए वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण संक्षेप में अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :—

(क) ड्राइवर द्वारा अन्धाधुन्ध और लापरवाही से वाहन चलाने, यातायात विनियमों का पालन न किए जाने, तनाव अथवा थकान होने पर भी वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और कमजोर नजर के फलस्वरूप;

(ख) पैदल चलने वालों या, साइकल सवारों जैसे सड़क प्रयोक्ताओं द्वारा सुरक्षा के बारे में जानकारी न होने के कारण गलती करना;

(ग) वाहन में यांत्रिक खराबी, जैसे इंजिनों की स्टालिंग, ब्रेक फेल हो जाना, घिसे-पिटे टायरों का होना, विद्युतीय या संकेतक संबंधी खराबियां;

(घ) खराब सड़क स्थितियां, जैसे घटिया सड़क डिजाइन, दोषयुक्त सड़क चिन्ह;

(ङ) खराब मौसम; और

(च) वाहनों की संख्या में वृद्धि और तेजी से शहरीकरण के फलस्वरूप सड़कों पर भीड़-भाड़ और शहरों में विभिन्न प्रकार का यातायात होना, वाहनों की ओवरलोडिंग आदि।

(घ) सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :—

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक कड़ी अपेक्षाएं पूरी किए जाने का प्रावधान है।

2. परिवहन वाहन चलाने का लाइसेंस देने के लिए ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग का औपचारिक प्रशिक्षण लेना एक पूर्वापेक्षा बना दी गई है।

3. सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

4. देश भर में वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए एक समान समयान्तराल निर्धारित किए गए हैं।

5. यह निर्दिष्ट किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा उपकरण लगाए जाने चाहिए जैसे दुपहिया वाहनों में बिलंकर प्रणाली सहित दिशा-सूचक, वाहनों के लिए दोहरी ब्रेक प्रणाली, खतरनाक या जोखिमयुक्त माल ढो रहे कैरिजों पर विशेष लेबल।

6. सड़क सुरक्षा उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करें।

7. सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जाते हैं।

8. सड़कों की दशा में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके।

विवरण

वर्ष 1986 से 1988 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाएं

राज्य/संघशासित क्षेत्र	1986	1987	1988		(अनन्तिम)
1	2	3	4		5
राज्य					
आन्ध्र प्रदेश	3729	4530	4407		आर=पिछले वर्ष
अरुणाचल प्रदेश	35	34	40		के आंकड़ों की
असम	947	938	1067		पुनरावृत्ति की गई
बिहार	1261	2453	2453	(आर)	है।
गोवा	583	613	547		@="गोवा" के
गुजरात	3942	3938	5072		आंकड़ों में शामिल
हरियाणा	1064	1235	1235	(आर)	
हिमाचल प्रदेश	216	144	234		
जम्मू एवं कश्मीर	252	379	532		
कर्नाटक	3953	4443	4677		
केरल	3646	3907	4400		
मध्य प्रदेश	3542	3882	3747		
महाराष्ट्र	10826	12008	14561		
मणिपुर	162	167	150		
मेघालय	146	115	115	(आर)	
मिजोरम	36	44	47		
नागालैंड	45	57	52		
उड़ीसा	2027	2131	1660		
पंजाब	186	446	310		
राजस्थान	1658	544	1548		
सिक्किम	42	35	50		
तमिलनाडु	9338	8589	9556		

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	96	122	183	
उत्तर प्रदेश	4244	4630	4827	
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
संघ शासित क्षेत्र				
अंडमान एवं निकोबार	—	—	—	
चण्डीगढ़	232	—	48	
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	
दिल्ली	741	688	722	
दमन एवं द्वीव	@	@	7	
लक्षद्वीप	—	—	—	
पाण्डिचेरी	—	132	111	
कुल : (रिपोर्टिंग राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	52949	56204	62398	

राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव

1308. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राजमार्गों पर शुल्क लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, साथ ही उसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) शुल्क की लेवी के बारे में ब्यौरा दे पाना अभी समयपूर्व होगा क्योंकि यह यातायात की सघनता और विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर पर निर्भर करेगा। संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से शुल्क लेवी किए जाने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में मुख्य डाकघर

1309. श्री लोकेन्द्र सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों में मुख्य डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में, विशेषरूप से जिला मुख्यालयों में, कम से कम एक डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) पन्ना और दतिया जिले।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

सिंचित भूमि

1310. श्री लोकेन्द्र सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 के दौरान सरकारी संसाधनों द्वारा सिंचित भूमि का राष्ट्रीय औसत क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के पन्ना और दमोह जिलों में सरकारी संसाधनों द्वारा सिंचित भूमि का औसत क्या है; और

(ग) इन पिछड़े जिलों को सरकारी संसाधनों द्वारा सिंचित भूमि के राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) अद्यतन भूमि उपयोग आंकड़ों (1986-87) के अनुसार देश में निवल सिंचित क्षेत्र 43.049 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें सरकारी स्रोतों के जरिए सिंचित क्षेत्र लगभग 23.628 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) जिला स्तरीय सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है।

(ग) देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनके पूरा होने पर पिछड़े जिलों सहित बहुत से क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

ग्वालियर—रीवां राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

1311. श्री लोकेन्द्र सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ग्वालियर से रीवां तक के राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए अनेक सड़कें परियोजित करती रही है, जिनमें ग्वालियर—झांसी—खजुराहो—रीवां सड़क भी शामिल है। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः प्रतिक्रिया के बारे में बता पाना अभी समयपूर्व होगा।

मध्य प्रदेश के जिलों में एस०टी०डी० सुविधा

1312. श्री लोकेन्द्र सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में राज्य की राजधानी और देश की राजधानी के बीच सीधे एस०टी०डी० सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) वर्ष 1992-93 तक किन-किन जिलों को राज्य की राजधानी से एस०टी०डी० सेवा द्वारा जोड़ा जाएगा; और

(ग) वर्ष 1992-93 तक किन-किन जिलों को देश की राजधानी से एस०टी०डी० सेवा द्वारा जोड़ा जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दमोह, शिवपुरी, मांडला, नरसिंहपुर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, शहडोल, बेतूल, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ सीधी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सभी।

अस्थाई डाकघरों में काम कर रहे कर्मचारियों को पारिश्रमिक

1313. श्री मान्धाता सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने अस्थाई डाकघर कार्यरत हैं और उनमें नियुक्त डाकपालों और डाकियों को प्रतिमाह दिए जा रहे पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनको दिया जा रहा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इन कर्मचारियों को कब तक नियमित करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : अस्थाई डाकघरों की कोई श्रेणी नहीं है। तथापि 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या 1,21,896 है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों

और अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को दिए जा रहे पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित है :

	मूल भत्ते	
	न्यूनतम	अधिकतम
अतिरिक्त विभा० शाखा पोस्टमास्टर	275 रु०	440 रु०
अतिरिक्त विभा० वितरण एजेंट		
(i) दो घंटे से कम के लिए	240 रु० (निर्धारित)	
(ii) दो घंटे और उससे अधिक समय के लिए	270 रु०	420 रु०

उपर्युक्त के अतिरिक्त वे मंहगाई भत्ते के भी पात्र होंगे जोकि फिलहाल उनके मूल भत्तों के 43 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के अंशकालिक कर्मचारी हैं और उसके पास व्यवसाय के कुछ अन्य साधन होना अपेक्षित है। विभाग से मिलने वाले भत्ते उनके मूल वेतन के अनुपूरक होते हैं। उनके कार्य के घंटे भी एक दिन में 2 से 5 घंटे तक सीमित होते हैं। इस परिस्थिति में उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान करने अथवा उनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन

1314. श्री प्रताप सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जून, 1989 से आगे के समय का पुनर्मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) का समवर्ती मूल्यांकन जनवरी, 1989 से सितम्बर, 1989 तक, न कि जून, 1989 से आगे की अवधि के लिए किया गया है। समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष (राज्यवार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मुख्य सूचकों के रूप में, जनवरी, 89 से सितम्बर, 89 तक की अवधि के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष

(आंकड़े %)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अपात्र लाभार्थी		सहायता की पर्याप्तता			परिसम्पत्तियों की कीमत और लागत में अन्तर		
		4800 6400	6400 और ऊपर	पर्याप्त	अपनी धनराशि	उधार लिया गया धन	कोई अन्तर नहीं	500—1000 रु० के बीच अन्तर	1000/- रु० से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारत	11	7	81	14	5	81	3	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	4	79	11	10	92	1	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	56	43	1	58	5	22
3.	असम	13	9	84	14	2	86	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	20	8	93	6	1	66	8	7
5.	गोआ	0	0	80	15	5	97	0	0
6.	गुजरात	10	1	62	36	2	98	1	0
7.	हरियाणा	0	0	73	25	2	78	1	8
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4	84	11	5	99	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	2	0	90	8	2	96	1	3
10.	कर्नाटक	2	0	87	11	2	94	0	3
11.	केरल	8	2	63	24	13	79	2	11
12.	मध्य प्रदेश	5	2	95	5	0	71	6	7
13.	महाराष्ट्र	13	10	89	8	3	83	4	3
14.	मणिपुर	11	6	61	38	1	35	2	54
15.	मेघालय	00	0	45	55	0	29	7	58
16.	मिजोरम	10	5	46	53	1	85	4	11
17.	उड़ीसा	1	1	99	1	0	98	0	0
18.	पंजाब	18	5	66	30	4	98	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	राजस्थान	16	27	65	8	27	78	6	12
20.	सिक्किम	43	0	75	25	0	100	0	0
21.	तमिलनाडु	4	3	72	18	10	71	5	6
22.	त्रिपुरा	38	0	100	0	0	93	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	12	12	84	9	7	81	5	3
24.	पश्चिम बंगाल	30	3	96	4	0	98	0	0
25.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	36	50	84	9	7	98	0	0
26.	चंडीगढ़	0	0	20	70	10	84	0	0
27.	दादरा व नगर हवेली	5	0	90	10	0	100	0	0
28.	लक्षद्वीप	15	5	70	28	2	94	0	3
29.	पांडिचेरी	15	0	73	19	8	59	0	7

विवरण

(आंकड़े % में)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पारिवारिक आय में वृद्धि			परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय			गरीबी की रेखा को पार करने वाले व्यक्ति	
		कोई आय नहीं	51% से 100% के बीच आय	100% से अधिक आय	कोई आय नहीं	1000—2000रु० के बीच आय	2000 रु० से अधिक आय	3500/- की	6400/- रु० की
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारत	20	23	19	25	18	43	80	28
1.	आंध्र प्रदेश	20	22	11	13	16	63	82	26
2.	अरूणाचल प्रदेश	14	32	40	19	21	48	80	34
3.	असम	9	29	32	14	14	61	88	46
4.	बिहार	18	21	21	28	13	45	90	41
5.	गोआ	0	37	11	5	16	47	95	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	2	33	2	5	31	39	96	16
7.	हरियाणा	19	18	3	52	19	17	63	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	30	60	32	16	19	89	40
9.	जम्मू व कश्मीर	4	28	55	5	19	72	92	58
10.	कर्नाटक	22	25	19	33	27	24	50	6
11.	केरल	31	19	18	17	15	49	70	24
12.	मध्य प्रदेश	20	23	13	22	21	42	70	11
13.	महाराष्ट्र	58	13	13	28	22	35	79	24
14.	मणिपुर	18	25	27	30	15	47	80	32
15.	मेघालय	30	26	19	32	13	30	54	14
16.	मिजोरम	17	24	36	22	8	68	83	58
17.	उड़ीसा	2	28	14	19	22	42	63	7
18.	पंजाब	16	19	35	42	10	43	82	46
19.	राजस्थान	36	18	22	48	13	30	82	44
20.	सिक्किम	47	0	0	45	25	30	90	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	तमिलनाडु	26	21	12	30	18	33	55	12
22.	त्रिपुरा	8	8	0	26	20	30	95	35
23.	उत्तर प्रदेश	13	25	22	19	17	53	89	40
24.	पश्चिम बंगाल	25	15	1	24	15	55	97	21
25.	अंडमान व निकोबार	5	15	28	13	20	65	100	85
26.	चंडीगढ़	30	30	20	20	10	70	80	50
27.	दादरा व नगर हवेली	0	40	0	0	30	40	100	10
28.	लक्षद्वीप	25	10	50	20	10	40	80	50
29.	पांडिचेरी	10	30	20	30	25	25	80	10

विवरण

(आंकड़े % में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अतिदेयों की राशि			परिसम्पत्तियों की स्थिति		चयन की प्रक्रिया		
		कोई अतिदेय नहीं	1000 से 2000 रु० के मध्य अतिदेय	2000 रु० से अधिक अतिदेय	सही	सही नहीं	ग्राम सभा द्वारा	अधिकारियों द्वारा	अन्यों द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारत	37	21	12	73	27	67	29	4
1.	आंध्र प्रदेश	29	26	13	84	16	81	5	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	90	5	2	66	34	57	43	8
3.	असम	9	26	55	83	17	13	86	1
4.	बिहार	18	30	17	69	31	1	90	9
5.	गोआ	58	11	16	72	28	0	70	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	49	10	2	90	10	94	6	0
7.	हरियाणा	26	32	22	51	49	100	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	64	10	4	80	20	100	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	67	9	10	91	9	0	100	0
10.	कर्नाटक	26	23	13	65	35	88	8	4
11.	केरल	24	22	17	77	23	0	100	7
12.	मध्य प्रदेश	28	27	11	75	25	92	6	2
13.	महाराष्ट्र	40	17	9	66	34	85	11	4
14.	मणिपुर	83	3	15	68	32	40	49	11
15.	मेघालय	100	0	0	59	41	87	13	0
16.	मिजोरम	85	8	3	39	61	100	0	0
17.	उड़ीसा	21	26	2	72	28	95	0	5
18.	पंजाब	59	16	9	67	38	1	89	10
19.	राजस्थान	42	18	7	57	43	89	6	5
20.	सिक्किम	90	0	0	50	50	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	तमिलनाडु	28	23	16	65	35	96	3	1
22.	त्रिपुरा	23	15	8	73	27	100	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	41	19	14	80	20	63	32	5
24.	पश्चिम बंगाल	19	23	13	76	24	100	0	0
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	28	43	95	5	57	0	43
26.	चंडीगढ़	100	0	0	78	22	100	0	0
27.	दादर व नगर हवेली	10	20	10	100	0	80	20	0
28.	लक्षद्वीप	60	20	15	95	5	100	0	0
29.	पांडिचेरी	20	55	5	70	30	100	0	0

विवरण

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	परिसम्पत्तियों का बीमा			बाद की देखरेख			ऋण की वापसी की अवधि	
		हां	नहीं	आवश्यक नहीं	हां	नहीं	आवश्यक नहीं	3 वर्ष से कम	3 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारत	46	26	28	21	52	27	9	28
1.	आन्ध्र प्रदेश	47	36	17	6	60	34	9	38
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	86	2	22	77	1	0	85
3.	असम	45	53	2	15	61	24	8	46
4.	बिहार	34	23	43	40	59	1	1	30
5.	गोआ	51	49	0	33	40	27	8	35
6.	गुजरात	37	1	62	90	10	0	100	0
7.	हरियाणा	93	7	0	0	4	96	4	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	42	10	48	3	81	16	1	25
9.	जम्मू व कश्मीर	77	18	5	27	29	44	1	33
10.	कर्नाटक	68	23	9	13	52	35	4	8
11.	केरल	27	42	31	5	90	5	6	47
12.	मध्य प्रदेश	30	4	66	7	9	84	5	15
13.	महाराष्ट्र	51	10	39	35	64	1	7	19
14.	मणिपुर	3	97	0	4	96	0	0	8
15.	मेघालय	71	24	5	0	100	0	13	31
16.	मिजोरम	10	87	3	18	73	9	10	75
17.	उड़ीसा	28	40	32	72	28	0	3	38
18.	पंजाब	64	20	16	2	95	3	6	24
19.	राजस्थान	64	11	25	5	48	47	3	10
20.	सिक्किम	35	53	12	0	72	28	38	13
21.	तमिलनाडु	53	46	1	51	26	23	2	37
22.	त्रिपुरा	23	49	28	0	94	6	1	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	उत्तर प्रदेश	52	32	16	4	61	35	7	39
24.	पश्चिम बंगाल	25	39	36	1	91	8	6	62
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56	3	41	9	91	0	3	36
26.	चंडीगढ़	80	20	0	10	90	0	0	40
27.	दादरा और नगर हवेली	50	0	50	100	0	0	100	0
28.	लक्षद्वीप	8	85	7	36	61	3	10	35
29.	पांडिचेरी	56	41	3	40	25	35	8	50

तीर्थ स्थलों का विकास

1315. श्री प्रताप सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार से प्राप्त हुए विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) निम्नलिखित प्रस्ताव, जिनके ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं, राज्य सरकार से 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु प्राप्त हुए हैं :—

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	राशि
बिहार	यात्री निवास, गया	40.00
	पर्यटक परिसर वैशाली	40.00
	बोध गया में अल्पाहार गृह	10.00
	अभिषेक पुष्कर्णी का विकास वैशाली	33.48
	वैशाली, गया, बोधगया, नालन्दा और	10.00
	राजगीर में जन-सुविधाएं।	(प्रत्येक)
गुजरात	यात्री निवास, पालिताना	40.00
	सोमनाथ में पर्यटक परिसर	16.73
	अम्बाजी में मार्गस्थ सुविधाएं	8.51
मध्य प्रदेश	यात्री निवास, उज्जैन	40.00
	पर्यटक परिसर चित्रकूट	9.66
तमिलनाडु	पर्यटक परिसर, तंजावुर	20.00
	पर्यटक परिसर, कुम्भाकोनम	22.77
पश्चिम बंगाल	सागर द्वीप में पर्यटक लाज	15.00

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता राज्यवार और वर्ष वार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	3 वर्षों में जोड़
अरुणाचल प्रदेश	—	6.00	1.00	7.00
बिहार	5.00	—	2.00	7.00
गुजरात	11.50	17.50	2.00	30.00
हरियाणा	28.00	—	—	28.00
हिमाचल प्रदेश	4.00	—	12.23	16.23
कर्नाटक	—	3.00	—	3.00
केरल	7.00	—	21.00	28.00
मध्य प्रदेश	—	2.00	—	2.00
महाराष्ट्र	--	—	12.00	12.00
तमिलनाडु	7.00	54.60	46.00	107.60
उत्तर प्रदेश	5.00	3.18	40.00	48.18
पश्चिम बंगाल	—	13.60	—	13.60

अकोला और सांगानेर में टेलीफोन एक्सचेंज

1316. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन निदेशक महाराष्ट्र सर्कल को अली नगर जिले के अकोला और सांगानेर तालुकाओं में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

अकोला तहसील : वीरगांव में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 19 आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं।

सनममनेर तहसील : लिंगडियो और चित्तली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए क्रमश: 18 और 20 आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं।

(ख) प्राक्कलनों को मंजूरी दी जा चुकी है। टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर प्राप्त करने तथा आधारभूत संरचना की व्यवस्था करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है।

खाड़ी के देशों से भारतीयों को लाने हेतु चलाई गई उड़ानों की संख्या

1317. डा० दौलतराम सोनूजी अहेर :

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री एम० एम० पल्लम राजू :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

श्री मुल्लाप्पल्ली रामचन्द्रन :

श्री ए० चार्ल्स :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार द्वारा एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को कुल कितनी उड़ानें भरनी पड़ीं;

(ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा कितने भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया;

(ग) एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के माध्यम से इन नागरिकों को भारत लाने में कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या इन लोगों को वहां से निःशुल्क लाया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो पृथक-पृथक रूप से भू-परिवहन, समुद्र और विमान सेवाओं से लौटे लोगों से कितना किराया लिया गया;

(च) क्या यह सच है कि भारी भीड़ होने के बावजूद वहां से आने वाले विमानों की कई उड़ानों में सीटें खाली रहीं;

(छ) यदि हां, तो इन उड़ानों के दौरान विमानों की सीटों का औसतन क्षमता उपयोग कितना था; और

(ज) यदि उक्त क्षमता का उपयोग कम किया गया हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुवैत और इराक से भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी के लिए एयर इंडिया की कुल 485 उड़ाने चलाई गई। इस संख्या में एयर इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए गए इंडियन एयरलाइन्स के विमान भी शामिल हैं।

(ख) इन विमानों में 1,11,136 लोगों को भारत लाया गया था।

(ग) एयर इंडिया के जरिए भारतीयों को वापस लाने पर 252 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(घ) और (ङ) इन विमानों से जो लोग वापस आए उनका प्रत्यावर्तन सरकारी खर्चे पर किया गया। प्रत्यावर्तन व्यय की वसूली के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा अभी लिया जाना है।

(च) 11 सितम्बर, 1990 को केवल एक अवसर पर ही एयर इंडिया के एक विमान में कुछ सीटें खाली रहीं।

(छ) और (ज) अन्य सभी अवसरों पर विमानों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया गया। 11 सितम्बर को, कुछ सीटों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि वे बीमारों के लिए रखी गई थीं, जो चार्टेड इराकी एयरवेज उड़ान से कुवैत से आ रहे थे जिसे अन्तिम क्षणों में रद्द कर दिया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 की मरम्मत करना और उसे चौड़ा करना

1318. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 की मरम्मत करने और उसे चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में रा० रा० 3 को चौड़ा किये जाने/मजबूत किए जाने हेतु उन प्रस्तावों के ब्यौरे जिन्हें 1990-91 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में रा० रा० 3 के लिए प्रस्ताव जिनकी वार्षिक योजना 1990-91 में व्यवस्था की गई है।	वर्तमान स्थिति
1	2
(i) 362.0 कि०मी० से 377.0 कि०मी० तक के वर्तमान 2 लेन वाले पैदल पथ को सुदृढ़ करना।	जुलाई, 1990 में 188.9 लाख रु० के लिए कार्य की स्वीकृति दी गई है।
(ii) 414.0 कि०मी० से 418.0 कि०मी० तक को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।	एक नये 2 लेन वाले पुल के निर्माण के साथ-साथ वर्तमान पैदल पथ को दोनों ओर पेवड् शोल्डरों सहित चौड़ा करने के कार्य को दिसम्बर, 1990 में 199.59 लाख रु० के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
(iii) थाणे—भिवण्डी बाईपास पर वर्तमान 2 लेन के पैदल पथ को मजबूत बनाना।	राज्य से प्राप्त प्रस्ताव को मंत्रालय के नवम्बर, 1990 में, मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर पुन: तैयार करने के लिए वापिस भेज दिया।

1	2
(iv) 254.0 कि०मी० से 256.0 कि०मी० तक में वर्तमान 2 लेन वाले पैदल पथ को मजबूत बनाना।	मंत्रालय द्वारा भेजी गई टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव दिसम्बर, 1990 में राज्य को वापस भेज दिया गया।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि देना

1319. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई, 30 नवम्बर, 1990 तक वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई और इस तारीख तक होने वाले वास्तविक व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए तत्संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या धनराशि का वितरण जिलेवार कार्यनिष्पादन अधिकारी को किया गया अथवा संबंधित राज्य सरकार को ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन और नवम्बर, 1990 तक राज्यवार वास्तविक वितरण/व्यय जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) संसाधनों के आवंटन, निधियों की रिलीज तथा नवम्बर, 1989 तक इस्तेमाल की गई निधियों के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत किए जा सकने वाले कार्यों के स्वरूप के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का वितरण किया गया था। वर्ष 1990-91 के दौरान इन अनुदानों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित किया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 के लिए निधियों का आवंटन, वास्तविक वितरण तथा 1990-91 के दौरान 30 नवम्बर तक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटित संसाधन केन्द्रीय	राज्य अंश	कुल	30 नवम्बर, 90 तक वास्तविक वितरण केन्द्रीय (नगद)	राज्य का अंश	योग (कालम 6+7)	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	15332.96	3833.2	19166.20	7666.48	1916.62	9583.10	7850.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	264.54	66.13	330.67	132.27	33.07	165.34	72.91×
3.	असम	4091.67	1022.92	5114.59	2045.84	511.46	2557.29	1594.68
4.	बिहार	30773.42	7693.36	38466.78	15386.71	3846.68	19233.39	15766.24
5.	गोआ	285.82	71.45	357.27	142.91	35.73	178.64	160.11
6.	गुजरात	6472.57	1618.14	8090.71	3236.29	809.07	4045.36	1613.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	1541.46	385.36	1926.82	770.73	192.68	963.41	523.41
8.	हिमाचल प्रदेश	908.22	227.06	1135.28	454.11	113.53	567.64	258.57
9.	जम्मू और कश्मीर	1600.00	400.00	2000.00	644.61	161.15	805.76	119.91=
10.	कर्नाटक	9647.76	2411.94	12059.70	4823.88	1205.97	6029.85	3611.43
11.	केरल	5116.95	1279.24	6396.19	2558.48	639.62	3198.09	1622.85
12.	मध्य प्रदेश	21122.00	5280.50	26402.50	10561.00	2640.25	13201.25	5854.19
13.	महाराष्ट्र	16339.87	4084.97	20424.84	8169.94	2042.48	10212.42	4552.26
14.	मणिपुर	339.06	84.77	423.83	169.53	42.38	211.91	110.94
15.	मेघालय	396.73	99.18	495.91	99.18	24.80	123.98	173.06×
16.	मिजोरम	167.12	41.78	208.90	167.12	41.78	208.90	91.13
17.	नागालैंड	425.26	106.32	531.58	106.32	26.58	132.90	134.74×
18.	उड़ीसा	10475.94	2618.99	13094.93	5237.97	1309.49	6547.46	2860.78
19.	पंजाब	1340.52	335.13	1675.65	670.26	167.57	837.83	270.75
20.	राजस्थान	10244.22	2561.06	12805.28	5122.11	1280.53	6402.64	2711.99
21.	सिक्किम	154.83	38.71	193.54	77.42	19.35	96.77	43.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	13778.93	3444.73	17223.66	13778.93	3444.73	17223.66	11022.80
23.	त्रिपुरा	440.39	110.10	550.49	220.20	55.05	275.24	217.62
24.	उत्तर प्रदेश	40874.62	10218.66	51093.28	20437.31	5109.33	25556.64	14451.62
25.	पश्चिम बंगाल	17429.55	4357.39	21786.94	8714.78	2178.69	10893.47	10399.12
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	156.56	0.00	156.56	78.28	0.00	78.28	20.13
27.	चंडीगढ़	38.81	0.00	38.81	19.41	0.00	19.41	9.14×
28.	दादरा एवं नगर हवेली	84.99	0.00	84.99	42.50	0.00	42.50	23.72
29.	दमन व दीव	50.07	0.00	50.07	25.04	0.00	25.04	7.05
30.	दिल्ली	184.18	0.00	184.18	92.09	0.00	92.09	26.94=-
31.	लक्षद्वीप	78.49	0.00	78.49	39.25	00.0	39.25	29.61
32.	पांडिचेरी	153.25	0.00	153.25	76.63	0.00	76.63	118.52
		210310.79	52391.11	262701.90	111767.52	27848.59	139616.11	86323.[illegible]0

=अगस्त, 1990 तक - =सितम्बर, 1990 तक ×अक्तूबर, 1990 तक

विवरण-2

वर्ष 1989-90 के लिए निधियों के आबंटन, वास्तविक वितरण तथा वर्ष 1989-90 के दौरान 30 नवम्बर तक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटित संसाधन			30 नवम्बर, 89 तक वास्तविक वितरण			वास्तविक व्यय
		केन्द्रीय	राज्य अंश	कुल	केन्द्रीय (नकद)	राज्य का अंश	योग (कालम 6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	15455.61	3863.90	19319.51	15455.61	3863.90	19319.51	6534.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.72	61.43	307.15	245.72	61.43	307.15	57.27
3.	असम	4223.12	1055.70	5278.90	4223.12	1055.78	5278.90	966.27
4.	बिहार	30969.53	7742.38	38711.91	30969.53	7742.38	38711.91	12651.25
5.	गोआ	303.00	75.75	378.75	303.00	75.75	378.75	124.15
6.	गुजरात	6363.83	1590.96	7945.79	6363.96	1590.96	7954.79	2393.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	1654.55	413.64	2068.19	1538.11	384.53	1922.64	818.56
8.	हिमाचल प्रदेश	922.80	230.70	1153.50	922.80	230.70	1153.50	539.90
9.	जम्मू व कश्मीर	1346.19	336.55	1682.74	1346.19	336.55	1682.74	829.85
10.	कर्नाटक	9674.86	2418.72	12093.58	9674.86	2418.72	12093.58	2986.00
11.	केरल	5255.99	1314.00	6569.99	5255.99	1314.00	6569.99	1467.46
12.	मध्य प्रदेश	20495.03	5123.76	25618.79	20495.03	5123.76	25618.79	7682.63
13.	महाराष्ट्र	16795.12	4198.88	20993.90	16555.12	4138.78	20693.90	5824.08
14.	मणिपुर	353.38	88.35	441.73	353.38	88.35	441.73	276.44
15.	मेघालय	366.50	91.63	458.13	366.50	91.63	458.13	65.47
16.	मिजोरम	149.93	37.48	187.41	149.93	37.48	187.41	38.47
17.	नागालैंड	403.99	101.00	504.99	403.99	101.00	504.99	197.18
18.	उड़ीसा	10124.65	2531.16	12655.81	10124.65	2531.16	12655.81	3290.92
19.	पंजाब	1286.93	321.73	1608.66	1286.93	321.73	1608.66	1024.78
20.	राजस्थान	10075.39	2518.85	12594.24	30075.39	2518.85	12594.24	5265.76
21.	सिक्किम	158.26	39.57	197.83	158 26	39.57	197.83	92.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	14127.71	3531.93	17659.64	13877.15	3469.29	17346.44	14037.09
23.	त्रिपुरा	433.14	108.29	541.43	433.14	108.29	541.43	232.78
24.	उत्तर प्रदेश	41364.90	10341.23	51706.13	41364.90	10341.23	51706.13	19204.01
25.	पश्चिम बंगाल	17288.13	4322.03	21610.16	17288.13	4322.03	21610.16	12071.06
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	164.80	0.00	164.80	164.80	0.00	164.80	30.36
27.	चंडीगढ़	40.77	0.00	40.77	40 77	0.00	40.77	15.23
28.	दादरा व नगर हवेली	83.80	0.00	83.80	83.00	0.00	83.00	17.66
29.	दमन व दीव	52.40	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	13.06
30.	दिल्ली	187.42	0 00	187.42	187.42	0.00	187.42	51.88
31.	लक्षद्वीप	81.75	0.00	81.75	81.75	0.00	81.75	44.63
32.	पांडिचेरी	157.80	0.00	157.80	157.80	0.00	157.80	139.99
		210607.00	52459.60	263066.60	210000.00	52307.85	262307.85	98984.44

तिलहनों का निर्यात

[हिन्दी]

1320. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में तिलहनों के उत्पादन में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए तिलहनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल धीरचंदभाई शाह) : (क) सोयाबीन, सूरजमुखी और अरण्डी के उत्पादन में काफी वृद्धि रही है। रेपसीड और सरसों की सम्भावनाएं बहुत ही अनुकूल हैं। ऐसी आशंका है कि मूंगफली का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा कम रहेगा।

(ख) और (ग) अप्रैल—अक्तूबर, 1990 के दौरान तिलहनों का अनुमानित निर्यात इस प्रकार था :

जिंस	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
तिल	21600	32.78
एच० पी० एस० मूंगफली	5659	6.61
राम तिल के बीज	6920	8.40

एच० पी० एस० मूंगफली और रामतिल के बीज उच्च मूल्य की निर्यात मदें हैं। मौजूदा उपलब्धियों से, इन बीजों के निर्यात से होने वाली खाद्य तेल की कमी की मात्रा से छः गुणा अधिक आयात होता है। पक्षियों के आहार के लिए एक नगण्य मात्रा में रामतिल के बीजों का निर्यात किया जाता है। इस निर्यात से देश के भीतर अधिक मांग वाले खाद्य तेलों की उपलब्धता पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी तरफ इस निर्यात से यह सुनिश्चित हो पाया है कि घरेलू सप्लाई में वृद्धि करने हेतु खाद्य तेलों का आयात किया जाए। अत: इनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं होता।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

1321. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1990 के स्टेट्समैन में "इरिगेशन मोस्टली इन पेपर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपलब्ध सिंचाई क्षमता को पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितनी सिंचाई क्षमता पैदा की गई थी और उक्त क्षमता का कितना उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के अन्त तक, 78.97 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की प्रत्याशा है जिसमें से 70.64 मिलियन हेक्टेयर का उपयोग किया गया जो कि लगभग 88.2% है।

(घ) और (ङ) परम्परागत वर्षा पोषित कृषि से सिंचित कृषि शुरू करने में किसानों द्वारा लिए गए समय, वित्तीय अवरोधों की वजह से नहर कमान क्षेत्रों में आन फार्म विकासात्मक कार्यों की कमी के कारण सृजित क्षमता का तत्काल उपयोग नहीं किया जाता है। तथापि, सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के बीच के अन्तर को कम करने में वर्ष 1974-75 से चलाए गए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या

1322. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

श्री गंगा चरण लोधी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1990 में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या बढ़ते हुए यातायात के लिए ये बसें पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है; और

(घ) क्या लोगों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) निजी प्रचालकों के स्वामित्वाधीन बसों समेत कुल संख्या 4977 थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) आठवीं योजना के लिए सड़क परिवहन संबंधी कार्य दल ने 1990-91 में 7950 बसों की कुल आवश्यकता परियोजित की थी।

(घ) अलाभकारी भाड़े ढांचे के कारण दिल्ली परिवहन निगम के नियंत्रण में प्रचालन के लिए और अधिक निजी प्रचालक आगे नहीं आ रहे हैं। दिल्ली प्रशासन भी निजी प्रचालकों द्वारा स्वतंत्र प्रचालन के लिए स्टेज कैरिज परमिट प्रदान नहीं कर रहा है।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना पुल का निर्माण

1323. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या जल-भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पर अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट पुल का निर्माण कार्य पूरा होने संबंधी संशोधित तिथि को पुल के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण पुनः संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुल के निर्माण में विलम्ब होने के कारण निर्माण लागत बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो पुल के निर्माण पर मूलतः कितनी लागत आने का अनुमान था तथा संशोधित अनुमानित लागत कितनी है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस पुल-परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार दिल्ली प्रशासन के अनुसार निर्माण-लागत जिसमें विभिन्न कारणों से वृद्धि हो गई है अब 37.28 करोड़ रु० की मूलतः अनुमोदित लागत के मुकाबले 42 करोड़ रु० होने की संभावना है।

कृषि उपज की विपणन लागत

[अनुवाद]

1324. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि उपज की उत्पादन लागत में किसानों के विपणन लागत को भी शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि उपज की विपणन लागत का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रमुख कृषि उपजों की विपणन लागत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, नहीं। विपणन् लागत वितरण लागत का हिस्सा होती है उत्पादन लागत का नहीं।

(ख) और (ग) सरकार समय-समय पर विभिन्न कृषि जिंसों के विपणन की लागत का अध्ययन करती रही है। लेकिन, कृषि जिंसों के विपणन की लागत, हर स्थान तथा हर मौसम के लिए भिन्न होती है जो विपणन् श्रृंखला तथा निपटान के तरीके पर निर्भर करती है।

यूरिया का उत्पादन मूल्य

1325. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनी में यूरिया का उत्पादन मूल्य क्या था ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पिछले तीन वर्षों में यूरिया के उत्पादन की लागत जैसा कि उन्होंने दर्शाया है नीचे दी गयी है।

(रु०/मी० टन)

	1987-88	1988-89	1989-90
1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ० सी० आई०)			
(i) सिंदरी	3879	4304	4642
(ii) गोरखपुर	5274	6236	7581
(iii) रामागुण्डम	8458	6638	9038
(iv) तालचर	6301	14523	8108
2. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच० एफ० सी०)			
(i) नामरूप-II	3388	4598	3851
(ii) नामरूप-III	3306	3787	3341
(iii) दुर्गापुर	6685	11570	20950
(iv) बरौनी	5295	6606	11281

		(रु०/मी० टन)	
	1987-88	1988-89	1989-90
3. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०)			
(i) नंगल	3065	3046	3247
(ii) पानीपत	2985	3179	3224
(iii) भटिंडा	3215	3578	3285
(iv) विजयपुर	—	3413	3167
4. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट)	3303	27[illegible]0	3277
5. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० (एम० एफ० एल०)	4953	3318	3683
6. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर०सी०एफ०)			
(i) ट्राम्बे I	4090	4325	5147
(ii) ट्राम्बे-V	3147	2949	3444
(iii) थाल	2663	2546	2782

गेहूं की उत्पादन लागत

1326. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तरी राज्यों में गेहूं की उत्पादन लागत क्या रही; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं का प्रति क्विंटल कितनी लागत का भुगतान किया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) उत्तरी राज्य हरियाणा तथा पंजाब में 1988-89 के लिए गेहूं के उत्पादन की लागत के अनुमान (नवीनतम उपलब्ध) क्रमश: 153.84 रु० तथा 174.60 रु० प्रति क्विंटल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम में गेहूं के व्यापार की प्रति क्विंटल लागत इस प्रकार है :—

	1987-88	1988-89	1989-90
	(रुपयों में)		
खरीद लागत	34.13	36.36	40.31
वितरण की लागत	62.05	72.38	76.33
कुल व्यापारिक लागत	96.18	108.74	116.64

दूरसंचार मंडलों के लिए सलाहकार समितियां

[हिन्दी]

1327. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत ग्यारह महीनों से विभिन्न दूरसंचार मंडलों के लिए सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समितियों का गठन कब तक कर दिया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दूरसंचार डिवीजनों के लिए परामर्शदात्री समितियां का गठन नहीं किया जाता। तथापि, संचार मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे दूर-संचार सर्किलों और जिलों के लिए दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन शीघ्र ही किया जा रहा है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन की क्षमता का उपयोग

1328. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन "न्हावा सेवा" की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और इस पत्तन की पूर्ण क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस पत्तन के 90 प्रतिशत श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए पृथक-पृथक प्रबन्धन, चेयरमैन और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का इन दोनों पत्तनों के लिए एक ही प्रबन्धन नियुक्त करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) इस समय, अप्रैल, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक बल्क कार्गो के लिए क्षमता-उपयोग लगभग 45% है और कंटेनरीकृत कार्गो के लिए लगभग 20% है। पूर्ण क्षमता का उपयोग न हो पाने का कारण यह है कि पत्तन, मई, 1989 में ही चालू हुआ था और यह प्रारम्भिक समस्याओं का सामना कर रहा है। मूलभूत सुविधाएँ भी अभी पूरी तरह से विकसित की जानी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) ये दोनों पत्तन अलग-अलग स्वायत्तशासी पत्तन हैं। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत दो अलग-अलग निकाय होने आवश्यक हैं। इसके अलावा, उनके कुशल कार्यकरण की दृष्टि से भी यह आवश्यक है।

भूमि का बेनामी अन्तरण

1329. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े भू-स्वामियों ने अपनी हजारों एकड़ कृषि भूमि का बेनामी अन्तरण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूमि के देश व्यापी जाली अन्तरण की जांच के लिए एक राष्ट्रीय जांच आयोग गठित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दो वर्षों के भीतर हुए इस प्रकार के अन्तरणों को रद्द करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) संसद में और संसद के बाहर समय-समय पर शिकायतें उठी हैं कि कुछ भू-स्वामियों द्वारा अधिकतम सीमा कानूनों के प्रावधानों को विफल बनाने की दृष्टि से कृषि भूमि के बेनामी हस्तांतरण किए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि भूमि राज्य का विषय है, अतः यह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है कि वे भूमि के ऐसे लेन-देनों का पता लगाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय करें तथा उन्हें अपने अधिकतम सीमा कानूनों के दायरे में लाएं।

इस संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता के बारे में पूर्व प्रधान मंत्री ने भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का पश्चिम बंगाल हिन्दुस्तान केबिल्स और डब्ल्यू० ई० बी० ई० एल० के साथ संयुक्त उपक्रम

[अनुवाद]

1330. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का विचार पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक स्थान पर हिन्दुस्तान केबल्स और डब्ल्यू० ई० बी० ई० एल० के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तार अधिनियम और भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन

1331. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय तार अधिनियम और भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, ताकि टेलीफोन के दुरुपयोग और डाक को बीच में रोकने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) इस संबंध में सरकार भारतीय तार अधिनियम के उपबन्धों की पुनरीक्षा कर रही है।

भारतीय डाकघर अधिनियम में कुछ उद्देश्यों के लिए कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। 1986 में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ डाक को बीच में ही रोकने की व्यवस्था के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 26 में संशोधन करना भी शामिल है। उस विधेयक को राष्ट्रपति ने विशेषरूप से उक्त धारा में संशोधन करने के लिए जनवरी, 1990 में राज्य सभा को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया था। उस पर पुनर्विचार होना बाकी है। सरकार उससे सम्बद्ध पहलुओं पर विचार कर रही है।

पारादीप पत्तन का विकास

1332. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार अथवा पारादीप पत्तन न्यास बोर्ड से पारादीप पत्तन के विकास के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई, कितनी जारी की गई और अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन के विकास के संबंध मे उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। तथापि, पारादीप पत्तन न्यान से प्राप्त प्रस्ताव के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपये में)

	प्रस्ताव का नाम	अनुमानित लागत	1990-91 के लिए परिव्यय	जारी की गई निधियां	खर्च की गई निधियां
1.	दक्षिण क्वे का विस्तार	486.58	50.00	शून्य	34.00
2.	बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ का निर्माण	2450.45	16[illegible].00	शून्य	शून्य
3.	कोयला हैंडलिंग सुविधाएं	27500.00	300.00	शून्य	शून्य
4.	लोकोमोटिव्स की खरीद	338.00	49.00	शून्य	42.83

(ग) और (घ) दक्षिणी क्वे का विस्तार कार्य जनवरी, 1992 तक पूरा हो जाएगा। लोकोमोटिव्स की खरीद का काम जुलाई, 1991 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है। बहु-उद्देश्यीय कार्गो बर्थ के निर्माण और कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन के प्रस्तावों को निवेश संबंधी निर्णय के लिए हाथ में लिया गया है।

चरागाहों का विकास

1333. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो चरागाहों के लिए तैयार की गई योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में किसी राज्य में कोई अनुसंधान या प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) देश में उत्पादित चारा, पशुओं की चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

(ख) घास के मैदानों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. क्षेत्र उन्मुख ईंधन—लकड़ी तथा चारा परियोजना, जिसमें वन चारागाह का विकास करना एक संघटक है। यह योजना 1990-91 से क्रियान्वित की जा रही है।

2. वर्ष 1989-90 के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा 1990-91 के दौरान सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना जिसमें वन चारागाह/चारागाह का विकास करना एक संघटक है।

3. सामुदायिक परती भूमि विकास के लिए वन चारागाह विकास तथा ग्राम वन योजनाएं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा गोवा राज्यों में दो योजनाओं का वित्तपोषण राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड (पर्यावरण और वन मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

4. भारतीय चारागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत घास के मैदानों के विकास के लिए घास तथा लेगूम्स बीज उत्पादन कार्यक्रम।

(ग) भारतीय चारागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (उत्तर प्रदेश), घास, घास के मैदानों तथा चारा फसलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य कर रहा है।

(घ) भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा विकसित चारागाहों का सुधार तथा प्रबन्ध तकनोलोजी से वर्षा मिश्रित स्थितियों के अधीन अवक्रमित प्राकृतिक घास के मैदानों के सुधार के लिए पद्धतियों के पैकेज तैयार हुए हैं, जिनमें पशु चराने से संरक्षण, झाड़ी नियंत्रण, मृदा संरक्षण उपाय, असमतल क्षेत्रों का सुधार करना, लेगूम्स का प्रयोग करना, जहां सम्भाव्य घास मौजूद है, शामिल है।

उर्वरकों का उत्पादन

1334. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1990 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार अब भी उर्वरकों का आयात कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) देश में वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

(लाख टन)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
उत्पादन	70.70	71.31	89.64	85.43

वर्ष 1986-87 की तुलना में 1989-90 में उत्पादन में वृद्धि 20.8% हुई, 1987-88 की तुलना में यह 19.8% थी जबकि 1988-89 की तुलना में इसमें 4.7% की कमी हुई।

(ग) जी हां।

(घ) अनुमानित मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार उर्वरकों का आयात करती रही है।

ताप विद्युत संयंत्रों हेतु उड़ीसा से कोयले की ढुलाई हेतु नौवहन सेवा

1335. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से दक्षिणी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की ढुलाई हेतु नौवहन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से शुरू की जाएगी और इसका मार्ग क्या होगा ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) तमिलनाडु बिजली बोर्ड के मद्रास/टूटीकोरिन स्थित संयंत्रों के लिए पहले से कोयले का परिवहन किया जा रहा है।

उड़ीसा से कायाकुलम और मंगलूर पर प्रस्तावित थर्मल प्लांटों तक समुद्र के रास्ते, कोयले के परिवहन के लिए प्रारम्भिक विचार विमर्श हो चुका है। नौवहन सेवाएं सम्भवत: 1994-95 में, जब आवश्यकता होगी शुरू की जा सकती है।

उदयपुर जिले में डाकघर और तारघर खोलना

[हिन्दी]

1336. श्री गुलाबचन्द कटारिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उदयपुर जिले में इस समय कितने गांवों में उप डाकघर और तारघर नहीं है;

(ख) नये डाकघर, उप-डाकघर तथा तारघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत कितने गांव आते हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस क्षेत्र में कितने डाकघर, उप-डाकघर तथा तारघर खोले गये और वर्ष 1991-92 के दौरान कितने खोलने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) डाकघर : जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तारघर :

उदयपुर जिले में 2991 ग्राम ऐसे हैं जहां पर इस समय तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) डाकघर : ऐसा कोई मामला नहीं है।

तारघर :

इस समय नए संयुक्त डाकतार घर खोलने के मानदण्डों के अन्तर्गत 256 ग्राम आते हैं।

(ग) डाकघर : वर्ष 1990-91 के दौरान तीन डाकघर खोले गए। वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

तारघर :

वर्ष 1990-91 के दौरान चार संयुक्त डाक तारघर खोले गए और 91-92 के दौरान 5 संयुक्त डाक तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

जल-क्रीड़ा काम्प्लेक्स और पर्यटन में विदेशी पूंजी निवेश

[अनुवाद]

1337. श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जलक्रीड़ा काम्प्लेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या पर्यटन उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां। सरकार देश में जल-क्रीड़ा गतिविधि के विकास को बढ़ावा दे रही है।

(ख) से (घ) सरकार होटल उद्योग में विदेशी निवेश और सहयोग की अनुमति दे रही है। जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

नौवहन सेवाएं शुरू करना

1338. श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के तेल संकट का भारतीय नौवहन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दमन और दीव, दमन—मुम्बई—गोवा और मुम्बई—मंगलौर के बीच नौका सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार मद्रास-पोर्ट ब्लेयर, मद्रास—सिंगापुर तथा मद्रास—नागापटनम के बीच एम०वी० चिदम्बरम नौवहन सेवा पुनः शुरू करने पर भी विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या कोचीन और कोराती (लक्षद्वीप) के बीच तीव्र गति की नौवहन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) बंकर ईंधन की लागत, जो जहाजों की प्रचालन लागत का एक बड़ा हिस्सा है, में 2.8.1990 से बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप भारतीय जहाज मालिकों की आय में कमी आई है। खाड़ी संकट के कारण भी उस क्षेत्र में व्यापार के लिए बीमा लागतें बढ़ गई हैं। ईराक और कुवैत के साथ व्यापार पर रोक और अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा बाजार में मंदी के रुख से भी भारतीय नौवहन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) दमण-दीव और बम्बई—मंगलौर के बीच फेरी सेवा शुरू करने के लिए इस समय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने बम्बई से गोवा तक यात्री सेवा चलाने हेतु

जहाज खरीदने के लिए मेसर्स सत्यगिरि शिपिंग कम्पनी लिमिटेड (एस०एस०सी०एल०) और मैसर्स लिंक आन सी लिंक प्रा० लि० (एल०एस०पी०एल०) को अनुमोदन प्रदान किया है। सत्यगिरी शिपिंग कम्पनी लि० ने सूचित किया है कि वे, जहाज मिलते ही यात्री सेवा शुरू कर देंगे। इसमें लगभग 12 महीने लगने की सम्भावना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

राष्ट्रीय नौवहन नीति

1339. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत नौवहन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितनी कम्पनियां लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यदि नौवहन कंपनियों को कोई घाटा हुआ है तो कुल घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एक नई राष्ट्रीय नौवहन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) 52 नौवहन कम्पनियां हैं। लाभ अर्जन करने वाली कम्पनियों की सही संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन के अनुसार इनमें से लगभग सभी कम्पनियों ने वर्ष 1989-90 के दौरान, ब्याज और मूल्य ह्रास से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया है।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31.3.90 को यथास्थिति बड़ी नौवहन कम्पनियों की कुल संचित हानि निम्नलिखित है :—

कम्पनी का नाम	हानि (लाख रु०)
(1) चोगले स्टीम शिप्स लि०	8.00
(2) सुरेन्द्रा ओवरसीज लि०	2327.00
(3) सिंधिया स्टीम शिप नेवीगेशन कम्पनी लि०	13510.00
(4) इंडिया स्टीम शिप कम्पनी लि०	10466.00
(5) तोलानी शिपिंग कम्पनी लि०	58.00

(6) सिक्काल जेबर्सेस शिप्स (इंडिया) लि०	55.00
(7) दामोदर बल्क कैरियर्स लि०	3590.00
(8) मंगला बल्क कैरियर्स लि०	173.00

(ग) जी हां।

(घ) नई नौवहन नीति के मसौदे में निम्नलिखित मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाना आशयित है :—

(I) अधिग्रहण-प्रस्तावों का और शीघ्र निपटान, पुराने जहाजों के लिए आयु के मानदंड, स्क्रैपिंग/बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाना, इत्यादि के बारे में नीतिगत प्रोत्साहनों की आवश्यकता।

(II) जहाजों के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

(III) वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

(IV) नौवहन उद्योग के लिए निवेश भत्ते को पुनः लागू करना।

(V) जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत में वृद्धि करना।

(VI) नौवहन में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

(VII) पुराने जहाजों की अपेक्षा नये जहाजों के अधिग्रहण के प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक संतुलित नीति।

(VIII) कबोटेज कानूनों का लगातार प्रवर्तन।

(IX) तटीय नौवहन का विकास।

(X) जहाज अधिग्रहण के वित्त पोषण के नवीन तरीकों को पता लगाने की आवश्यकता।

(XI) नये टनभार के अधिग्रहण में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वरीयता देने की वर्तमान नीति की समीक्षा करना।

मुख्य पत्तन न्यासों को हुआ घाटा

1340. श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य पत्तन न्यासों को पिछले एक वर्ष के दौरान चोरी उठाईगीरी और कुप्रबंधन के कारण कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) विभिन्न मुख्य पत्तनों और बंदरगाहों में पिछले एक वर्ष से बिना दावे के पड़े हुए माल की कुल टनेज का ब्योरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990 तक की एक वर्ष की अवधि के दौरान 11 महापत्तनों को लगभग 14,87,496 रु० मात्र (चौदह लाख सत्तासी हजार चार सौ छियानवे रुपये) की हानि हुई।

(ख) 11 महापत्तनों में एक वर्ष से अधिक समय से बगैर दावे का लगभग कुल 23,288 मीट्रिक टन कार्गो पड़ा है।

नई नियुक्तियों और नये डाकघरों की स्थापना पर प्रतिबंध

[हिन्दी]

1341. श्री काशीराम राणा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984 से नये डाकघरों की स्थापना तथा डाक व तार विभाग में नई नियुक्तियां करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) सरकार ने 1984 में नए पदों के सृजन के साथ-साथ रिक्त पदों को भरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, बाद में सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र दे देने इत्यादि के कारण रिक्त हुए पदों को भरने के लिए प्रतिबंध में ढील दी गई थी। उपरोक्त प्रतिबंध के कारण नए डाकघर खोलने पर भी प्रभाव पड़ा है।

(ख) से (घ) अब प्रतिबन्ध केवल नए पदों के सृजन पर ही है। तथापि, सरकार विशेष मामलों में इसमें छूट दे सकती है। जिन स्थानों पर नए डाकघर खोलने का औचित्य बनता है उन मामलों में शक्तियों का प्रयोग वित्त मंत्रालय की सहमति से किया जा रहा है। यह प्रतिबंध मित-व्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश में तीर्थस्थानों का विकास

1342. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कौन-कौन से तीर्थस्थानों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) क्या बुद्ध तीर्थ स्थान, कुशीनगर के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित तीर्थ केन्द्रों पर स्कीमें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए हाथ में ली गई :—

(लाख रुपयों में)

स्थान	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
इलाहाबाद	यात्री निवास	29.24	20.00
	फास्ट फूड काउंटर	3.18	3.18
	नेहरू घाटों का विकास	37.18	37.18
वाराणसी	घाटों का विकास	45.00	41.50
मथुरा	पर्यटक बंगला	27.64	11.00
अयोध्या	ओपन एयर थियेटर	26.80	13.40
श्रावस्ती	पर्यटक परिसर	63.00	20.00
हरिद्वार	कुम्भ मेले के लिए स्विस कुटीरें	17.48	15.73
वृन्दावन	यात्रिका	13.70	12.00
कम्पिल	यात्रिका	5.90	5.90
नन्द मेहर	यात्रिका	7.48	7.48

(ख) जी, हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए जापानी सहायता-प्राप्त ओ०ई०सी०एफ० प्रोजेक्ट के अन्तर्गत, कुशीनगर सहित पर्यटक अभिरुचि के कतिपय चुनिंदा बौद्ध स्थानों पर राज्य सड़कों और सेतुओं का निर्माण करने/को सुदृढ़ करने के संबंध में उप-परियोजनाएं हैं । कुशीनगर में 40 कमरों वाले एक होटल का निर्माण करने की भी एक उप-परियोजना है ।

कृषि उपकरणों और उर्वरकों के मूल्यों में कमी

1343. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उपकरणों और उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जाजपुर (उड़ीसा) में मानव चालित एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

[अनुवाद]

1344. **श्री अनादि चरण दास** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाजपुर (उड़ीसा के कटक जिले) में और धनमंडल में मानव चालित एक्सचेंजों और जाजपुर उपमंडल के कुछ स्वचालित एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) जाजपुर उप-मंडल के अधीन निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है :—

1. जाजपुर नगर	512 पी०आई०एल०टी०
2. धन मंडल	512 पी०आई०एल०टी०
3. जाजपुर रोड	512 पी०आई०एल०टी०
4. दामुनीपाल	128 पी०सी०—डी०ओ०टी०
5. केलिपानी	128 पी०सी०—डी०ओ०टी०
6. जराका	128 पी०सी०—डी०ओ०टी०
7. कुलखिया	128 पी०सी०—डी०ओ०टी०
8. सुकिन्दा	64 पी० एम०आई०एल०टी०
9. जयपुरा	64 पी० एम०आई०एल०टी०
10. पोनीलबेली	64 पी० एम०आई०एल०टी०
11. बालंगा	64 पी० एम०आई०एल०टी०
12. बिन्झापुर	64 पी० एम०आई०एल०टी०

13. सिंगपुर	64 पी० एम०आइ०एल०टी०
14. बेरीकटीका	64 पी० एम०आई०एल०टी०
15. कुंडाल	64 पी० एम०आई०एल०टी०
16. छतिया	64 पी० एम०आई०एल०टी०
17. बरूनदोई	64 पी० एम०आई०एल०टी०

उपर्युक्त सभी एक्सचेंज 8वीं योजना के दौरान उपस्कर उपलब्ध होने पर चालू किए जाएंगे।

श्री बिलिगिरि रंगाना पर्वतों का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

1345. **श्री जौस फर्नान्डीज :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक के मैसूर जिले में श्री बिलिगिरि रंगाना पर्वतों को पर्यटक स्थल के रूप में स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान इसके विकास के लिए धनराशि का आवंटन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) से (ग) किसी स्थान का विकास करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, कर्नाटक राज्य सरकार से परामर्श करके बिलिगिरि रंगाना पर्वतों पर कुटीरों का निर्माण करने की एक स्कीम की 16.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

भारत—ईरान सम्बन्ध

[हिन्दी]

1346. **श्री बालेश्वर यादव :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए हाल ही में कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ईरान के साथ संबंध सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अप्रैल और सितम्बर, 1990 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच लाभप्रद विचार-विमर्श हुआ। बाद में अक्तूबर, 1990 में ईरान के पेट्रोलियम उप-मन्त्री तथा ईरानी मजलिस के वैदेशिक संबंध समिति के अध्यक्ष भी भारत आए। इन मुलाकातों में दोनों पक्षों ने

द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर तथा पारस्परिक विश्वास एवं सद्भाव को और अधिक विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान को अपनाये रखने तथा उसे और बढ़ाने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं।

राजौरी और पुंछ में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

1347. श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के राजौरी और पुंछ जिलों में पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) पर्यटक स्थानों का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोषों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मंजूर करता है। पर्यटन मंत्रालय ने 1990-91 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से परामर्श करके राजौरी—पुंछ जिले में निम्नलिखित परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की है :

(1) चिंगास में पर्यटक आवास।

(2) तप्तपानी में पर्यटक आवास।

टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतें

1348. श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून से सितम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं से कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतों को तत्काल दूर कर दिया गया है; और

(ग) कम-से-कम शिकायतें प्राप्त होने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जून से सितम्बर, 1990 के दौरान शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

		प्रति 100 केन्द्र प्रतिमाह शिकायतों की संख्या के संदर्भ में
जून, 1990	172576	29.0
जुलाई, 1990	200065	32.0
अगस्त, 1990	193878	31.2
सितम्बर, 1990	189428	32.0

(ख) उसी दिन दोषों को ठीक किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

जून, 1990	70.2 प्रतिशत
जुलाई, 1990	70.8 प्रतिशत
अगस्त, 1990	66.9 प्रतिशत
सितम्बर, 1990	60.0 प्रतिशत

(ग) शिकायतों को कम करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(क) बाह्य संयंत्र :

(i) बाह्य संयंत्र को सही ढंग से व्यवस्थित करना और उसे पुन: स्थापित करना तथा उन्हें उपभोक्ताओं के परिसर में फिट करना।

(ii) वितरण बिन्दुओं के बिनेटों और पिलरों पर ताले लगाना और उसकी ड्रेसिंग करना।

(iii) नालियों में भूमिगत केबिल बिछाना।

(iv) प्रारम्भिक और गौण केबिलों के जंक्शनों का दाबीकरण।

(v) वितरण नेटवर्क के लिए जेली भरे केबिलों का प्रयोग करना।

(vi) बेहतर टर्मिनेशनों का प्रयोग।

(vii) इन्सुलेटेड ड्रॉप वायर का प्रयोग।

(viii) पुराने दोषोन्मुख केबिलों का बदलना।

(ix) केबिल बनाने वाली प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।

(x) बेहतर टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज और मीडिया

(1) नेटवर्क में पुराने और अक्षम एक्सचेंजों को बन्द करना।

(2) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की शुरूआत।

(3) इलेक्ट्रानिक 2 ट्रांजिट एक्सचेंजों की शुरूआत।

(4) जंक्शन नेटवर्क में पी०सी०एम० प्रणालियों की शुरूआत।

(5) आप्टिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों की शुरूआत।

(ग) सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

आंवला परियोजना का विस्तार

[हिन्दी]

1349. श्री राजवीर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड ने आंवला परियोजना (1987) के विस्तार के लिए दो वर्ष पहले 557 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी और इसके लिए आशय-पत्र जारी कर दिया था।

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) इफको ने आंवला स्थित गैस पर आधारित अपने अमोनिया/यूरिया संयंत्र की 684.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर क्षमता दुगनी करने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने अभी तक परियोजना को अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल जिले के सनकी ब्लाक चिकटन ब्लाक में टैलीफोन केन्द्र की स्थापना

1350. श्री मोहम्मद हसन कमांडर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कारगिल जिले (जम्मू और कश्मीर) के सनकी और चिकटन ब्लाकों में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों को कब तक स्थापित करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) कारगिल जिले (जम्मू-कश्मीर) के सनकी और चिकटन ब्लाकों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई० टी० ओ० के निकट यमुना पुल पर दूसरे उपरि पुल का निर्माण

[अनुवाद]

1351. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आई० टी० ओ० के निकट यमुना के ऊपर एक अन्य उपरि पुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है और वस्तुत: इस पुल के निर्माण के लिए वास्तव में किस स्थान को चुना गया है; और

(ग) इस पुल की अनुमानित लागत कितनी है और इसके निर्माण के लिए धनराशि किन-किन स्रोतों से जुटाई जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) इस पुल परियोजना के, जिसे मौजूदा पुल से 15 से 20 मीटर पर बहाव की ओर बनाए जाने का प्रस्ताव है, क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी दिल्ली प्रशासन के अनुसार इसके निर्माण के लिए समय सारणी बता पाना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि उन्हें अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली शहरी कला आयोग से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसका वित्त पोषण दिल्ली प्रशासन के लिए निर्धारित योजनागत निधियों से किया जाना है ।

हिन्दुस्तान समाचार को-आपरेटिव सोसाइटी, नई दिल्ली में चुनाव

[हिन्दी]

1352. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान समाचार को-आपरेटिव सोसायटी, दिल्ली के प्रबन्धक बोर्ड के चुनावों तथा अन्य कार्यकलापों में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 69 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक जांच का आदेश दिया गया था । बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत उन्हें सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार की शक्तियां प्राप्त हैं । जांच रिपोर्ट पर आगामी कारंवाई चल रही है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

संतरे की फसल कीटों की से सुरक्षा

[अनुवाद]

1353. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में संतरे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, पिछले एक वर्ष के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या विदर्भ क्षेत्र में संतरे की फसल पर कीटों के आक्रमण के कारण, इसके उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा संतरे की फसल को कीटों से बचाव के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) महोदय, नींबू वर्गीय फलों से सम्बन्धित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर द्वारा विकसित की गई फसल उत्पादन टेक्नोलोजी का प्रदर्शन महाराष्ट्र के नारखेड और गादेगांव क्षेत्र में किया गया। किसानों के सामने टेक्नोलाजी के प्रदर्शन के लिए गादेगांव में एक खेत दिवस का आयोजन किया गया। नींबू के उत्पादन में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कार्य को बढ़ाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) संतरे की फसल को काली मक्खी से बचाने वाली टेक्नोलोजी का किसानों के सामने प्रदर्शन बड़े पैमाने पर संक्रमित बागानों पर किया गया।

सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाना

1354. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और समय एवं अधिक लागत से बचने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विलम्बित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन आबंटित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) कोई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा 1974-75 में सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के मध्य अन्तर को कम करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इस समय 20 राज्यों और 2 केन्द्र शासित राज्यों में 131 केन्द्रीय

प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास परियोजनाएं हैं, जिनमें 18.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता समान आधार पर प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान 85.5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं का पूर्ण होना राज्यों के बजट प्रावधानों तथा केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करता है।

फास्फोरिक एसिड और अमोनिया का आयात

1355. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से खाड़ी संकट के कारण फास्फोरिक एसिड और अमोनिया का आयात बन्द हो जाने के कारण उर्वरक उद्योग को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाड़ी संकट को देखते हुए उर्वरक उद्योग को कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) आयातित फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया की उपलब्धि में बाधाओं के कारण फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) इस कारण उर्वरक उद्योग को कोई प्रोत्साहन देना विचाराधीन नहीं है।

कतिपय दूरसंचार सेवा को गैर-सरकारी क्षेत्र को देना

1356. श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली का केबल बिछाने का ठेका गैर-सरकारी (प्राइवेट) ठेकेदारों को सौंपने और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का कार्य प्राइवेट कम्पनियों को "फ्रैंचाइसिड पे फोन्स" के अन्तर्गत देने और "पे फोन्स" के स्थानांतरण और "पुश बटन" का उत्पादन सरकारी क्षेत्र की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई०टी०आई०) को न देकर गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) चूंकि कार्य की प्रमात्रा बहुत अधिक है और इसे विभागीय तौर पर नहीं किया जा सकता, अतः महानगर टेलीफोन निगम लि० की विस्तृत विस्तार योजनाओं को देखते हुए

दिल्ली में केबल बिछाने के काम को निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है।

(II) निजी कम्पनियों को भी विशेष अधिकार के आधार पर पे-फोनों का प्रचालन करने की अनुमति दी गई है ताकि मुख्य स्थानों पर बढ़िया किस्म के उपकरणों वाले अनेक पे-फोनों की व्यवस्था हो सके और साथ ही अभिगम्यता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

(III) सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में भी पे-फोन और पुश बटन टेली-फोनों का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई हैं।

ग्वालियर—चम्बल क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुई क्षति

1357. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर—चम्बल क्षेत्र सितम्बर, 1990 में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से प्रभावित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए तथा सम्पत्ति और फसल को कितनी क्षति हुई; और

(ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की और केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री कांतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि सितम्बर, 1990 में ग्वालियर—चम्बल क्षेत्र के भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी तथा गुना जिले बाढ़ तथा भारी वर्षा की चपेट में आए थे। हुई क्षति का सूचित ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) मृत व्यक्तियों की संख्या	33
(2) घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	सूचना नहीं दी गई
(3) क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और प्राइवेट सम्पत्ति	लगभग 20.00 करोड़ रुपये
(4) खरीफ फसलों का क्षतिग्रस्त क्षेत्र	33766। हैक्टेयर

(ग) राज्य सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए आपदा राहत कोष में केन्द्रीय हिस्से की 693 75 लाख रुपये की तीसरी किश्त देने का अनुरोध किया है। 9 अक्तूबर, 1990 को यह धनराशि राज्य सरकार को दे दी गई है।

भारतीय राज्य फार्म निगम की भूमि को भूमिहीनों में बांटना

1358. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार समिति ने भारतीय राज्य फार्म निगम को समाप्त करने तथा इसकी

भूमि को भूमिहीनों में बांटने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश मान ली है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निगम के कार्यकरण में सुधार करने के क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता

1359. **श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका का पाकिस्तान को आगे दी जाने वाली संयुक्त राज्य अमरीका की प्रस्तावित सहायता को ध्यान में रखते हुए उस शर्त को हटाने का विचार है जिसके अन्तर्गत एक ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है कि संयुक्त राज्य अमरीका के शस्त्रों एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों के पास परमाणु शस्त्र अथवा इन शस्त्रों को उत्पादन क्षमता नहीं होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। सरकार ने इस आशय की खबर देखी हैं।

(ख) यह अमरीकी और पाकिस्तानी सरकारों के बीच द्विपक्षीय मामला है।

पारादीप में शिपयार्ड की स्थापना

1360. **श्री शिवाजी पटनायक :**

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में एक शिपयार्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रस्तावित शिपयार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में शिपिंग बोर्ड के अध्ययन दल की रिपोर्ट का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, हां। छठी योजना में सरकार के समक्ष दो नए शिपयार्डों की स्थापना का प्रस्ताव था—एक पारादीप में और दूसरा हजीरा में। उपर्युक्त प्रस्ताव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 19 3 में गठित एक तकनीकी आर्थिक दल द्वारा किए गए प्रारम्भिक मूल्यांकन तथा बाद में परामर्शदाताओं

द्वारा तैयार की गई प्रारम्भिक और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया था। तथापि, संसाधनों के अभाव और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कारण छठी या सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त शिपयार्ड की स्थापना पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्य दल ने सिफारिश की कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन की जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के अतिरिक्त कम से कम एक नए शिपयार्ड की स्थापना की जाए। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अन्तिम तस्वीर अभी सामने नहीं आई है और संसाधनों के अत्यन्त अभाव के कारण 1990-91 और 1991-92 की वार्षिक योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव शामिल करना संभव नहीं था। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक सरकार द्वारा इस समय इस पर कोई कारंवाई अपेक्षित नहीं है।

सिंचाई कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

1362. **श्री महेश्वर सिंह :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय (सिंचाई क्षेत्र)	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	452.64	295.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.65	9.20
3.	असम	119.91	68.25
4.	बिहार	440.52	376.00
5.	गोवा	33.11	28.41
6.	गुजरात	358.50	381.90
7.	हरियाणा	72.68	99.20

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	23.40	25 35
9.	जम्मू तथा कश्मीर	40.02	33.59
10.	कर्नाटक	209.40	209 40
11.	केरल	79.75	88.45
12.	मध्य प्रदेश	411.43	452.71
13.	महाराष्ट्र	441.02	462.02
14.	मणिपुर	40.64	31.60
15.	मेघालय	9.38	6.71
16.	मिजोरम	3.26	2.62
17.	नागालैण्ड	4.68	3.23
18.	उड़ीसा	287 71	239.38
19.	पंजाब	66.06	66.06
20.	राजस्थान	197.69	178.09
21.	सिक्किम	1.90	1.90
22.	तमिलनाडु	72.01	73.50
23.	त्रिपुरा	17.60	14.40
24.	उत्तर प्रदेश	428.40	462.97
25.	पश्चिम बंगाल	104.76	104.76
	कुल राज्य	3930.12	3714.70
	संघ राज्य क्षेत्र	—	6.61
	कुल जोड़	3930.12	3721.31

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

1363. **श्री महेश्वर सिंह :**

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को 1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में पर्यटन को

बढ़ावा देने के लिए प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत योजनाओं और राज्य सरकार को आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश सरकार से 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित स्कीमें मिली हैं :—

1. मनाली में लाग हट ।

2. जेस्पा में मार्गस्थ सुविधाएं ।

3. पैदल भ्रमण के लिए 100 टेन्ट ।

4. नैना देवी में यात्री निवास ।

5. साहसिक खेल उपकरणों की खरीद ।

जेस्पा में मार्गस्थ सुविधाओं की स्कीम 11.59 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत की गई है और 6.00 लाख रुपये रिलीज कर दिए गए हैं । टैन्टों की स्कीम 4.80 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत की गई है और 4.00 लाख रु० रिलीज कर दिए गए हैं ।

केन्द्रीय सड़क निधि

1364. श्री महेश्वर सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री केन्द्रीय सड़क निधि के बारे में 30 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में केन्द्रीय सड़क निधि संकल्प के अनुसार नियमित रूप से धन राशि जमा करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सड़क निधि में जमा राशि वितरण हेतु उपलब्ध करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) संसद के दोनों सदनों द्वारा मई, 1988 में पारित किए गए संकल्प में की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि की संभूतियां संवितरण हेतु अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है ।

(घ) सरकार मामले पर सक्रियता से विचार कर रही है ।

खम्भात की खाड़ी पर पुल का निर्माण

[अनुवाद]

1365. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नर्मदा नदी से सौराष्ट्र के भावनगर जिले में होघा तट तक पाइप लाइन बिछाने के कार्य में खम्भात की खाड़ी पर एक पुल का निर्माण करके गुजरात सरकार को किसी प्रकार की सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) पाइप लाइन बिछाने से सूखा प्रवण क्षेत्रों/क्षेत्र को पेय जल उपलब्ध कराने में कितनी सहायता मिलेगी ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) नर्मदा नदी से पाइप लाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु गुजरात राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

1366. प्रो० मधु दण्डवते :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि० के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उनकी जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो प्लेटिनम कैटेलिस्टस, फैक्स मशीनों और पर्सनल कम्प्यूटरों को कथित अविवेकी खरीद में विदेशी मुद्रा के अपव्यय होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो क्या कथित अनियमितताओं से सरकारी क्षेत्र की इस कम्पनी को भारतीय स्टेट बैंक से अधिक ब्याज दर पर ऋण लेकर केनरा बैंक में कम ब्याज दर पर राशि जमा करने के कारण घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जो अभी निलंबित है, द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) उनके खिलाफ आरोपों से सम्बन्धित इन मामलों की जांच कर रहा है। (i) केन्द्रीय

खरीद समिति द्वारा की गई जूट और एच०डी०पी०ई० बोरियों की खरीद; (ii) विभिन्न संयंत्रों की रंगाई के लिए ठेका दिया जाना। (iii) विशेष किस्म की पैंकिंग सामग्री की खरीद के लिए एक फर्म को ठेका दिया जाना। कुछ अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है।

(ग) प्लेटिनम उत्प्रेरक फैक्स मशीनों और व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की खरीद भारतीय पार्टियों द्वारा की गई और आर०सी०एफ० द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) आर०सी०एफ० ने केनारा बैंक के विनियोजन के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कोई निधि उधार नहीं ली है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

1367. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1990 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) सरकार प्रत्येक एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) सभी नामदर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 30.11.90 की स्थिति के अनुसार (I) उज्जैन में 1635 (II) इन्दौर में 32267 (III) रतलाम में 1550 (IV) मंदसौर में 641 और (V) नीमच में 85 व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के मसौदा प्रस्ताव में 5000 अथवा अधिक की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची की अवधि घटाकर औसतन एक वर्ष करना और 5000 लाइनों से कम क्षमता के एक्सचेंजों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। इन उद्देश्यों से इस प्रकार की विस्तार योजना बनाई गई है ताकि आठवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाया जा सके, बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हों।

कर्नाटक में ग्रामीण दूरसंचार सेवा का विस्तार

[अनुवाद]

1368. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक दूरसंचार सर्किल के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए आठवीं योजना के मसौदा प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल हैं : —

— सभी एक्सचेंजों में मांग होने पर 31.3.95 तक टेलीफोन प्रदान कर देना। (1000 लाइनों की क्षमता से कम)

— सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था।

– इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 96,000 स्विचन उपस्कर की वृद्धि करना शामिल है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का गैर-सरकारीकरण

1369. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे होटलों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) संयुक्त उद्यम कम्पनियों को निर्मित करके कुछ होटलों का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव है, लेकिन भारत पर्यटन विकास निगम के किसी होटल का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) चूंकि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए ऐसे प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे देने का प्रश्न नहीं उठता।

डाक और तार विभाग में भर्ती

1370. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के अन्तर्गत श्रेणीवार कुल कितने पदों का सृजन किया गया और कुल स्वीकृत पदों में से कितने पदों को भरने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) :

डाक विभाग :

(क) और (ख) डाक विभाग में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के जो-जो पद बनाने की मंजूरी दी गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन्हें भर्ती नियमों के अनुसार विभाग की विभिन्न भर्ती यूनिटों द्वारा भरा जाता है। रिक्त पदों को वास्तविक रूप से भरने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

दूरसंचार विभाग :

दूरसंचार विभाग से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों में सृजित पदों की संख्या का विवरण

पदों के नाम	सृजित पदों की संख्या
1	2
डाक मशीनीकरण परियोजना :	
1. प्रबन्धक (अभियांत्रिकी संवर्ग का एस०टी०एस० समूह "क"	1
2. वरिष्ठ अभियन्ता (समूह "क" जे०टी०एस०)	4
3. सहायक अभियंता (समूह "ख")	12
4. तकनीशियन (समूह "ग")	1
5. कुशल मजदूर (क्लीनर) समूह "घ"	3
6. हिन्दी अधिकारी (पी०सी०एस० समूह "ख"	1
7. डाक सहायक (समूह "ग")	2400
8. छंटाई सहायक ,,	334
9. छंटाई पोस्टमैन ,,	151
10. पोस्टमैन ,,	2359
11. ड्राइवर ,,	60
12. निदेशालय में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह "ग"	1

1		2
13. डाक सहायक	(स्पीड पोस्ट)	79
14. छंटाई सहायक	,,	60
15. पोस्टमैन	,,	91
16. निरीक्षक रेलवे डाक	,,	4
17. निरीक्षक डाकघर	,,	8
18. अवर सेवा ग्रेड	,,	10
19. सहायक अधीक्षक रेलवे डाक सेवा	,,	17
20. अधीक्षक रेल डाक (समूह "ख")		1
21. समूह "घ"		79

कमला नदी के ऊपर "साइफन"

[हिन्दी]

1371. **श्री योगेन्द्र झा :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कमला नदी के ऊपर पश्चिम कोसी नहर पर "साइफन" का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम कोसी नहर की मुख्य धारा और इसकी सहायक नदियों का कितना निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने पश्चिम कोसी नहर और इसकी सहायक नदियों के लिए आबंटित धनराशि वापस ले ली है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने मेसर्स एन० पी० सी० सी० लिमिटेड को हाल ही में कार्य आबंटन करते हुए आशय पत्र जारी किया है।

(ग) पश्चिमी कोसी नहर वितरण नेटवर्क पर मार्च, 1990 तक प्राप्त की गई उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

मिट्टी कार्य	—	60 प्रतिशत
पक्का करना	—	80 प्रतिशत
संरचना	—	35 प्रतिशत

पश्चिमी कोसी नहर की मुख्य धारा और इसकी वितरणियों का समग्र कार्य 1994-95 तक पूरा किया जाना है।

(घ) कार्यों की आवश्यकता और उनकी अवस्था के अनुसार निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी

[अनुवाद]

1372. श्री ए० के० राय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के संबंध में सरकार के निर्देश हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम, सिंदरी एकक, में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक सरकार की नजर में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(घ) इसके मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उचित दावों को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया अथवा उर्वरक विभाग के नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने हेतु कोई सरकारी आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देशों से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

1.73. प्रो० के० वी० थामस :

श्री रमेश चेन्नी थाला :

श्री मोरेश्वर सावे :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री ए० विजयराघवन :

डा० वेंकटेश काबड़े :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कुवैत और इराक से आए हुए भारतीय शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के संबंध में क्या सरकार को केरल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने इराक और कुवैत से प्रत्यावर्तित भारतीयों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया है।

(ख) और (ग) सरकार को केरल के मुख्यमंत्री से एक ज्ञापन मिला है जिसमें दूसरी बातों के अलावा प्रत्यावर्तित लोगों के शीघ्र पुनर्वास के लिए उपाय करने तथा इस प्रयोजन के लिए एक समिति तथा कोष स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

दूरसंचार आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

[हिन्दी]

1374. श्री हरीश रावत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन, सेवा शर्तें, प्रोन्नति आदि के बारे में प्रस्ताव बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सारी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दूरसंचार विभाग में निम्नलिखित दो घटकों की एक स्कीम आरम्भ की गई है :—

(i) वर्तमान तकनीकी और सम्बद्ध संवर्गों का पुनर्गठन और समूह "ग" और "घ" में नए संवर्गों का गठन

(ii) एक समयबद्ध स्कीम के अन्तर्गत आने वाले समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की 26 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा।

(ख) रु० 975—1540 और रु० 1320—2040 के वेतनमान में क्रमशः दूरसंचार तकनीकी सहायक और फोन मैकेनिक के नए संवर्ग सृजित किए जाएगे। इसी प्रकार रु० 1320—2040 और रु० 1640—2900 के वेतनमान में क्रमशः वरिष्ठ दूरसंचार आप्रेटिंग सहायक और वरिष्ठ सहायक अधीक्षक तार परियात के नए संवर्ग भी सृजित किए जाएगे। लाइनमैन, वायरमैन, केबल स्पाइसर्स तकनीशियन, ट्रांसमिशन सहायक, वायरलैस आपरेटर, ऑटो एक्सचेंज सहायक और फोन निरीक्षक के संवर्गों में कोई नई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। उपरोक्त पुनर्गठन के कारण प्रभावित

वर्तमान संवर्ग में एक समयबद्ध स्कीम के अन्तर्गत आने वाले और 26 वर्ष की सेवा पूरी करने पर द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा के अधीन पदोन्नति दी जाएगी।

(ग) यूनियनों द्वारा इसे लगभग स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) 1991 तक

ब्यूरो फैक्स सेवा

1375. श्री हरीश रावत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ब्यूरो फैक्स सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन क्षेत्रों के मुख्य शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इन नगरों में ब्यूरो फैक्स सेवा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा में ब्यूरोफैक्स सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चमोली, उत्तरकाशी, टीहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, जैसे जिला मुख्यालयों तथा ऋषिकेश (हरिद्वार), हल्दवानी और श्रीनगर (गढ़वाल) जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में भी ये सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

नारियल बागानों का विकास

[अनुवाद]

1376. प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 1990-91 के लिए नारियल बागानों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल उत्पादक राज्यों को योजनावार कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री बयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के विकास हेतु 1990-91 के

लिए तैयार की गई योजनायें हैं—अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री का उत्पादन, नारियल के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि, नारियल की उत्पादकता बढ़ाना, मुख्य कृमियों और रोगों पर समेकित नियंत्रण, नारियल की फसल प्राप्ति के बाद की प्रोसेसिंग और नारियल के विपणन् के लिए नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र प्रसार तथा प्रचार एकक की स्थापना करना और सर्वेक्षण और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना।

(ग) नारियल विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धन इस प्रकार है :—

राज्य	रुपए लाखों में
केरल	47.000
कर्नाटक	19.725
तमिलनाडु	12.750
बिहार	11.425
त्रिपुरा	7.590
असम	6·530
मध्य प्रदेश	6.500
उड़ीसा	4.750
आंध्र प्रदेश	4.730
पश्चिमी बंगाल	2.000
महाराष्ट्र	1.730
गुजरात	1.150
गोआ	1.140
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0.750
पांडिचेरी	0.200
मणिपुर	0.120

अन्तर्राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए राज्यों को धनराशि का प्रावंटन

1377. **डा० वेंकटेश काबड़े :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गांवों की अन्तर्राज्यीय सड़कों का सुधार करने के लिए और अधिक धनराशि देने का है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने अन्तर्राज्यीय सड़कों के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की है और इसमें केन्द्रीय सरकार ने कितना प्रतिशत आवंटन किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में डाक-तार विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

[हिन्दी]

1378. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1989 और 1990 के दौरान डाक-तार विभाग के कितने कर्मचारियों को तदर्थ रूप से श्रेणी-दो के पदों पर प्रोन्नत किया गया और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ख) क्या राज्य में विभाग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में सरकार आदेशों को न लागू करने के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : डाक विभाग : (क) डाक विभाग के बारे में जानकारी इस प्रकार है :—

	तदर्थ पदोन्नतियों की संख्या	अनु० जाति/अनु० जनजाति
1989	9	शून्य
1990	शून्य	शून्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जा सकी क्योंकि इनमें से पात्रता जोन के भीतर किसी भी श्रेणी का कर्मचारी उपलब्ध नहीं था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार की सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

1379. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय सरकार और विश्व बैंक की सहायता से कितनी सिंचाई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) अब तक इन परियोजनाओं पर परियोजना-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है और उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं की परियोजनावार अनुमानित लागत कितनी है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) बिहार में विश्व बैंक सहायता से केवल एक निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना नामत: बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मूल्यांकित की गई कुल परियोजना लागत	सहायता की राशि	समझौते की तारीख	ऋण समापन की ता०	30 नवम्बर, 90 को संचय उपयोगी
1.	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना (क्रेडिट 1737-आई० एन०)	129.69 करोड़ रु० (90.7 मि० अमेरिकी डालर)	59.5 मि० एल० डी० आर० (68.0 मि० अमेरिकी डालर)	13-1-87	31-5-94	11.730 मिलियन अमेरिकी डालर

मुख्य फसलों का उत्पादन

[अनुवाद]

1380. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए गेहूं, चावल और दालों जैसी मुख्य फसलों के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या इन लक्ष्यों में बाद में संशोधन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए मुख्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	(मिलियन मीटरी टन)
गेहूं	54.50
चावल	73.70
दालें	15.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्राथमिक मूल्यांकन के अनुसार खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जाने या उससे अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है।

पर्यटन के विस्तार की योजना

1381. डा० सुधीर राय :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन के विस्तार की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के डिजनीलैंड जैसे "मनोरंजन पार्क" विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे पार्कों के लिए राज्यवार किन-किन स्थलों का चयन किया गया है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। देश में अमरीका के डिजनीलैंड जैसे मनोरंजन पार्क का विकास करने की केन्द्र सरकार की स्कीम नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की नहरों में पानी छोड़ना

1382. बाबा सुच्चा सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की नहरों का कितना-कितना पानी इन राज्यों के विभिन्न जिलों की प्रति एकड़ भूमि के लिए आबंटित किया गया है;

(ख) क्या इन राज्यों को पानी देने के मामले में कोई असंगति है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त असंगति को दूर करने और इन राज्यों के सभी जिलों के लिए नहर के पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) अन्तर्राज्यीय नदियों से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब राज्यों को जल का आबंटन उनके बीच हुए समझौतों के अनुसार है। इस आबंटित जल का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों ने तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए जल की आवश्यकता भिन्न-भिन्न है क्योंकि यह जल उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं के साथ प्रदान किए जाने वाले कृषि योग्य कमान क्षेत्र, फसलों की किस्म, सिंचाई की मात्रा, मृदा के लिए मौसम की स्थिति, जल निकास की स्थिति तथा सतही जल के साथ संयुक्त उपयोग के लिए भू-जल की उपलब्धता जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

1383. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1990 के "दि हिन्दू" में "इंडियाज न्यूक्लियर डिलेमा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि "कारनाजी इन्डोमेन्ट फार इन्टरनेशनल पीस प्रोजेक्ट आन न्यूक्लियर नान—प्रोलिफिरेशन" के द्वारा किए गए हाल के अध्ययन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पाकिस्तान ने आयुध-ग्रेड अथवा आयुध-ग्रेड संबंधी यूरेनियम का भण्डार एकत्र कर लिया है और उसने इस यूरेनियम से हथियार बनाने शुरू कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के चोरी-छिपे और शस्त्रोन्मुखी स्वरूप के बारे में पूरी तरह सजग है। इसके बारे में भारत की गहरी चिन्ता से पाकिस्तान सहित सभी संबंधित पक्षों को अवगत करा दिया गया है। भारत की सुरक्षा स्थिति पर बराबर निगाह रखी जाती है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा को पैदा किसी खतरे का सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

संसद भवन के टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

1384. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद भवन के टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि वर्तमान एक्सचेंज के खराब कार्यकरण के बारे में शिकायतों को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश (क) जी, हां। पार्लियामेंट हाउस अनेक्सी के मौजूदा पी० ए० बी० एक्स० को 1000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स० में बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) 1000 लाइनों के ई० पी० ए० बी० एक्स० के लिए पहले से ही आर्डर दिया हुआ है। इसके जून, 1991 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

सैल्यूलर रेडियो प्रणाली के लिए नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश

1385. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग से सैल्यूलर रेडियो प्रणाली का निर्माण करने के बारे में नीति संबंधी मार्ग-निर्देश को अन्तिम रूप देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं। दूरसंचार उपस्कर तथा सैल्यूलर रेडियो मोबाइल प्रणालियों के विनिर्माण के संबंध में नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर दूरसंचार आयोग में विचार किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में "सैल्यूलर रेडियो प्रणाली" के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना

1386. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम ने "सैल्यूलर रेडियो प्रणाली" के निर्माण के लिए एक औद्योगिकी एकक की स्थापना हेतु आशय पत्र के लिए आवेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने उड़ीसा के पुरी जिले में भुवनेश्वर में स्थापित की जाने वाली फैक्टरी में प्रतिवर्ष 2 सैल्यूलर रेडियो प्रणालियां बनाने के लिए दिनांक 21-5-1986 को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक आवेदन किया था। इस प्रस्ताव में परियोजना हेतु रु० 235 लाख का निवेश रखा गया है, भारत में दूरसंचार नेटवर्क में इस प्रकार की सेवाओं को शुरू करने के संबंध में नीति संबंधी निर्णय लिए जाने तक 15 अन्य आवेदनों सहित इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था।

कृषि के लिए डीजल की सप्लाई

1387. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल की कम सप्लाई होने के कारण खरीफ तथा रबी फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं विशेषरूप से कृषि प्रयोजनार्थ में लाए जाने वाले ट्रैक्टरों तथा पम्प सैटों के लिए "डीजल राशन कार्ड" जारी करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना की क्या रूपरेखा तैयार की है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) वर्तमान तेल संकट को देखते हुए पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1990 से देश भर में खुदरा बिक्री केन्द्रों को डीजल (एच० एस० डी०) की सप्लाई पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए थे। चूंकि डीजल (एच० एस० डी०) निर्मुक्त करने पर प्रतिबन्ध खरीफ मौसम की कटाई तथा रबी मौसम की बुवाई के समय लगाए गए, इसलिए तेल कम्पनियों को हिदायतें जारी की गईं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए कृषि की मांग प्राथमिकता के आधार पर पूरी जाए। जैसे, कुछ राज्यों में रबी की बुवाई और खेती के उत्पादन के परिवहन पर असर पड़ा, हालांकि यह मामूली था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। लेकिन कुछेक राज्यों ने स्थानीय स्थितियों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार इस सम्बन्ध में भिन्न उपाय लागू किए हैं। ट्रैक्टरों और पम्पसेटों के स्वामी किसानों को पहचान कार्ड देना, विशेष आवश्यकताओं के लिए किसानों को आबंटन स्लिप देना आदि उनमें शामिल है।

पंजाब में छोटे बाजारों का निर्माण

1388. **श्री कमल चौधरी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान छोटे बाजारों के निर्माण के लिए पंजाब को केन्द्रीय सहायता के रूप में कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजाब में छोटे बाजारों के लिए जिलावार कितने भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है;

(ग) इन छोटे बाजारों के निर्माण के लिए जिलावार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) इन छोटे बाजारों के भवनों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 17 प्राथमिक बाजारों (छोटे बाजारों) के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की दूसरी किश्त के रूप में क्रमशः 2.50 लाख रुपये तथा 6.00 लाख रु० मंजूर किए गए थे। अतिरिक्त 6 छोटे बाजारों के विकास के लिए 24.00 लाख रुपये की रिलीज हेतु प्रशासनिक अनुदन प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग) छोटे बाजारों में भवनों के निर्माण तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान पंजाब में 17 छोटे बाजारों में भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। छोटे बाजारों में निर्माण कार्य हेतु भवनों की संख्या के बारे में वर्षवार तथा जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	जिले का नाम	छोटे बाजार का नाम	रिलीज की गई धनराशि (लाख रुपए में)
1989-90	फरीदकोट	1. धारज	0.50
		2. चुगाबन	0.50
		3. चंदनावन	0.50
	पटियाला	4. भमराना	0.50

	संगरूर	5. छाछर	05.0
1990-91	भटिंडा	6. मेहमा सरजा	0.50
		7. लेहरा मोहाबत	0.50
		8. राइके कलां	0.50
		9. ढाड़े	0.50
		10. करारवाला	0.50
		11. कुटीवाल कलां	0.50
		12. कुसला	0.50
	फरीदकोट	13. खसियाना	0.50
		14. मालबाई	0.50
	संगरूर	15. नीदामपुर	0.50
		16. कलाझार	0.50
		17. कोठाला	0.50

(घ) जैसा कि परियोजना प्रस्तावों में प्रावधान है, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान स्वीकृत किए गए क्रमश: 5 बाजारों के संबंध में छोटे बाजार के भवनों को पूरा करने के लिए 52.50 लाख रुपये तथा 12 छोटे बाजारों के भवनों को पूरा करने के लिए 94.74 लाख रुपये की आवश्यकता है।

(ङ) राज्य सरकार के भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने तथा केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति की तारीख से 12 महीनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र भेजने की अपेक्षा की गई है।

पंजाब में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य दिवसों का सृजन

1389. श्री कमल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आज तक कितने कार्य दिवसों का सृजन किया गया है; और

(ख) अगले छ: महीनों के दौरान कितने कार्य दिवसों का सृजन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) पंजाब में जनवरी, 1989 से लेकर नवम्बर, 1990 के अन्त तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 14.41 लाख श्रम दिनों के सृजित किए जाने की सूचना मिली है।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों के आबंटन के वर्तमान स्तर, मजदूरी स्तरों

तथा मजदूरी एवं निर्माण कार्यों में लगने वाली सामग्री पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित अनुपात के आधार पर राज्य में अगले छः महीने की अवधि के दौरान अर्थात् दिसम्बर, 1990 से लेकर मई, 1991 तक 27.89 लाख श्रम दिनों के सृजित किए जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में (–जारी)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : स्वामी को गिरफ्तार करो। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप लोग पहले बैठ जाएं। आप लोग क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी, आप क्या कहना चाहते हैं ? आप पहले मेरी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जरा शांत होकर अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, आप जरा लोगों से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह करें। सदन की कार्यवाही तभी शुरू हो पायेगी :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मधु दण्डवते जी, आप जरा इन्हें बैठाइये ताकि मैं सदन की कार्यवाही शुरू करूं ;

मैं नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे मेहरबानी करके अपना स्थान ग्रहण कर लें।

सुभाषिनी जी, आप अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों के नेताओं से निवेदन करता हूं कि वे अपने सदस्यों को अपनी

जगह बैठने के लिए कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र यादव जी, आप कृपया बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री रामधन : इस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पहले स्वामी को निकालो। आप हम लोगों के संरक्षक हैं, आपने इस हाउस की मर्यादा को बचाना है, यह केवल आप का नहीं, पूरे हाउस का सवाल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम धन : यह सदन की मर्यादा का सवाल है, सदन की गरिमा का सवाल है। आप सदन की मर्यादा के संरक्षक हैं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वही मर्यादा की बात मैं आपसे कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप रामधन जी, इस सदन के बहुत सीनियर मैम्बर हैं। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाकर बैंठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रामधन : यह सदन की गरिमा का सवाल है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप दल-बदल विरोधी कानून के उपबंधों का प्रयोग करके अपना निर्णय दीजिए, जिससे सारे देश में बीमारी फैली हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीटों पर जाकर बैंठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। राम धन जी, जोशी जी, काबड़े जी, आप कृपया अपनी सीट पर जाइये। बैंठ जाएये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सबकी सुन रहा हूं लेकिन आप पहले मेहरबानी करके बैंठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्वाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनको बैठ जाने दीजिए, तब सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : कैसे सुनूं मैं आपका प्वाइंट आफ आर्डर। पहले आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र यादव जी, नाथू सिंह जी, आप कृपया मेहरबानी करके अपनी सीटों पर बैठ जाइए । आप लोग पहले बैठ जाइए। प्लीज टेक योर सीट । छेदी पासवान जी, अग्निहोत्री जी, आप फिर क्यों खड़े हो रहे हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं जानता हूं कि आप सब को संसद के प्रति प्यार है, आप सब संसदीय प्रजातंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस काम में आप मुझे एसिस्ट कीजिए ताकि मैं सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सकूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप सब पहले बैठ जाइए ।

मैं अभी डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को बुलाता हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं ।

[हिन्दी]

आप कृपया मेहरबानी करके अपनी सीट पर चले जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरे सुनेंगे, आप भी दूसरों को सुनें। आप उनको सुनिए, वे आपको सुनेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके तशरीफ रखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें।

[हिन्दी]

रामधन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके बैठ जाएं और श्री स्वामी को सुनें।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट में जाइये। आप बताइये मैं कैसे सुनूं।

[अनुवाद]

मैं आपकी बात कैसे सुनूं ? मैं आपकी बात नहीं सुन सकता।

कृपया अपनी जगह पर बैठें।

[हिन्दी]

मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। आप पहले बैठिए तब मैं सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात कैसे सुनूं ? मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं। वे सब अपनी जगह पर जाकर बैठें तभी मैं आपकी व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे सदन की कार्यवाही चलाने

में मेरी मदद करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विभिन्न दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे सदन की कार्यवाही चलाने में मेरी मदद करें। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी सीट पर जाइए। आप जब तक सीट पर नहीं जाएंगे मैं सुनूंगा नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाएं। मैं मधु दण्डवते जी से कहूंगा कि वह अपने दल के सदस्यों को बैठाएं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है—(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : सबके बैठने के बाद मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, आपका क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के कथित व्यवहार के विरुद्ध नियम 184 के अधीन निन्दा प्रस्ताव पेश किया है। जब तक वे इस मुद्दे पर पूरी चर्चा नहीं करते, तब तक उनका भाषण देना न वांछनीय होगा और न ही लोकतांत्रिक होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सुनूंगा। आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर हो गया है, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं राम नाईक जी को सुन रहा हूं। आप सब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : इसलिए सदन की प्रभुता का सवाल है और सदन की प्रभुता के सवाल में यह विषय जुड़ा हुआ है और इसलिए पहले हम यह जानना चाहेंगे कि हुआ क्या है। यह होने के बाद जो सम्बन्धित मंत्री हैं, वह अपना बयान दे सकते हैं। आज इनका पहले बयान देकर सारी व्यवस्था··· (व्यवधान)···को गड़बड़ करने का प्रयास है और इसलिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आप उठा चुके हैं मैंने आपका पाइन्ट आफ आर्डर सुन लिया। यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नाथू सिंह (दोसा) : मैंने भी इस सम्बन्ध में सेंसर मोशन दिया है। जब तक सेंसर मोशन पर हाउस में डिबेट नहीं हो जाता तब तक डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को बोलने का हक सदन में नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि···

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं सुनना है, वह फैसला तो हमें करना है। मैंने आपको सुन लिया।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा यह कहना है कि कौल एण्ड शकधर की किताब में यह लिखा है कि, 588 में।

[अनुवाद]

मन्त्रिमण्डल या मंत्री विशेष या मन्त्रियों के समूह के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उसमें 184 के अन्तर्गत मैंने सेंसर मोशन मूव किया है। सेंसर मोशन की यह परिपाटी है, इस हाउस में, कि नो कान्फीडेंस मोशन हो या सेंसर मोशन हो, उसको प्रायोरिटी मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि इस सारे काम को रोककर सेंसर मोशन पर आप पहले डिस्कशन करा लें, उसके बाद यह बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : मि० जटिया। जैना साहब, मैं आपको सुनूंगा, आप बैठिये। मैं जटिया साहब को सुन रहा हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, जिस स्तर पर यह चर्चा हुई है और जिस प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर चर्चा हुई है यह हमारे लोकतंत्र के स्वाभिमान का प्रश्न है और हाउस में उठाया है···

अध्यक्ष महोदय : पाइन्ट आफ आर्डर पर आइए। व्यवस्था का सवाल क्या है?

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरा व्यवस्था का सवाल है कि···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के सवाल के नाम पर आप भाषण देना चाहें तो मैं क्या करूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जब तक संविधान के अन्तर्गत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, जिस लोकतंत्र को हम संप्रभुतासम्पन्न कहते हैं, यह लोक सभा, यह संसद, जिसके कि आप सर्वोच्च हैं, उस व्यक्तित्व के ऊपर यदि कोई प्रहार करे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यह हमारे लिए शर्म की बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने सुन लिया, आप बैठ जाएं। मि० जैना।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : कल जब हमने इस विषय को उठाया था, तो आपने कहा था कि मध्याह्न भोजन काल के दौरान आप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे और तब निर्णय लेंगे। तब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन में कहा था कि कल माननीय अध्यक्ष महोदय इस विषय सम्बन्धी कुछ उद्घोषणा करेंगे। किन्तु, अब तक आपने कोई उद्घोषणा नहीं की है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कैसे करूं, आप एनाउंस तो करने देते नहीं हैं।

श्री राम धन : आप एनाउंस कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, आप हमको बोलने तो देते नहीं हैं। आप बैठ जाएं। मैंने आपकी बात समझ ली।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में फिलहाल मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाएं। मैं राम गणेश कापसे जी को सुन रहा हूं। आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : मैंने इस विषय पर सेंसर मोशन दिया है। आपको मिलने के बाद मैं आपसे उस सेंसर मोशन को मूव करने की इजाजत मांगता हूं, आप इजाजत दीजिए। मेरा यही कहना है, क्योंकि इस विषण में मिनिस्टर एक तरह की बात कह रहे थे, आपका निर्णय मिल जाय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया आपकी ओर देख रही है। आपकी कुर्सी के ऊपर धर्म चक्र पर वर्तमान लिखा हुआ है, उसकी रक्षा के लिए आपको काम करना चाहिए। इस सदन की गरिमा आपके हाथ में है और संविधान की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। जो बात यहां पर हो रही है, यह भयंकर बीमारी सारे देश में, सारी विधान सभाओं में फैल रही है। अगर आपको इस तरह से गिरफ्तार करने की धमकी दी गई तो सारे देश में स्पीकर को इस तरह से गिरफ्तार करने की धमकियां दी जायेंगी। इसलिए इसको रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिएं और श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपने कल कहा था कि हम सारे लीडर राय करके, इस पर कोई कार्यवाही करेंगे, परन्तु आज आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जो कुछ कहा है यदि यह सब सच है तो सदन की अवमानना और विशेषाधिकार की अवहेलना का दोष श्री स्वामी के ऊपर आता है। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी इस सदन के सदस्य नहीं हैं। अगर यह विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है तो उस सूरत में भी यह मामला दूसरे सदन को भेजना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। (व्यवधान) मेरा कहना सिर्फ यह है कि श्री स्वामी के खिलाफ आप जो भी कार्यवाही करते हैं, जब तक वह खत्म न हो जाए तब तक उनकी लोक सभा में आने की पाबन्दी लगाई जाए। श्री स्वामी जिस बेंच से बोलने का प्रयास कर रहे थे, उनको वहां से बोलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक आरोपित व्यक्ति हैं और इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं। चूंकि सुब्रह्मण्यम जी एक आरोपित व्यक्ति हैं इसलिए उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और उनके लोक सभा में आने पर पाबन्दी लगानी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप तो केन्द्रीय मंत्रि परिषद के एक सदस्य के कथित आचरण को बिना किसी शर्त के माफ करने के लिए तैयार थे। आप तो इतने अच्छे और विशाल हृदय के थे कि आपने कहा, "कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ, मैं उस पर अधिक गौर नहीं करता।" आप इसे माफ करने के लिये तैयार थे। मैं समझता हूं कि सभी पार्टियों के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मंत्री···

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को बताऊंगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। (व्यवधान) वहां पर यह निर्णय लिया गया था कि सभा से बिना शर्त माफी मांगी जाएगी और यह किसी शर्त के बगैर ही एकदम स्पष्ट होगी। महोदय, आपने आज सुबह से ही यह देखा है कि सभी पार्टियों के अनेक माननीय संसद सदस्य इस बारे में उत्तेजित लगते हैं। (व्यवधान) मैं अपने कथन में शुद्धि करता हूं। कांग्रेस पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है। (व्यवधान) सभी पार्टियां, जो कुछ हुआ है, उसे इस संस्था को पहुंची ठेस के रूप में महसूस करती हैं। (व्यवधान) महोदय, अब मुझे बताया गया कि इस बारे में कांग्रेस पार्टी भी सहमत थी। लेकिन, कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं हैं। इस प्रकार, सभी पार्टियां इससे सहमत नहीं हो रही हैं। लेकिन, इस सभा का एक बड़ा बहुमत निश्चित रूप से इसे इस संस्था को की गई क्षति के रूप में लेता है। आपके कक्ष में नेताओं ने इस बारे में निर्णय लिया है लेकिन, इसके बावजूद संसद के अनेक माननीय सदस्य अभी भी उत्तेजित हैं। इस बारे में केवल दो रास्ते हैं और मैं पूर्ण गम्भीरतापूर्वक आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

पहले, आप पार्टी के नेताओं की एक बैठक पुनः बुलाइए। मैं उन नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में गौर करें कि उनके आम सदस्य क्या कह रहे हैं।

दूसरे, अगर उन नेताओं को अथवा आपको यह स्वीकार्य नहीं है तो मैं समझता हूं कि संसद के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभा इस बारे में मतदान करे। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा तीसरा उपाय है। (व्यवधान) मेरे विचार से आपको ऐसा करना चाहिए।

[श्री जसवन्त सिंह]

आपके पास ये दो विकल्प हैं। (व्यवधान) इन नेताओं को आम सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उस पर विचार करना ही पड़ेगा। आपसे मेरा यही अनुरोध है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, यह सभा कुछ नियमों के तहत चलती है। अब मौजूदा सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है।

[हिन्दी]

इन्होंने इस चेयर को बदनाम किया है, मंत्री-पद को बदनाम किया है, इसलिए मेरा अर्ज है कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर, बोरिया-बिस्तर बांधकर इनको अपनी जगह चले जाना चाहिए, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह एक निजी मामला नहीं है कि जिसका सदस्य, मंत्री और आपके बीच ही निपटारा किया जाए। यह मामला सम्पूर्ण सभा से संबंधित है क्योंकि मंत्री ने ऐसे बेतुके आरोप लगाकर सम्पूर्ण सभा का अनादर किया है। इस कारण, पहले जो सहमति हुई है उस पर सभी नेता पुन: विचार करें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो निन्दा प्रस्ताव रखा गया है, उस पर विचार किया जाए, क्योंकि यह एक सदस्य का मामला नहीं है, जिस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय लें। इस मामले पर तो सम्पूर्ण सभा को निर्णय लेना है। सम्पूर्ण सभा इस अपमान को सहन नहीं करेगी। जैसा कि श्री आरिफ मोहम्मद खां ने पहले कहा है, मैं समझता हूं कि जब तक उनकी निन्दा नहीं होती और उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता है और आप सभा की भावना से उन्हें सूचित नहीं करते हैं, तब तक हम इस सभा में इस सदस्य को बोलने नहीं देंगे। हम उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देंगे। (व्यवधान) उन्हें इस सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दूसरी सभा, जिसके वह सदस्य हैं, उसके पीठासीन अधिकारी को इस बारे में लिखें। जैसा कि संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों ने चाहा है, आप इस सदस्य के विरुद्ध इस सभा में भी सख्त कार्यवाही करें। उन्हें यहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ भी हुआ, परसों की घटना की खबर अखबार में छपी, उसके बाद सदन में जो कुछ हुआ, उससे सारा सदन और आप अवगत हैं। आप आज किसी निर्णय की घोषणा करने वाले थे और सदन के मूड को आपने देखा, इसके बाद आपने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को पुकारा। इसके बाद आप सदन की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, यह बात स्पष्ट है। नेताओं की बैठक में क्या तय हुआ, उसकी जानकारी आप देंगे, उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों का डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को माफ करने का इरादा नहीं है। यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उनको माफ करने का इरादा नहीं है। और सुब्रह्मण्यम स्वामी** उस सुब्रह्मण्यम स्वामी को यह सदन मंत्री-

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मण्डल में नहीं देख सकता। इन्होंने पूरे देश की राजनीति को बदनाम किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका जो एलीगेटरी वक्तव्य है, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो एलीगेशन लगाया है, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जिस राजनेता पर बार-बार तरह-तरह के आरोप लगाये गये हैं और अन्त में माननीय अध्यक्ष को धमकी दी है कि गिरफ्तार कर लिया जायेगा, जो कि उनकी सीमा में नहीं है, वे ला मिनिस्टर हैं और देश के ला एण्ड आर्डर को तोड़ रहे हैं, ला एण्ड आर्डर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो हिम्मत कर रहे हैं कि अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेंगे, उनकी एक बात नहीं सुनी जाएगी और उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही, जो सैंश्योर मोशन आया है उस सैंश्योर मोशन पर बहस करने की अनुमति दीजिए और इन पर इस सदन में आने से रोक लगाइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में छोटी पार्टियों के नेताओं से कभी भी मंत्रणा नहीं की जाती। आप कुछ नेताओं को बुलाकर निर्णय ले लेते हैं। मैं इस व्यवहार का विरोध करता हूं। कोई निर्णय लेते समय छोटी पार्टियों के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जब यह मामला हमारे विचाराधीन है, तो कोई निर्णय लेने से पहले इस मामले पर हमारी राय पर भी विचार किया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रूल्स आफ प्रोसीजर में वायलेशन हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है। रूल्स आफ प्रोसीजर में क्या वायलेशन हुई है ?

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि जिन मंत्री महोदय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वे दूसरे सदन के सदस्य हैं, सिर्फ इतना होने से यह मामला दूसरे सदन का नहीं हो जाता। इसमें हमें साफ होना पड़ेगा। मैं आपकी रूलिंग भी चाहूंगा और चाहूंगा कि आप भी इसमें राय दें। अवमानना इस सदन की और अध्यक्ष महोदय की हुई है, घटना यहां पर हुई है, इस मामले में सिर्फ लोक सभा को अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : अध्यक्ष जी, कल जो सदन में चर्चा हो रही थी तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था, आज वही निवेदन मैं दोबारा फिर करना चाहता हूं। आपके, सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के और सत्य प्रकाश मालवीय जी के बीच में जो बातचीत हुई है, मैं चाहता हूं कि वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने और आप इस पर अपनी व्यवस्था देने का काम करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, इसके दो विकल्प हैं। या तो आपको उन्हें कटघरे में खड़ा करना होगा और कटघरे में ही उनकी बात सुननी होगी अथवा आपको इस सभा में निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देनी होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ हो चुकी है कि कल अखबारों में जिस घटना का जिक्र आया था वह घटना बिल्कुल सही है। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है। जिस बात के लिए सत्य प्रकाश मालवीय जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कल कहा था कि यह सब गलत है। अध्यक्ष महोदय, यही घटना और यही बात अगर सदन के बाहर मुझे सुब्रह्मण्यम स्वामी जी कहते तो मैं सबसे पहला काम एक ही करता कि इनके खिलाफ एफ०आई० आर० दर्ज कराता फौजदारी के तहत्। फौजदारी के तहत् इनके खिलाफ मुकदमा बनता है। कम से कम यह लिहाज रखी जा सकती है कि ये मंत्री हैं इनको हथकड़ियां न पहनाई जाएं। मगर इनको बर्खास्त करना चाहिए। फौजदारी के तहत् इनके खिलाफ मुकदमा बनता है। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इनको बर्खास्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आरिफ साहब, वे भी माननीय सदस्य हैं हाउस के। ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, बैठ जाइये। मैंने आपको सुन लिया है।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : अध्यक्ष जी, इस तरह का व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा घृणित व्यक्ति है उस आदमी को लोक सभा में आने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न लिए खड़ा हुआ हूं। कल से ही, हमने देखा है कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा नियम 349 और 361 का उल्लंघन किया गया है ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सेमा को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

श्री शिकिहो सेमा : नियम 361 में व्यवस्था है कि जब कभी अध्यक्ष सभा में कुछ कहते हैं, तो प्रत्येक सदस्य उनकी बात को शान्तिपूर्वक सुनेगा। यद्यपि, हमने देखा है कि माननीय सदस्य अध्यक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। जबकि आपकी बात का समर्थन करने के प्रयास में, महोदय, वास्तव में, वे अध्यक्ष के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए कल से ही नियम 349 और 361 का बार-बार उल्लंघन किया गया है और आपका सदस्य इस सभा की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से चलाने नहीं दे रहे हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यह देखें कि सदस्य, अध्यक्ष महोदय को सभा की कार्यवाही उचित तरीके से चलाने दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आपके चैम्बर में सदन के माननीय नेताओं ने मुलाकात की है। इस सदन के इतिहास में कभी नेताओं को डिफेम करने का काम नहीं हुआ है। लोगों की भावना बहुत ज्यादा तीव्र है और लोगों के मन में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है। माननीय नेताओं के फैसले के बाद भी आपने फैसला किया था। हो सकता है कि आपको और कांग्रेस साथियों को चोट न लगी हो··· (व्यवधान) श्री जसवन्त सिंह जी ने भी सुझाव दिया है··· (व्यवधान) सदन में तमाम तरह के सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या है। मैं विनम्रतापूर्वक अपने नेताओं से माफी मांगना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह भावना बहुत तीव्र है और वह फैसला जो है वह लोगों को अमान्य है। आपको सैंसर मोशन पर पूरी बहस करनी चाहिए। यही उचित वक्त है उसका भय नहीं करना चाहिए ताकि सदन ठीक से चल सके। पूरी बात सदन के सामने और देश के सामने आनी चाहिए जिससे आगे आने वाला इतिहास भी हमारे सत्य व्यवहार के ऊपर चैक करने का और मर्यादा बनाने का काम करे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप क्या फैसला देंगे। इस पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए, अधिकांश सदस्यों की भावना तय करनी चाहिए। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सैंसर मोशन पर आपको डिबेट करनी चाहिए।··· (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के 65 के फैसले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय स्पीकर ने उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट के द्वारा केसर सिंह की जमानत की दरख्वास्त स्वीकार करके जमानत देना स्वीकार किया। सारे हाऊस ने यह निर्णय किया कि हम प्रिविलेज कमेटी को नहीं सौंपेंगे, इसकी जांच नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के जज जिन्होंने स्पीकर के खिलाफ केसर सिंह की जमानत ले ली, उनको गिरफ्तार करके स्पीकर के सामने हाऊस में पेश किया जाए यह पूरे हाऊस ने तय किया। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय को रेफरेंस किया। राष्ट्रपति महोदय ने तय किया और राष्ट्रपति महोदय के रेफरेंस के बाद यह निर्णय 65 में समस्त माननीय न्यायाधीशों ने बीस दिन तक बहस सुनकर किया। सदन का गौरव, सदन की प्रतिष्ठा, सदन की गरिमा और सदन के नियम सर्वोच्च हैं और माननीय सदन के सभी सदस्य निर्णय करते हैं··· (व्यवधान) उसमें न्यायपालिका तब तक इन्टरफेरेंस नहीं कर सकती है जब तक कि कोई फंडामेंटल राईट्स का कहीं पर वायलेशन न हो। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सदन की भावना इस बात के लिए अधिक तीव्र है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। उस भारत की तरफ जो सबसे बड़े और महान लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी के रूप में आप लोग यहां विराजमान हैं, उनके बारे में यदि गिरफ्तार करने जैसी घृणित बात को कहा जाता है तो इससे बढ़कर, मैं समझता हूं कि कोई और गम्भीर बात नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक तो "इन्सल्ट टू जूरी" यह भी है कि कहने वाला व्यक्ति कोई गांव या शहर के अन्दर सड़क पर चलते हुए साधारण कानून को जानने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ला एण्ड जस्टिस मिनिस्टर है··· (व्यवधान) यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपसे मेरा अनुरोध है कि सेंसर मोशन को एडमिट कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास जी···

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, कल से आज तक···

श्री महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष जी···

अध्यक्ष महोदय : शिवनकर जी, मैं आ रहा हूं। श्री राम विलास जी···

श्री राम विलास पासवान : हमें इस बात का दुख है कि कल से आज तक सरकार के द्वारा लगातार इस सदन को गुमराह करने की कार्रवाई चल रही है। अखबार में समाचार निकला। कल प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में यह नहीं बतलाया कि क्या घटना घटी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने अध्यक्ष जी से कहा था कि यदि आपकी भावना को ठेस पहुंची तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उसके बाद पार्लियामेंटरी मंत्री, जिनके प्रति मेरा बहुत सम्मान है, इज्जत है। श्री सत्य प्रकाश जी मालवीय···(व्यवधान) तो श्री सत्य प्रकाश मालवीय से मैं उम्मीद करता था कि वे कभी असत्य नहीं बोलेंगे लेकिन सत्य प्रकाश जी ने साफतौर पर कह दिया कि अखबार में जो चीज निकली है, वह बे-बुनियाद है। वह सत्य से परे है। यह पार्लियामेंटरी मिनिस्टर का बयान है और उसके बाद आज मान लेते हैं कि आप क्या घोषणा करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं लेकिन यह पता चला कि सब नेताओं की मीटिंग हुई, उसमें यह हुआ कि माफी मांगी जाये लेकिन सदन यह जानना चाहता है कि हुआ क्या ? और यदि यह मामला तय है कि स्पीकर को थ्रेटनिंग दिया गया है और जैसे मैंने कल भी कहा था कि यह मामला रवि राय का मामला नहीं है, न सुब्रह्मण्यम स्वामी का मामला है, यह मामला एक इंस्टीट्यूशन का मामला है, पद की गरिमा का है और जबकि एक हत्या के लिए 302 का मुकद्दमा चलता है लेकिन यदि उसमें स्पीकर की हत्या हो तो उससे बड़ा अपराध क्या कोई नहीं होता है···(व्यवधान)·· इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन को आप यह बताने का कष्ट करें कि यदि इस तरह की बात हुई है कि स्पीकर को थ्रेटनिंग किया गया है या गरिमा को खत्म करने की साजिश की गई है तो मैं समझता हूं कि सभी नेताओं को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो बात यशवन्त सिन्हा ने कही है, आप इस मामले में क्या करते है ? हम लोगों को, सदन को भी कांफिडेंस में लेने का काम करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठिये। श्री शिवनकर जी को बोलने दीजिये।

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पीकर का जो चैम्बर है, वह इस सदन का भाग होता है। अध्यक्ष महोदय, जो घटना माननीय स्पीकर के चैम्बर में घटित हुई और सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जिस प्रकार से स्पीकर को धमकी दी है, उससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आपको कोई धमकी दे सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हो या विधि मंत्री, हमें कहीं भी अरेस्ट कर सकते हैं और हमारी जान-माल को और आम आदमी की जान को खतरा हो सकता है। लोकतंत्र को अगर खतरा पहुंचे तो यह देश रहेगा नहीं···

अध्यक्ष महोदय : शिवनकर जी, कोई नई बात क्यों नहीं बोलते हैं, वही बात दोहराते जा रहे हैं।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि सैंसर मोशन अगर नहीं होता तो यह एडजर्नमेंट मोशन सरकार के खिलाफ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई। अब आप बैठिए। यादवेन्द्र जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : जिस घटना की चर्चा हो रही है वह बहुत ही शर्मनाक घटना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, पहले आप ही बोल लीजिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली में जो महत्व नियमों का होता है उससे कम महत्व परम्पराओं का नहीं होता। हमारी संसद नियमों से चलती है। और परम्पराओं से चलती है। श्रीमन्, मैं एक परम्परा यहां पर रखना चाहता हूं जिसका उल्लेख अभी किसी ने नहीं किया है। श्रीमन्, आपको मालूम है कि सन 1978-79 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ यह आरोप यहां लगा था कि सदन में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब कुछ अधिकारियों ने जवाब देना चाहा तो उनको रोका गया, उनको प्रताड़ित किया गया, मुअत्तिल किया गया और इस मामले को लेकर प्रिविलेज कमेटी में मामला गया। वहां यह माना गया कि उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है क्योंकि सदन के प्रति कर्तव्य-पालन करने में उन्होंने बाधा पहुंचाई। उसके बाद काफी चर्चा इस सदन में हुई थी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी क्षमा याचना करने को तैयार हुईं, लेकिन सदन ने यह निर्णय लिया कि हम क्षमा याचना इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह मामूली बात नहीं है, यह असाधारण घटना है—सदन का अपमान हुआ है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह तो उससे भी अधिक बड़ा अपमान है। यहां तो माननीय अध्यक्ष को धमकी दी गई है, वह भी गिरफ्तार करने की—एक मंत्री के द्वारा ! इसलिए श्रीमन्, इस मामले में क्षमा याचना तो स्वीकार नहीं की जा सकती। (व्यवधान) जिस तरह से स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध उस समय के माननीय प्रधान मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि उनको न केवल यहां की सदस्यता से बहिष्कृत किया जाए बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाए। यह सजा भी उन्हें सदन ने दी थी। मैं तो यह मानता हूं कि यहाँ उससे भी बड़ा अपराध माननीय सुब्रह्मण्यम स्वामी ने किया है। (व्यवधान) क्योंकि उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को धमकी दी है इसलिए श्रीमन्, आज एक मात्र उपाय यह है कि यहां पर प्रधान मंत्री जी प्रस्ताव लाएं कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की सदस्यता संसद से समाप्त की जाती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी (व्यवधान) इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठ जाएं। आप काफी बोल चुके हैं और हमने आपका प्वाइंट भी समझ लिया है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष भी कुछ नियमों से बंधा होता है। जब-जब यहां सैंश्योर मोशन सदस्यों ने मूव किया है, या तो वह वापस ले लें, उनके नेता उनसे कहें कि वह वापस ले लें, लेकिन अगर सैंश्योर मोशन कोई वापस नहीं लेता और सैंश्योर मोशन स्टैंड करता है तो किसी को भी, आपको भी यह अधिकार नहीं है कि आप सैंश्योर मोशन को यहां मूव न होने दें। इस सदन में अनेक बार सैंश्योर मोशन मिनिस्टर्स के खिलाफ आए। चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ भी हाऊस में सैंश्योर मोशन लाया गया। पूरी डिस्कशन हुई और उस पर फैसला हुआ। जब किन्हीं माननीय सदस्यों ने मिनिस्टर के खिलाफ सैंश्योर मोशन मूव किया तो

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि कोई ऐसा फैसला आपने कर दिया जिसमें सैंश्योर मोशन मूव नहीं किया जाए। यहां पर "रेप ऑफ डेमोक्रेसी" हुई है और यहां पर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। उसे कोई माफी नहीं दी जा सकती और इसलिए आप यहां पर सैंश्योर मोशन मूव करने की इजाजत दें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आज सुबह आपके चैम्बर में एक बैठक हुई। इस बैठक में अन्य साथियों के साथ मैंने भी भाग लिया था। मैं महसूस करता हूं कि हमें खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री मुंडा, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सही रूप में अथवा गलत रूप में, ग्रुप के नेताओं अथवा दल के नेताओं की उस बैठक में इस विषय को सुलझाने के लिए एक समझौता फार्मूला तैयार किया गया। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि उस बैठक में प्रत्येक सदस्य पूरी तरह से सन्तुष्ट था, लेकिन हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे। इस सभा में जो कुछ हो रहा है उससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आज सुबह जो हमारा समझौता हुआ था उसे स्वीकार करने की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है, जिसमें यह व्यवस्था थी कि श्री स्वामी इस सभा में वक्तव्य देंगे और जो कुछ भी हुआ उसके लिए बिना शर्त माफी मांगेंगे। यह सभा उसे स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और, इसीलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके द्वारा नेताओं की फिर से दोबारा बैठक बुलाने का कोई लाभ नहीं होगा। इसमें बिलकुल कोई मुद्दा नहीं बनता क्योंकि यह सभा सर्वोच्च है, और यह सभा, कम से कम इस सभा का एक बड़ा भाग, सत्ता पक्ष को छोड़कर—क्योंकि इस सभा का सत्ता पक्ष शान्त है, इस सभा का सत्ता पक्ष कुछ नहीं कहता, लेकिन सभा के विपक्ष ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि वह समझौते को यदि आप इसे समझौता सूत्र कहते हैं जो कि आज सुबह समझौता किया गया था, स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इसीलिए मैं नहीं समझता कि आपके द्वारा नेताओं की फिर से दोबारा बैठक बुलाने से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। यह सभा सर्वोच्च है, सभा इस मामले पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि यह तर्क देना पूरी तरह असंगत है कि वह राज्य सभा के सदस्य हैं। इसीलिए, लोक सभा उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। महोदय, जब वह आपके कक्ष में थे और उन्होंने आपके विरुद्ध कुछ टिप्पणी की, तो वह वहां उस समय राज्य सभा के सदस्य की हैसियत से नहीं थे। वह वहां एक मंत्री के रूप में थे, वह इस सरकार के मंत्री परिषद में एक मंत्री हैं, जिसका राज्य सभा और लोक सभा से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह सरकार के एक मंत्री हैं। यदि हम हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार को देखें—जो कि हमारे पास मानने के लिए इस समय सभी कुछ वही है। हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ है। महोदय, आपने हमें नहीं बताया, न ही किसी और ने हमें बताया है। श्री स्वामी ने हमें नहीं बताया, संसदीय कार्य मंत्री ने हमें नहीं बताया। अत: जो कुछ समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है हमें केवल उसे ही मानना पड़ेगा और उनसे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि वह आपसे बात कर रहा था, उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणियां

कीं, जिन्हें हम राज्य सभा के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक मंत्री की हैसियत से अध्यक्ष के प्रति बहुत ही निन्दनीय मामले हैं। यही वजह है कि जो कुछ हुआ है उसके लिए सम्पूर्ण सभा को बहुत ही लज्जित होना पड़ा है। जब तक कि यह समाचार गलत साबित नहीं होगा, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह समाचार पूरी तरह से गलत है, तब किसी को इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए, यदि इसके लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तो हमें उस समाचार के आधार पर आगे कार्यवाही करनी होगी। इसीलिए, मेरा आपसे विनम्र सुझाव है कि बहुत से पार्टी नेता इस सभा तथा सदस्यों के मूड को सही तरीके से समझ नहीं पाए थे। हम किसी बात के लिए सहमत हुए थे जिसके बारे में हमने सोचा था कि इससे मामला हल हो जाएगा। लेकिन यह सभा स्पष्ट रूप से उससे सहमत नहीं है। इसीलिए नेताओं की फिर से बैठक बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा सुझाव है कि जो प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है अर्थात स्थगन प्रस्ताव—माफ कीजिए—निन्दा प्रस्ताव उस पर इस सभा में चर्चा की जाए और उस पर इस सभा को निर्णय करने दीजिए।

***श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर)** : अध्यक्ष महोदय, आप केवल बड़े नेताओं को अपनी बात कहने की अनुमति दे रहे हैं। मैं एक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस सभा का सदस्य होने के नाते मुझे बोलने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मुण्डा जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप स्थान ग्रहण करेंगे ? बैठ जाइए। बैठ जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, ठीक तरह से या गलत तरह से···

अध्यक्ष महोदय : श्री गोविन्द मुण्डा।

***श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : अध्यक्ष महोदय, भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संसद सर्वोच्च है। जो कुछ भी देश में घटित होता है उस पर सभा में विचार किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय होता है तो इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। जहां तक सम्भव हो सके हमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। सभा की गरिमा और महिमा बनाये रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इस सभा के लिए हमारे कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य को उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। हमें माननीय अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को भी मानना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय अध्यक्ष के साथ एक मंत्री महोदय का व्यवहार काफी दोषपूर्ण रहा है। मैं काफी समय से राजनीति में हूं। मैंने कभी भी किसी सदस्य या मंत्री को इस तरह व्यवहार करते नहीं सुना है। प्रधान मंत्री पंडित जवहार लाल नेहरू से लेकर श्री राजीव गांधी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तक ऐसी अप्रिय घटना कभी नहीं घटी। अब श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री हैं। श्री चन्द्रशेखर को सदन का नेता बनाने के बाद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। दल-बदल विरोधी कानून भी है। चन्द्रशेखर सरकार इस दल-बदल विरोधी कानून को कार्यान्विन करने की इच्छुक नहीं है। महोदय, आप हमारे अध्यक्ष हैं। आप इस सभा के जरिए इस सभा और लोगों के संरक्षक हैं। आप जो कुछ कहते हैं वे उसका पालन करने को भी तैयार नहीं हैं। वे आपको गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। वे कितने बेशर्म हैं ? हमें अपने महान नेताओं के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। हमें सदन

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा]

की गरिमा और महिमा को बनाये रखना चाहिए।

महोदय, यदि केन्द्रीय सरकार का एक मंत्री अभद्र तरीके से व्यवहार करता है और यदि हम जो कुछ उन्होंने कहा और किया है उसे अनदेखा करते हैं तो हमारे देशवासी हमसे क्या सीखेंगे, संसद के बारे में उनकी क्या राय कायम होगी। इसलिए आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी, आपको यह करना होगा, आपको यह तुरन्त करना होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जो कुछ भी यहां कहा गया है उसे सुनने के बाद मैं अपने आदरणीय साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त से असहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनसे सहमत हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले दोष क्या है यह देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी से एक वक्तव्य चाहेंगे कि क्या वह यहां अपना दोष स्वीकार करते हैं। केवल उस स्वीकारोक्ति के आधार पर हम पुन: विचार करेंगे कि आगे क्या कदम उठाये जाने चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह दोष स्वीकार करते हैं या नहीं—यह पहला कदम होगा और यह उठाया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : दोष स्वीकारोक्ति के पश्चात्, इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जाना है उस पर सभा पुन: विचार कर सकती है। परन्तु इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या वह अपना दोष स्वीकार करते हैं या नहीं। उनकी इस स्वीकारोक्ति के आधार पर ही सभा इस बात पर विचार करेगी कि उनके दोष स्वीकारोक्ति के पश्चात् क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। तत्पश्चात् हम इस पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग (बेतूल) : अध्यक्ष महोदय, जो मसला आज सदन के सामने है, यह बहुत गम्भीर मामला है। सुबह से विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत का समय खर्च हो रहा है और पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इस राजधानी के एक बहुत बड़े अखबार ने छापा, उसके बारे में हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह घटना सत्य है? इस देश के विधि मंत्री ने इस सदन के अध्यक्ष पर आरोप लगाया और धमकी दी कि सदन के अध्यक्ष को गिरफ्तार करा दिया जायेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि क्या यह घटना सत्य है? यदि यह घटना सत्य है, तो यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए प्रधान मंत्री को उस मंत्री को स्वयं ड्राप कर देना चाहिए या फिर वे मंत्री यदि अच्छी भावना रखते हैं, तो उनको स्वयं इस्तीफा देने की घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो सेंसर मोशन यहां पर आरे

उसके बाद मंत्री जी अपनी बात रखें। पहले वह मोशन स्वीकार हो, उसके बाद मंत्री अपनी बात रखें, इससे कम पर यह सदन किसी बात पर तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (दुर्ग) : अध्यक्ष जी, जो घटना हुई है, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सदन के अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की जो धमकी दी है, इस मामले में सदन न तो श्री स्वामी से कोई जानकारी चाहता है और न सरकार में बैठे हुए लोगों से कोई जानकारी चाहता है। इस सम्बन्ध में सही बात क्या है, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। चूंकि आपने अभी तक इससे इन्कार नहीं किया कि इस तरह की धमकी आपको नहीं दी गई है, सदन इस बात को मानता है कि इस तरह की धमकी अध्यक्ष को दी गई है। दूसरी बात, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं खासतौर पर आपके बयान पर। यदि उन्होंने आपको धमकी दी है तो आज के अखबार में आपका जो बयान हमने पढ़ा कि आपने तमाम प्रकरण को, जो घटना हुई है उसको एक समाप्त अध्याय घोषित करने की बात की है। मैं विनम्रता से जानना चाहता हूं कि क्या जो श्री स्वामी ने किया वह केवल आपकी व्यक्तिगत अवमानना है? वह व्यक्तिगत अवमानना नहीं है यह पूरे सदन की अवमानना है और जब सदन की अवमानना है तो बिना सदन में इस बात का विचार किए, सदन की राय लिए बिना मैं समझता हूं कि आपने उस अध्याय को समाप्त करने की बात की है। भले ही आपने उदारता का परिचय देने के लिए विशाल हृदय, सद्भावना का परिचय देने के लिए ऐसा किया होगा तो भी वह पूरी तरह से आपके अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। आपको सदन की राय लेनी चाहिए थी बजाए इस तरह का कोई निर्णय अपनी तरफ से करने के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो धमकी देने की बात की है, उसपर वरिष्ठ नेताओं की जो चर्चा हुई होगी, उन नेताओं ने अपने दलों की ओर से यह समझ लिया होगा कि शायद दल के लोग उनकी राय से सहमत होंगे। लेकिन सदन की जो राय है उसको देखते हुए सेन्शर मोशन का जो प्रस्ताव आया है उस पर विचार होना चाहिए और जो फैसला होता है उसको मानकर कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या श्री देवी लाल ने प्रधान मंत्री की शपथ ग्रहण की है? (व्यवधान)

श्री रामधन : श्री देवीलाल प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

उपप्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं काफी जगह छोड़कर बैठा हूं, मैं अपनी जगह पर बैठा हूं, प्रधानमंत्री की जगह पर नहीं बैठा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मध्याह्न भोजन काल के बाद जब सभा पुन: समवेत होगी तब मैं निन्दा प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय दूंगा।

सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.19 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म०प०
तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.22 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.22 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में—जारी

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 4.30 म०प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

4.31 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.31 म०प० पर पुनः समवेत हुई।
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में (–जारी)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने विभिन्न नेताओं के अनुरोध पर, जोकि सर्वसम्मति पर पहुंचने से पहले अपने साथियों से परामर्श करने का समय चाहते थे सभा को 4.30 म० प० तक के लिए स्थगित कर दिया था। इन नेताओं ने अब मुझसे इस प्रयोजन के लिए कुछ और समय मांगा है। अत: मैं अब सभा को कल 11.00 म०पू० तक के लिए स्थगित करता हूं।

4.32 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 जनवरी, 1991/ 14, पौष 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53

पी०एल०एस०—48/13/4/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित